

इन से

लेखक

आचार्य ललिताप्रसाद सुकुल



हिन्दु प्रकाशक पुस्तकालय

लेखक—

आचार्य ललिताप्रसाव सुकुल

आवरण शिल्पी—

कांजिलाल



आवृत्ति—

प्रथम—नवम्बर, १९५७

मूल्य—

दो रुपये पचास नये पैसे



प्रकाशक—

श्रीम्प्रकाश वेरी

हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय

पो० बॉ० न० ७०, ज्ञानवापी,

वाराणसी-१



मुद्रक—

श्रीकृष्णचन्द्र वेरी

विद्यामन्दिर प्रेस (प्राइवेट) लि०,

डी० १५/०४ मानमन्दिर

निवेदन

समय समय पर लिखे गये १८ निबन्धों का यह एक छोटा-सा संग्रह एक पुस्तक के रूप में आज प्रस्तुत किया जा रहा है। यो तो चूँकि ये निबन्ध पहले के लिखे हुये हैं और इनमें से अनेक—एक नहीं अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके हैं, “पुराने” कहे जा सकते हैं। सच तो यो है कि मुझे भी आशा ऐसी ही थी। वर्षों पहले की उपस्थित परिस्थितियों में प्रायः विवशतावश ही इन निबन्धों के मिस्र भुंसे जो कुछ कहना पड़ा था उसे अब तक पुराना हो जाना चाहिये था। लेकिन वास्तविकता कुछ यह है कि आये दिन “प्रगति” का नारा लगाते हुये भी हमारा जीवन शायद सच्ची प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सका। क्योंकि वही “पुराने” प्रश्न आज भी विशेषकर हमारे साहित्यिक जगत में ज्यों के त्यों हमारे सामने वर्तमान हैं।

पाठक स्वयं देखेंगे कि इस संग्रह के प्रत्येक निबन्ध में जो कुछ कहा गया है वह कुछ प्रमुख व्यक्तियों से अथवा व्यक्ति-समूह से ही कहा गया है। जैसा ऊपर निवेदन किया जा चुका है जब जो कुछ कहा गया वह किन्हीं महत्त्वपूर्ण प्रश्नों अथवा समस्याओं के सम्बन्ध में सुझाव के ही रूप में अपनों के बीच कहा गया है, व्यावहारिक-नीति का सिद्धान्त यह है कि एक ही पथ के पथिकों के बीच स्पष्टता का ही व्यवहार होना चाहिये, आपस में औपचारिक दुराव बहुत हितकर सिद्ध नहीं होता। इसी भावना से प्रस्तुत निबन्धों में भी जो कुछ निवेदन किया गया है वह स्पष्ट अवश्य है, कटु नहीं। इच्छा तो यह थी कि किसी स्थल पर किसी व्यक्तिविशेष का नाम उल्लिखित न हो यथा-शक्ति इसके निर्वाह की चेष्टा भी की गई है, किन्तु फिर भी कुछ प्रसंग तो ऐसे आ ही गये कि जहाँ प्रायः विवशतावश कतिपय मित्रों के नाम लेकर ही बात कहनी पड़ी। लेकिन ऐसे प्रसंगों पर भी भावना शुद्ध स्पष्टता को छोड़ कर कदापि व्यक्तिगत लाछना की नहीं है। आशा है इसी रूप में सहृदय पाठकगण इस संग्रह को स्वीकार करेंगे।

वर्षों बाद भी हमारे प्रश्न और हमारी समस्याएँ चूँकि आज भी हमसे उत्तर चाहती हैं, और जो उत्तर दिये जा चुके हैं वही आज भी उपयुक्त हैं, इसी मान्यता के आधार पर पुनरावृत्ति दोष का विना भय

किये वेही उत्तर दोहराये जा रहे हैं। ये भी ठीक है कि कुछ प्रश्न चिरन्तन होते हैं जिनके लिये कहा जाता है कि, 'जो हल हुआ न होगा, वह है सवाल मेरा', वैसे प्रश्नों का उत्तर उन्ही के अनुरूप भी चिर-नवीन और चिरन्तन हुआ करता है', लेकिन जिन प्रश्नों का जिक्र इन निबन्धों में है, ये उस कोटि के नहीं। इसीलिये ये नवीन उत्तरों की अपेक्षा भी नहीं कर सकते।

संग्रह साहित्य-सेवियों की सेवा में अर्पित है और उन्ही को समर्पित है। उन्हे अधिकार है वे जिस रूप में चाहे इसका स्वागत करें।

—लेखक

विषय-सूची

१ 'जाहि कहौ हित आपना सोई बैरी होय'	११
२ 'यश अपयश विधि हाथ'	२३
३. 'ये केहि काज दाहिने बायें ?	२८
४ "दिल ये कहता है जरा और तमाशा देखें"	३३
५ देखकर तस्वीरे यूसुफ़ कह दिया कुछ भी नहीं	३७
६ ठगों का बैठका है जावजा चोरों की 'महफ़िन' है	४२
७ तुम्हीं ने दर्द दिया अब तुम्ही दवा 'दोगे' ?	४६
८ 'अजल कहते हैं उस लहमे को जब दिल को करार आए'	४६
९ "मैखानये योरोप के कुछ ढग निराले है	५६
लाते हैं सुहर अक्वल देते हैं शराब आखिर"	६५
१० 'ये है इस कदर मुहज्जब कमी 'मा' का मुँह न देखा"	६७
११ 'तुम न अच्छा कर मके, यह भी बहुत अच्छा हुआ"	७३
१२ 'मेरी सादगी देव क्या चाहता हैं' ।	७६
१३ 'फिर खयाल आया के मूमा त्रेवतन हो जाएगा'	८०
१४ "इनको खुदा कर्ह के खुदा को खुदा कर्ह"	८०
१५ आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए	८१
१६ 'मन 'इनका' पुराना पापी है वरमो में नमाजी हो न मका"	८१
१७ मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तवा चाहे'	८१
१८ तुस मे बढ़कर ख्बियां पाएगी ये तस्वीर क्या ?'	८१

जाहि कहीं हित आपना सोई वैरी होय

उत्साह और उन्माद में उतना ही भेद है, जितना तर्क और कठमल्लेपन में। पहला जितना हितकर होता है, दूसरा उतना ही हानिकर। लेकिन मनुष्य की इन दोनों प्रवृत्तियों के प्रमाण सदा से ही मिलते रहे हैं। ज्ञान्ति और निर्माण के सात्विक क्षणों में तर्क और उत्साह प्रवल रहते हैं, किन्तु अज्ञान्ति और घोर विनाश के समय में यदि उन्माद या कठमुल्लापन ही जोर पकड़ता दीख पड़े, तो क्या आश्चर्य है? हिन्दी-भाषा और उनकी बोलियों को लेकर आजकल कुछ पंडितमन्य भाषाविदों के मन में जो व्यर्थ की उलझनें देख पड़ती हैं वे इसका एक खाना नमूना हैं। प्रारम्भ तो इसका शायद किनी बैठे-ठाले के मनबहलाव से ही हुआ था, लेकिन 'वृष्णियों के भेले में झाड़ूवाले परिहास' की तरह इसने कुछ नाममशों को बहकाना शुरू कर दिया है और कभी-कभी तो आचार्यों और महारथियों को भी इस खिलवाड़ का विपाक्त घुआ दृष्टिहीन सा किये डाल रहा है। सारी बहस कुछ इस उतावलेपन से की जाती है कि विवेक-बुद्धि का उसमें कहीं पता ही नहीं चलता। इस असामयिक और अकारण विप्लव के कर्णधारों में ऐसे मनीषी विद्वानों की भी कमी नहीं दीख पड़ती, जिन्हें 'भाषा' और 'बोली' में क्या अन्तर है तथा इनका क्या पारस्परिक सम्बन्ध है, इसका भी ज्ञान नहीं। आए दिन ऐसे लेख पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें यही पता नहीं चलता कि लेखक किसे और कब भाषा कह बैठते हैं और किसे बोली? ऐसों के लिये 'भाषा' 'बोली' और 'जुवान' उनकी आवश्यकता के अनुसार मनमाना अर्थ दे दिया करती हैं।

इस साधारण से प्रश्न को लेकर भाषा-विज्ञान के तत्त्वों की लम्बी-चौड़ी विवेचना करने का इस लेख में न तो स्थान है और न आवश्यकता।

सिद्धान्त रूप से इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 'भाषा' अधिक व्यापक सज्ञा है जिससे समान रूपवाली विविध बोलियों के समूह का बोध होता है। किसी भी सम्य देश का जन-समूह अपने विचारों का आदान-प्रदान अपने प्राकृतिक रूप में विविध अचलीय बोलियों के ही माध्यम से किया करता है। प्रत्येक बोली की प्रधानत निम्नलिखित अपनी विशेषताएँ होती हैं—(१) शब्द-भंडार, (२) वाक्य-विन्यास (अर्थात् शब्द सगठन प्रणाली), (३) उच्चारण। इन्हीं विशेषताओं में निहित रहता है उनका पारस्परिक वैशिष्ट्य एव उनकी भिन्नता। किन्तु इन ऊपरी विभिन्नताओं के बावजूद भी यह निरन्तर देखा जाता है कि विविध अचलीय बोलियों में भी विचार तथा सस्कार परम्परा-साम्य के कारण एक प्रकार की नैसर्गिक समूहबद्धता दीख पड़ती है। इसका एक कारण उनके क्षेत्रों की पारस्परिक भौगोलिक निकटता भी अवश्यम्भावी है। इस प्रकार एक समूह में बँधी हुई बोलियों की सज्ञा का नाम होता है भाषा। परन्तु 'भाषा' की परिधि में प्रविष्ट होने से बोलियों की निजी विशेषताएँ लुप्त नहीं हो जाती और न उनका महत्त्व ही घट जाता है। पारस्परिक निकटता तथा अनेक अन्य प्रभावों के कारण उनमें निरन्तर परिवर्तन भी होते ही रहते हैं, जिसे क्रमागत विकास कहा जाता है। यही नैसर्गिक नियम है, अन्यथा 'प्राकृत' या 'अपभ्रंश' का ही युग चला करता और आधुनिक बोलियों तथा भाषाओं का तो जन्म भी शायद न होता। यही भाषा-विज्ञान का मूल तथा सर्वमान्य सिद्धान्त है। अब इसके अनुसार किस 'बड़े अगरेज की राय' का खण्डन होता है या किस 'महापण्डित' या 'भाषाविज्ञानाचार्य' के मन का भण्डाफोड होता है, इसके सकोच के लिये गुजाइश नहीं।

उपर्युक्त कमीटी पर कसते ही देखने में देर न लगेगी कि राजस्थानी, बुन्देली, वघेली, उर्दू (उसके छद्मवेश में अरबी या फारसी नहीं) हिन्दी की अन्य छद्मीय बोलियाँ हिन्दी-भाषा की परिधि में आ जाती हैं या नहीं? इन विविध बोलियों की साधारण-सी जाँच से पता चल जायगा कि सबका शब्द-भण्डार या शब्द-ग्रन्थन प्रायः एक-सा ही है। दस-पाँच लौकिक या देशज नज्ञाओं या इनी-गिनी क्रियाओं को छोड़कर सज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया का मारा कोप एक ही है। विशेषण या क्रिया-विशेषणों की भी यही दशा है। फार्क-चिह्नों तथा प्रयोगों में पूर्वी और पश्चिमी बोलियों

में अन्तर कुछ अधिक स्पष्ट है किन्तु समानता भी कम नहीं, क्योंकि इस भेद का आधार कोई नितान्त विदेशी प्रभाव तो है नहीं। इसका प्रधान कारण है विकास-क्रम का अन्तर ही। युगो की पारस्परिक घनिष्ठता ने इनमें एक स्वाभाविक सामजस्य भी स्थापित कर दिया है, जिससे हिन्दी-भाषा के विस्तृत क्षेत्र के निवासी अपनी-अपनी बोलियाँ बोलते हुए भी एक ही भाषा-कुटुम्ब के अंग बने चले आ रहे हैं। तुलनात्मक रूप से उपर्युक्त आधारों में केवल उच्चारण-भेद ही सबसे अधिक स्पष्ट है। इसका कारण प्रधानत व्यक्तिगत योग्यताओं और भौगोलिक वातावरण पर निर्भर करता है। लेकिन केवल इतने से ही 'भाषा' और 'बोली' का सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं हो जाता। यह बात इतनी स्पष्ट है कि अनेक उदाहरणों की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, किन्तु फिर भी एक उदाहरण हम यहाँ देते हैं। एक क्रियाशील राष्ट्र-सेवी सज्जन ने, जो राजपूताने के निवासी तथा अपनी बोली के परम पंडित, प्रबल समर्थक एवं प्रेमी है, अपना लेख अपनी बोली में ही लिखना पसन्द किया है। उस महत्त्वपूर्ण लेख का आरम्भ इस प्रकार होता है—“आ बात तो दूसरा जगा दियोडा आँकड़ो सू समझ में आय सके है के राजस्थानी बोली बोलवावाला गुजराती वगैरेसू बहोत ज्यादा तादाद में है। फेर काइ सबव है के मारवाडी में अखवार नहीं, कितावा नहीं और पोशालो की पढाई भी धीरे-धीरे खत्म होती दीखे है। जवाव है एक और वो ओ के मारवाडी कौम ने अपने पणो को प्रेम नहीं।” (रा० सा० त० बुलेटिन नं० ३, पृ० १०)

हिन्दी-भाषा-भाषी क्षेत्र के किसी भी कोने का अपठ व्यक्ति भी राजस्थानी के उपर्युक्त उद्धरण को समझने में भूल न कर सकेगा। अब यदि यही अर्थ 'साहित्यिक हिन्दी' में लिख दिया जाय, तो उसका रूप होगा—“यह बात तो दूसरी जगह दिये आँकड़ो से समझने में आ सकती है कि राजस्थानी बोलने वाले गुजराती वगैरे से बहुत ज्यादा तादाद में हैं। फिर क्या सबव है कि मारवाडी में अखवार नहीं, कितावें नहीं और पाठशालाओ (पोशालो) की पढाई भी धीरे-धीरे खत्म होती दीखती है। जवाव है एक—और वह है यह कि मारवाडी कौम में अपनेपन का प्रेम नहीं।” दोनो उद्धरणों को देख कर समझने में देर न लगेगी कि हिन्दी का साहित्यिक रूप तथाकथित राजस्थानी 'भाषा' (?) का ही परिमार्जित

रूप है। -या यह कहना- भी उतना ही सही होगा कि राजस्थानी वाला 'साहित्यिक हिन्दी' का 'प्राकृत' रूप है। विचार करने पर यही पारस्परिक सम्बन्ध हिन्दी के साहित्यिक रूप का उसकी किसी भी अन्य बोली के साथ देखा जा सकता है। इतने पर भी ऐसे बुद्धि-विचक्षण देखे जाते हैं, जिन्हें पूछने में सकोच नहीं होता कि 'तब तो हिन्दी में सब बोलियाँ ही बोलियाँ हैं, फिर हिन्दी भाषा क्या है?' उनके लिये उत्तर यही है कि शरीर में नाक, कान, हाथ, पाँव इत्यादि सब अंग और अवयव ही तो हैं, फिर मनुष्य कहाँ और क्या चीज़ है?

व्यर्थ उपदेशक बनने का रोग बहुत पुराना है। कहते हैं शीत काल में दमे के मर्ज का दौरा तेज़ हो जाया करता है, कुछ उसी प्रकार राष्ट्रीय निर्माण के क्षणों में उपदेशकी का वावलापन भी उभड़ पड़ता है। प्रायः सभी ईमानदार तथा दूरदर्शी राष्ट्र-प्रेमी युगों से कहते चले आए हैं कि राष्ट्रीय संगठन के लिए हम भारतवासियों को भी अन्य अचलीय भाषाओं के अतिरिक्त एक अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा अपनाती ही होगी और कम से कम पिछले दो सौ वर्षों से अपनी विविध योग्यताओं के कारण हिन्दी ही उस पद के लिए स्वीकृत है, तथा उसी का इस रूप में व्यवहार भी होता चला आ रहा है। लेकिन फिर भी व्यर्थ उपदेशकी के वावले स्वयंभू नेतागिरी का चोगा पहने यह कहना अपना फर्ज समझते हैं कि "हिन्दी जिनकी मातृभाषा है, उन्हें विशेष सतर्क रहना चाहिये कि कहीं उनके दुराग्रह और हठ से राष्ट्रभाषा हिन्दी की क्षति न हो और राष्ट्रभाषा के प्रति अन्य जनपद-वासियों में उदासीनता का भाव न आ जाये। हिन्दी का हित इसमें ही है कि इसके प्रचार में सब का सहयोग प्राप्त हो। यदि किसी जनपद-निवासी के मन में यह धारणा उत्पन्न हो गई कि उनकी मातृभाषा की अवहेलना हो रही है अथवा उसकी उन्नति और विकास में बाधा डाली जा रही है, तो इससे राष्ट्रभाषा की ही क्षति होगी, क्योंकि कोई भी अपनी मातृभाषा का निरादर नहीं होने देगा। और फिर भी ऐसी मातृभाषा जिसमें सैकड़ों वर्षों से साहित्य वर्तमान है, जिनके बोलने और लिखनेवालों (?) की सख्या करोड़ से भी अधिक है और जिनकी लिपि भी भिन्न है। सच तो यह है कि हिन्दी-भाषियों को प्रसन्न होना चाहिए कि अन्य जनपदीय भाषा-भाषी भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा के उच्च पद पर मुगोभित करना अपना कर्तव्य समझते हैं।"

कहना न होगा कि ऐसे उपदेशों में नेकनियती की सलाह की अपेक्षा दुर्बल धमकियों से अधिक काम लिया गया है। 'भापा' शब्द का प्रयोग यहाँ भी कुछ भ्रामक ही है—कदाचित् 'वोली' के अर्थ में ही उनका प्रयोग हुआ है। खैर, यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो इससे दो प्रश्न स्पष्ट उठ खड़े होते हैं—(१) हिन्दी (उसके साहित्यिक रूप) का विकास क्या परोक्ष रूप से अन्य बोलियों के विकास में किसी तरह घातक सिद्ध हो रहा है? (२) हिन्दी-भापा का राष्ट्रभाषा-पद पर आसीन होना उसकी योग्यता और उपयोगिता का फल है या उनके प्रति पक्षपात या दया का? बात यदि यही तक सीमित रहती, तब भी बुरा न होता, किन्तु मातृ-भाषाओं के 'अपमान', 'बाधा' और 'निरादर' की निर्मूल आशका का वारम्बार सकेत हिन्दी पर अनुचित एवं अप्रसंगिक आक्षेप है। यह ममझ में न आया कि 'विक्रम-बाधा' की आशका किसी बोली-विशेष के विकास के सम्बन्ध में है, या बोली के साहित्य के विकास के सम्बन्ध में, या दोनों के?—यदि अभिप्राय बोली के विकास से है, तो यहाँ यह प्रश्न अनुचित न होगा कि हिन्दी की ऐसी किस कार्य प्रणाली की ओर उँगली उठाई जाती है, जिससे किसी भी बोली के—चाहे वह हिन्दी-भापा के क्षेत्र की ही, चाहे बाहर की—विकास को साहित्यिक हिन्दी के प्रचार-प्रसार से बाधा पहुँची है?

किन्ती बोली-विशेष में अथवा भाषा-विशेष में—जिसकी ओर सकेत है—आधुनिक साहित्य-रचना यथेष्ट न होने के कारण यदि कोई आशकित हो उठे कि धीरे-धीरे कही वह बोली या भाषा लुप्त न हो जाय, तो ऐसी से यह निवेदन कर देना आवश्यक है कि उनकी यह आशका या धारणा बिल्कुल निर्मूल है। साहित्य का बोली के लिये महत्त्व होते हुए भी अनुभव यही बताता है कि कोई भी बोली अपने जीवन के लिये साहित्य की मोहताज नहीं। किसी भी बोली को ले लीजिये। कितना ही पुराना उसका साहित्य क्यों न हो। लेकिन क्या कोई कह सकेगा कि यदि वह साहित्य उममें न होता, तो उस बोली का आज अस्तित्व ही न होता? स्थानीय जन-मस्त्र्या की शिक्षा और अशिक्षा का अनुपात सिद्ध कर देता है कि कोई भी बोली अपने साहित्य के पटने वाले गिने-चुने शिक्षितों के बाहुबल के सहारे नहीं, बल्कि पढी या वेपढी सारी जन-मस्त्र्या

के सहारे ही जीवित रहती चली आई है। तब शायद दूसरी-आशका यह हो कि साहित्य-सृजन के बिना उसके रूप में स्थिरता न आ सकेगी। यह आशका या स्थिरता देखने की अभिलाषा तो और भी अनहोनी-सी चीज है, क्योंकि किसी भी बोली का निरन्तर परिवर्तन—जिसे भाषा-विज्ञान विकास कहता है—नैसर्गिक नियम है। साहित्य रचा जाय या न रचा जाय, विकास-जन्य परिवर्तन तो होंगे ही।

चारों ओर से उग्र रूप में उठनेवाली 'बोली-ससार' की यह बसुरी आवाज़, प्रत्येक बोली का भाषा कहलाने का नया शौक, इस बात का संकेत है कि किसी अज्ञात कारण से लोगों को 'बोली' सज्ञा कुछ हीनतासूचक-सी जान पड़ने लगी है। ऊपर बताये गए भाषा और बोली के पारस्परिक सम्बन्ध के अनुसार तो यह नया जोश कुछ उस अज्ञानी बालक के उत्साह-सा लगता है, जो 'पुर और देश' का भेद न जानने के कारण हठ करने लगे कि वह अपने नगर 'कानपुर' या 'नागपुर' को भारतवर्ष की ही तरह 'कानवर्ष' या 'नागवर्ष' कहेगा। विविध बोलियों के भाषा कहलाने के इस नये उत्साह का प्रत्यक्ष कारण यह है कि हिन्दी के 'साहित्यिक रूप' से घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी वे अपने को उसका आधार नहीं पाती। इससे उन्हें निराशा होती है और उन्हें अपनी हीनता या उपेक्षा की आशका होती है, किन्तु यह कोरी भ्रान्ति से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि विचारपूर्ण विवेचना स्पष्ट बता देगी कि हिन्दी के क्षेत्र की कोई भी बोली अपने मूल रूप में 'साहित्यिक-हिन्दी' नहीं मान ली गई है। उत्तर-पश्चिम के कुछ जिले (विजनौर, मेरठ, अम्बाला इत्यादि) की बोली का—जो खड़ीबोली कहलाती है—मूल ढाँचा ही साहित्यिक हिन्दी के लिए ले लिया गया है। किन्तु परिष्कार की खटाई में ढालकर वह इतना अधिक माँज डाला गया है कि अब हिन्दी की कोई भी बोली उममें अपना प्रतिबिम्ब साफ देख सकती है। मँजते-मँजते साहित्यिक हिन्दी का यह रूप इतना अधिक निखरता चला आ रहा है कि हिन्दी भाषा की अपनी विविध बोलियों की कौन कहे, शायद वह दिन भी दूर नहीं, जब देश की अन्य विविध भाषाओं को भी उन्हीं में अपना प्रतिबिम्ब साफ दिखाई पड़ने लगेगा। तेज़ी से ठननेवाला इन भाषाओं का आधुनिक साहित्यिक रूप उपर्युक्त भविष्यवाणी का ज्वलन्त प्रमाण है। बँगला या गुजराती के साहित्यिक रूप को भी

साहित्यिक हिन्दी का रूप दे देना प्रायः वैसा ही सरल होता जा रहा है, जैसा कि ऊपर राजस्थानी का उदाहरण देकर दिखाया जा-चुका है।

यदि देश का राष्ट्रीय भविष्य उज्ज्वल है, तो वह युग दूर नहीं, जब भारतीय नवयुवक सम्पन्नता एवं स्वच्छन्दता के वातावरण में प्रान्तीयता के ओछे गर्व से ऊपर उठ जायगा। उस समय आश्चर्य नहीं, यदि देश की अन्य बोलियाँ पूर्वकालीन प्राकृतों की भाँति अपने-अपने क्षेत्र में फूलती-फलती रहें और परिष्कृत रूप में हिन्दी की साहित्यिक सम्पदा भारत के स्वर्ण-युग की 'संस्कृत' की भाँति देश में सर्वत्र सुलभ रहे।

माधारण बोलचाल (अर्थात् प्राकृत) तथा साहित्यिक (अर्थात् संस्कृत) रूपों में भेद ससार की प्रत्येक भाषा में ही अनादि काल से चला आ रहा है। शिक्षा, संस्कृति एवं सभ्यता की आवश्यकताओं के कारण भाषा-क्षेत्र का यह प्रयोग एक अनिवार्य क्रिया है। कदाचित् यह चैतावनी भी असंगत न होगी कि किसी स्थान-विशेष की कोई बोली यदि किसी प्रकार स्वतन्त्र सत्ता का रूप धारण कर भी ले और चाहे कि अपने साहित्य का सृजन करके पूर्ण स्वावीन हो जाय, तो उसे भी अपना एक 'परिष्कृत रूप' धारण करना ही पड़ेगा और विशुद्ध एकरूपता का दावा व्यर्थ हो जायगा। विना यथेष्ट परिष्कार के कोई भी बोली साहित्य-सृजन का माध्यम नहीं हो सकती। 'ग्रजभाषा' ही कई सौ वर्षों तक हिन्दी-क्षेत्र के विस्तृत जन-समुदाय के मानसिक एवं साहित्यिक खजाने की कुजी बनी रही। सूर, तुलसी, नन्ददास और न जाने कितने प्रतिभावान साहित्य-स्रष्टाओं द्वारा अमूल्य एवं अलौकिक रत्नों की सृष्टि इसी में हुई, लेकिन क्या कोई भी विद्वान् यह कहने का साहस करेगा कि साहित्य की यह ग्रजभाषा ठीक वही थी, जो बोलचाल की थी? जब यह द्विरूपता भाषा-क्षेत्र का नित्य धर्म एवं नियम है, तो आज की हिन्दी के प्रति ही यह शिकायत क्यों? भाषा के 'साहित्यिक रूप' के समर्थन का यह अभि-प्राय नहीं कि उसके प्राकृतिक रूप में साहित्य-मृजन नहीं हो सकता या नहीं हुआ है। वह अवश्य होता रहा है, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। परन्तु इनपर विचार करते समय भावोन्मेष की अपेक्षा गम्भीर चिन्तन की अधिक आवश्यकता है।

यहाँ 'साहित्य' शब्द अथवा उमकी सामग्री के तात्त्विक विवेचन की आवश्यकता तो नहीं; लेकिन इस सम्बन्ध में भी दो मत नहीं हो सकते

कि शुद्ध 'रसात्मक' या 'कलात्मक' रचनाएँ ही साहित्य की सारी पूँजी नहीं, वरन् उसका एक बहुत बड़ा भाग व्यावहारिक ज्ञान को लेकर रचा जाता है, जिसे 'बौद्धिक साहित्य' कहते हैं। या यो कहना चाहिए कि 'रसात्मक' साहित्य यदि 'दिल' की चीज़ है, तो 'व्यावहारिक' या 'बौद्धिक' साहित्य दिमाग की। इन दोनों के साध्य, साधन तथा लक्ष्य भी भिन्न होते हैं। भारत के प्राचीनतम साहित्य का इतिहास इसका साक्षी है कि विविध प्राकृतों में जितना भी साहित्य रचा गया, वह 'रसात्मक' या 'कलात्मक' ही था (और प्राकृतों में कही-कही तो इस 'कोटि' का साहित्य वेजोड हो उठा है), लेकिन 'दिमागी' या 'बौद्धिक' साहित्य के लिए मन्कृत की ही शरण प्रायः लेनी पड़ती थी। हिन्दी के युग का भी प्राचीन या मध्यकालीन सारा साहित्य प्रायः रसात्मक पद्यमय और विविध बोलियों में ही है। हाँ, ज्यो-ज्यो ब्रजभाषा मँजती गई, पद्य-साहित्य के माध्यम के लिये वह अधिक उपयुक्त होती गई और सैकड़ों वर्षों तक हिन्दी-क्षेत्र के मानसिक योगदान का साधन भी बनी रही। परन्तु भूलना न होगा, कि सैकड़ों वर्षों का यह साहित्य मुख्याश में 'रसात्मक' या 'कलात्मक' ही है, अन्य विषयों की चीज़ें इनी-गिनी ही होगी। यह बात केवल ब्रजभाषा-साहित्य के लिये ही नहीं, वरन् उन सारी बोलियों के लिये भी सत्य है, जिनमें प्राचीन साहित्य की स्थिति मानी जाती है। कोई भी बोली अथवा भाषा इसका अपवाद नहीं।

परन्तु ब्रजभाषा के उस विराट युग में भी अन्य बोलियों में लोग गाते, हँसते और रोते ही थे तथा चुहलवाजी और ठठोली भी करते थे। क्यों न करते, जब कि सच्चा रोना, सच्चा गाना और सच्चा हँसना दिल की बोली में ही सम्भव होता है और घरेलू वातावरण में ही बन पड़ता है, कृत्रिम जीवन इनके अनुकूल नहीं। लेकिन यह भी तो कम सत्य नहीं कि आज का यह युग दिल की अपेक्षा दिमाग की सच्चा का अधिक कायल है। 'दिमागी' इष्क, दिमागी कूषत, दिमागी वज्रिश इत्यादि की इस दिमागी दुनिया में दिल के लिये जगह ही कहाँ है और अगर है भी तो जिनकी? इसीलिये इसे गद्य का युग कहते हैं। हिन्दी के कर्णधारों को उन आनेवाले युग की मूचना मिल चुकी थी और उन्हें यह देखते देर न लगी कि गद्य-साहित्य के लिये ब्रजभाषा या अन्य किसी बोली की अपेक्षा

खड़ी बोली का ढाँचा ही अधिक काम का होगा, और उन्होंने उसे वेक्रेटके ले लिया तथा माँजकर अपने काम का बना लिया। नवयुग का यह दिमागी या बौद्धिक साहित्य अपनी अभिव्यक्ति के लिये प्रवाहपूर्ण, मर्मयं एव व्यापक अर्थवाली शब्दावली की अपेक्षा करता है, जिसका निर्माण काल, विनिमय, सघर्ष तथा पुष्ट परम्परा के साथ हुआ करता है। यह एक लम्बी माधना है। इसके लिये खरी स्वाभाविकता का मोह छोड़ना पड़ता है, कृत्रिमता-पाश के आवश्यक बन्धन सहर्ष स्वीकार करने पड़ते हैं, भावों का नित्य नवीन रूपों के साँचे में ढलकर हँसते-हँसते अग-भग करवा देना पड़ता है, तब कही 'साहित्यिक रूप' का वरदान मिलता है। यह व्यापार बहुत सस्ता नहीं और न कम कष्टसाध्य ही है।

हिन्दी की किसी भी बोली अथवा भारत की किसी अन्य अचलीय भाषा में आधुनिक साहित्य की अनुपज का कारण हिन्दी को समझ कर उसे उसकी उन्नति या विकास का वाचक समझना अनुचित भ्रम है। किसी बोली या भाषा की साहित्य-सृष्टि किसी व्यक्ति या सस्था की इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर नहीं हुआ करती, वरन् वह होती उसकी निजी योग्यता एव सामयिक प्रेरणा के अनुसार ही हुआ करती है। हिन्दी की विविध बोलियों तथा अन्य हिन्दीतर हमारी भाषाओं का, प्राचीन साहित्य, जिसका उल्लेख बार-बार किया जाता है, प्रधानत रसात्मक ही था और उस कोटि का साहित्य आज भी रचा ही जाता होगा तथा भविष्य में भी रचा जायगा। उनकी अपनी कहावतों एव पहेलियों की मृष्टि होती रही है और सदा होती रहेगी। परन्तु जिसे दिमागी या बौद्धिक साहित्य कहा गया है, उसका मृजन नभी बोलियों में अथवा सभी भाषाओं में देखने की आशा सदिच्छा से अधिक और कुछ नहीं है। इस समय सारी भारतीय भाषाओं में हिन्दी ही नवसे अधिक प्रगतिशील तथा युग-प्रवाह के साथ चलनेवाली मानी जाती है। संस्कृत का प्राचीन साहित्य तथा आधुनिक मसाल के बौद्धिक योगदान का जितना अंश हिन्दी के कोप में आ चुका है, उतना अभी तक अन्य किसी भी भारतीय भाषा को प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु इतने पर भी आए दिन हमारे विद्वान एव आचार्य यही कहते सुने जाते हैं कि सभार के साहित्य का तो प्रश्न ही क्या, अङ्गरेजी के मुकाबले में भी हिन्दी-साहित्य अभी बहुत पिछड़ा हुआ है और भाषा की कमजोरी

बोलने वालों की सख्या के आधार पर शायद किसी अन्य प्रांतीय भाषा को अपना दावा पेश करने का भी मौका मिल जाय और भाग्य खुल जाय । किन्तु यह दुराशा व्यर्थ है, क्योंकि सभी प्रांतीय भाषाएँ बोलियों के समूह पर ही निर्भर हैं, अतः उस प्रकार का विभाजन तो वहाँ भी हो जायगा । इसके अतिरिक्त खाली राष्ट्रभाषा का सेहरा पहनने से ही तो कुछ न होगा ? उनमें यह योग्यता, वह व्यापकता तथा वह सेवापटुता कहाँ से आयगी, जो एक लम्बी परम्परा के बाद हिन्दी में आई है । तीसरा दल कुछ उन भोलेभाले व्यक्तियों का है, जिनमें ज्ञान और विवेक की अपेक्षा जोश अधिक है, जिसके कारण छोटी-से-छोटी वास्तविक या काल्पनिक आशका भी उन्हें विचलित कर देती है, और वे घबरा जाते हैं । अन्यथा इस दिशा में न तो किसी आन्दोलन की गुजाइश है, न असमय विप्लव की आवश्यकता । हमें आशा है, देशवासी अपनी विवेक-बुद्धि से काम लेंगे और जल्दबाजी में अपने पाँवों पर ही कुल्हाड़ा न चला बैठेंगे ।

—अप्रैल, १९४४

यश अपयश विधि हाथ

आज का हिन्दी ससार हिन्दुस्तानी भाषा के नाम से ही चिढसा गया है। ज्यो-ज्यो महात्मा गांधी तथा उनके हिन्दुस्तानी सघ वाले इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करते हैं, त्यो-त्यो हिन्दी के भक्त और उपासक इन शब्द को अधिक घृणास्पद एव त्याज्य समझते जाते हैं। शायद बहुतो के लिये, विशेषकर अहिन्दी भाषा-भाषी के लिये हिन्दुस्तानी शब्द नये जमाने की एक खोज है। इसका भी इतिहास किसी प्राचीनता का दावा कर सकता है, वह बहुतो के लिये एक नये आविष्कार से कम नहीं। लेकिन, आश्चर्य तो तब होता है कि हमारी भाषा का यह नाम काफ़ी प्राचीन होते हुए भी सम्मानित न होकर आज बुरी तरह अपमानित हो रहा है और हिन्दी का विद्वत्समाज इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न भी नहीं करता।

ममझना तो यह होगा कि हमारी भाषा का यह हिन्दी या हिन्दुस्तानी नाम कब कैसे और क्यों पडा ? यदि यह रहस्य सक्षेप में समझा दिया जाय तो बेसर-बैर की गुमराही बहुत कुछ दूर हो सकती है। यह कौन नहीं जानता कि प्राचीन समय में, जब भारतवर्ष अपनी विद्या तथा अपने कला-कौशल के लिये विश्व-विख्यात हो रहा था, उन समय पाश्चात्य के विविध देशों में इस गौरवशाली भारत के साथ अपना-अपना सम्बन्ध जोड़ने में एक होड-सी मची हुई थी। उन्हीं में से अरब भी एक था, वहाँ के प्राचीन ग्रन्थ प्रचुर प्रमाणों से भरे पडे हैं कि अरब वालों का सम्बन्ध हमारे देश से काफ़ी घनिष्ट था। न केवल व्यावसायिक क्षेत्र में बरन् विद्या और बुद्धि में अरब ने भारत से बहुत कुछ पाया था। वहाँ के प्राचीन इतिहास ग्रन्थों में भारतवर्ष का निर्देश प्रायः 'हिन्द' के नाम से ही पाया जाता है। मौनवी नैयद सुलेमान नदवी साहब ने, जो अरबी साहित्य के परम सम्मान्य

विद्वान् माने जाते हैं, अपनी अनेको कृतियों में प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि अरब वाले इस देश को हिन्द कहते थे, यहाँ की प्रत्येक वस्तु को, यहाँ के निवासियों तथा उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हिन्दी कहते थे। यहाँ इतना स्पष्ट कर देना कदाचित् अनावश्यक न होगा कि अरबवालों का सम्बन्ध विशेष रूप से केवल उत्तर भारत से ही था अतः जिस समय भाषा का प्रश्न उठता है, उस समय यह समझ लेना होगा कि होगा कि हिन्दी भाषा से उनका सम्बन्ध उत्तर भारत की भाषाओं से रहा होगा। यद्यपि उस प्राचीन काल में सस्कृत का महत्त्व मिट तो नहीं गया था, किन्तु यह भी सच है कि आधुनिक भारतीय भाषाएँ विशेषकर उत्तरी और पश्चिमी भारत की, न केवल विकासोन्मुखी ही हो चली थी, वरन् अपना-अपना अस्तित्व भी कायम कर चुकी थी। अतः अरबों की भाषा-विषयक हिन्दी सज्ञा से तात्पर्य निश्चित रूप से इन्हीं नवविकसित भाषाओं से रहा होगा।

अरबों के बाद ईरान और तुर्क देश के निवासियों का सम्बन्ध इतिहास-सिद्ध घटना है। यह नवीन सम्पर्क सांस्कृतिक या व्यावहारिक क्षेत्र में भले ही नवीन रहा हो, लेकिन भाषातत्त्ववेत्ता यह जानता है कि फारसी आर्य भाषा की शाखा होने के नाते अपनी बड़ी बहन सस्कृत से बहुत प्राचीन काल से सम्बद्ध है। फारसी का 'स्तान' और सस्कृत का 'स्थान' एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं। सस्कृत का 'सिन्धु' ही फारसी का 'हिन्दू' है। इस नए सम्बन्ध ने छोटे से 'हिन्द' नाम को बदलकर ईरानियों के द्वारा 'हिन्दुस्तान' नाम प्रख्यात किया। और पहले की ही भाँति यहाँ की प्रत्येक वस्तु और भाषा हिन्दुस्तानी कहलाने लगी।

हिन्दी का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया (सख्या ५ भाग १) में डा० ग्रियर्सन ने उत्तरी भारत की हिन्दी भाषा, उसकी बोलियों तथा नाम की आलोचना करते हुए पग-पग पर हिन्दी के साथ 'हिन्दुस्तानी' नामका जोड़ किया। अनेक कैफियतों भी उन्होंने दी है। उसी सिलसिले में अपना मत प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि 'हिन्दो-स्तानी', सज्ञा विशेषकर सरहिन्द में प्रचलित हिन्दी के उस रूप के लिये, जिसे खड़ी बोली कहा जाता है, लागू होना चाहिये। इसी सिलसिले में उन्होंने माना है कि हिन्दुस्तानी में 'उर्दूपन' का होना अनिवार्य है।

उनके इस उद्ग्रे प्रेम, का कारण शायद 'डेविड मिल' का वह व्याकरण होगा जो न धुद्ध रूप में व्याकरण कहा जा सकता है और न उसके पीछे भाषा की किसी व्यापक समीक्षा का प्रमाण है। प्रायः सभी यह जानते हैं कि लड़ी बोली 'वोली' के रूप में अवधि या कहना चाहिए प्राकृतिक रूप में विजनीर, मेरठ, भम्बाला, सहारनपुर इत्यादि सयुक्त प्रान्त के पश्चिमोत्तर भाग में व्यवहृत होती है। न केवल आज से, वरन् शायद उसी समय से जब से कि ब्रज-भाषा ब्रज, में या अवधि अवधि में बोली जाने लगी थी। इसी स्थल पर 'हिन्दोस्तानी' नाम की व्याख्या करते हुए पृ० ६ से पृ० ८ तक मैं डा० प्रियर्सन ने 'डेविड मिल' के हिन्दोस्तानी व्याकरण की, जो १७४३ के लगभग लिखा गया था, चर्चा की है। और उनका अनुमान था कि हिन्दी के हिन्दोस्तानी नाम का कदाचित् इससे अधिक प्राचीन कोई प्रमाण प्राप्त नहीं। उपर्युक्त पुस्तक के ही आधार पर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने कुछ वर्ष पूर्व 'हिन्दुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण' शीर्षक एक खोजपूर्ण लेख लिखा था। उनके अनुसार यह व्याकरण कुछ और अधिक प्राचीन ठहरता है। और उसी अनुपात में हिन्दी का हिन्दोस्तानी नाम भी कुछ वर्ष और पीछे हट जाता है। इसके बाद अपनी अभी की हाल की लिखी पुस्तक 'हिन्दी एण्ड इण्डो आर्यन लैंग्वेजेज' में उन्होंने भी डा० प्रियर्सन की ही तरह प्रतिपादित किया है कि हिन्दोस्तानी में 'उर्दूपन' के पुट की विघेपता आवश्यक है। सम्भवतः इनका यह भ्रम भी डेविड मिल के व्याकरण के आधार पर ही हो, या कुछ और ऐसी सामग्री भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है, जो वही ही भ्रामक हो।

लेकिन जैसा ऊपर कहा जा चुका है, हिन्दी भाषा का हिन्दोस्तानी नाम योरोप की देन नहीं। यह तो ईरानी और तुर्कों की सस्कृति और उनकी भाषा के हमारे साथ पारस्परिक साम्य के साथ ही अनायास उत्पन्न हो गया था। इसका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि बाबर ने भी अपने जीवन चरित्र में बड़े स्वाभाविक ढंग से सरहिन्द में बोली जाने वाली लौकिक-भाषा के लिये 'हिन्दुस्तानी' का प्रयोग किया था। वहाँ के शासक दौलतखाना पर फतह पाने के बाद जब दौलतखाना उनके सामने लाया गया, तो वह कहता है—“I have made him sit down before me and desired a man who understood the Hindustani language to explain to him what I said sentence by sentence

in order to reassure him." (Memoirs of Babar Lucas King edition Vol 2, P P 170) इससे यह सिद्ध है कि हिन्दुस्तानी नाम ईरानियों और तुर्कों के साथ १५ वी और १६ वी शताब्दी में ही आ चुका था। उस समय न शर्त थी फारसी या अरबी शब्दों की भरमार की और उर्दूपन की, क्योंकि उस समय तक तो उर्दू का तो कही अस्तित्व भी न था।

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सैकड़ों वर्षों तक प्रसरित क्या मध्य और क्या आधुनिक काल तक हिन्दी अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ती हुई हिन्दी या हिन्दुस्तानी दोनों ही नामों से विभूषित थी। अपने जन्म-काल से ही उर्दू, उर्दू ही रही, शायद कोई प्रमाण १६३० के पहले का प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जब उर्दू का स्मरण किसी और नाम से किया गया हो, या हिन्दुस्तानी का जामा उसने पहनने की चेष्टा की हो। हिन्दी की प्रतियोगिता उसकी पुरानी आदत रही। बालमुकुन्द गुप्त की 'उर्दू को मुहूतोड जवाब' उसी अवाञ्छनीय प्रतियोगिता का फल था।

तब सहसा प्रश्न उठता है कि आज की परिस्थिति में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि हम हिन्दुस्तानी नाम को भी सहन नहीं कर सकते? शायद १९२४ की ही बात है, जब कानपुर के अपने अधिवेशन में कांग्रेस ने भाषाविषयक अपनी नीति की घोषणा की थी और कहा था कि चूँकि कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था है, जनसाधारण की भाषा ही उसकी भाषा होगी। बहुत समय तक तो यह नीति केवल प्रस्ताव तक ही सीमित रही। लेकिन ज्यों-ज्यों कांग्रेस प्रबल होती गई, उसके प्रस्ताव और उसके निर्णय भी अधिक वास्तविक होने लगे। नीतिविषयक भाषा का यह प्रस्ताव भी फिर नवजागृत किया गया। सत्य के पुजारी गांधी जी इस प्रस्ताव के प्रबल समर्थकों में से थे। जहाँ एक ओर प्रातीयता के रोगी भयभीत होने लगे, दूसरी ओर साम्प्रदायिकता के उपासक मुसलमानों के दिलों में भी कम खलवली नहीं थी। अपनी अन्य अराष्ट्रीय सकीर्णताओं के साथ भाषा के क्षेत्र में भी उनकी अनुदारता प्रबल हो उठी। हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा घोषित करके उन्होंने उर्दू की मांग पेश की। सत्य तो यह था, जैसा ऊपर बताया जा चुका है, कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी देशी भाषा के उस रूप का नाम था जो उत्तर भारत में स्वच्छन्द रूप से फल-फूल रही थी, जिसमें न भेद था हिन्दू का न मुसलमान का। न आग्रह था संस्कृत के लिए

और न बहिष्कार या फारसी या अरबी का। लेकिन पार्थक्य की इस नई माँग ने नकीर्णता की, साम्प्रदायिकता की एक नवीन अराष्ट्रीय भावना को जन्म जरूर दे दिया। और हिन्दू-मुस्लिम एकता के अनन्य पुजारी गांधी जी के सामने भाषा की एक नई समस्या खड़ी हो गई। राजनीति के अन्य क्षेत्रों में एकता की साधना का मूल पारस्परिक आदान-प्रदान ही हुआ करता है, और होना ही चाहिये। विना कुछ दिए लेना सम्भव नहीं होता और लेने के लिए देना भी आवश्यक हो जाता है। समझौते की यह नीति राजनीति-क्षेत्र में अवश्य सफल होती है, लेकिन ज्ञान के, शिक्षा के और आत्मोन्नति के क्षेत्र में यह नुस्खा न कभी लगाया जा सकता है और न लगाया जाना चाहिये। लेकिन, दुर्भाग्यवश राजनीति के अलावा-इए इस मर्म को न समझ सके और समझौते की नीति वाला नुस्खा दे ही दिया गया। 'हिन्दुस्तानी एकेडमी' जैसी संस्थाओं का जन्म तो हो चुका था, जिसके संचालन और कर्णवार हिन्दी से कोरे उर्दू क्षेत्र में अज्ञात अवसरवादी इसी ताक में बैठे थे कि किस प्रकार अपनी लीडरी कायम की जाय। मयुक्त प्रांत की सरकारी निधि के बल पर उन्हें कम से कम ऐसी सुविधाएँ प्राप्त थी ही कि 'मस्तिष्कीकुव्वत' जैसे अस्वाभाविक मुहावरे ढालकर प्रचारित किए जायें और राम और रहीम दोनों की उपासना का स्वाग रचा जाय। तुरत १९३६ के लगभग एक सुझाव पेश किया गया कि यदि हिन्दी के नाम से मुसलमानों को चिढ़ है और उर्दू के नाम से हिन्दुओं को तो इन दोनों नामों को छोड़कर राष्ट्रभाषा का नाम 'हिन्दुस्तानी' क्यों न रखा जाय और उसके प्रचलित स्वरूप में शब्दों के प्रयोग साम्प्रदायिक अनुपात में ही लाए जायें। इस सुझाव की स्वीकृति के पीछे नीति थी समझौते की और आज उसी का परिणाम है कि हिन्दुस्तानी अपनी वर्तमान 'अप्रतिष्ठा' को प्राप्त हो गई।

ये केहि काज दाहिने बायें ?

स्वतंत्रता क्या ही मादक पदार्थ है। भले ही कविवर विहारी लाल 'कनक' की सराहना किया करे, उसकी मादकता को 'पाये ही बौरात' कहकर सर्वोच्च मानने की चेष्टा किया करे, किन्तु स्वतंत्रता के युग में वे बेचारे थे ही नहीं, इसको वे जानते ही क्या ? नहीं तो उन्हें कहने में शायद ही कोई सकोच होता कि यह वस्तु तो वह है, जिसे कहना चाहिये 'बिनु पाये बौराय'। इस महासत्य की कसौटी के लिये फिलहाल एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। राष्ट्र की भाषा के प्रश्न को ही लेकर देखिये, जब न था सूत और न थी कपास तभी से जुलाहे लठालठी करने लगे थे और यह द्वन्द्व सूत-कपास की छाँकी मात्र के देख लेने से ही घटने के बदले कुछ इतना अधिक बढ गया कि आये दिन विविध भाषाओं के दैनिक साप्ताहिक, मासिक और शायद 'वार्षिकों' के भी पन्ने के पन्ने रंगे रहते हैं। अंग्रेजी के वे अखबार जो भारतीय भाषा और साहित्य के नाम से ही नाक-भौं चढाया करते थे, आज के राष्ट्र के द्वारा स्वीकृत हिन्दी के विरोध में कलम घिस रहे हैं, ऐंड़ी-चोटी का पसीना एक किए दे रहे हैं। 'राम-राम' न सही 'मरा-मरा' ही सही, हिन्दी का नाम जप तो रहे हैं। अपने इस उत्साह में आज उन्हें अंग्रेजी का वह पुराना वाक्य भी शायद भूल सा गया है जिसमें एक बहुत बड़े विचारक ने कहा था कि यदि किसी के व्यक्तित्व का बढप्पन तौलना हो तो उनके विरोधियों की संख्याओं को गिन लो। उसने ठीक ही तो कहा था, जो महान होते हैं, जिनका अस्तित्व अपनी विशेषता रखता है, उन्हीं का विरोध भी अधिक हुआ करता है, क्योंकि कमजोर और सकुचित हृदयों में वह महान व्यक्तित्व भय का संचार कर दिया करता है और विरोधी दल विचलित हो उठता है। निरीह कमजोर

श्रीर नगण्य तुच्छ व्यक्तित्व वाले विरोध के अधिकारी ही कहाँ होते हैं ?
श्रीर हो भी क्यों ?

कुछ लोग हिन्दी के विरोधियों से शायद चिढ़ भी जाते हैं। लेकिन, चिढ़ना क्यों चाहिए ? जैसा ऊपर कहा जा चुका है, प्रसिद्ध डकैत 'भरा' 'भरा' जपकर ही तो प्रसिद्ध रामभक्त वाल्मिकि हुआ था। रावण ने भी भी तो प्रेमयोग के द्वारा नहीं, वरन शत्रुतायोग के द्वारा ही राम की भक्ति प्राप्त की थी। तो आज ही ऐसा क्या हो गया है कि हम यह विश्वास न कर सकें कि ये गुमराह हिन्दी के विरोधी विरोध-मार्ग से ही एक न एक दिन सन्मार्ग पर न आ जायेंगे। और हमें तो यह शेर याद आता है कि—

“गो दुश्मनी से देखते हैं,
देखते तो है,
मैं शायद हूँ कि हूँ तो
किसी की निगाह में”

जरा देखना चाहिये कि विरोध करने वाले हैं कौन ? और, विरोध करते क्यों हैं ? गहमरी जी की ऋद्धि और सिद्धि वाली गवेपणा-दृष्टि से यदि थोड़ा सा भी काम लिया जाय तो प्रत्यक्ष समझ में आ जायेगा कि विरोधी दल तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले दर्जे के व्यक्ति तो वे हैं जिनकी उम्र पुस्तो से गुलामी में कटी है। वे वेचारे उस पुराने मुजरिम कैदी की तरह हो गए हैं जो बीसो साल जेलखाने की काल कोठरी में रहने के बाद जब छोड़ा गया तब उसके वर्षों के अन्वकार-प्रेम ने उसे प्रकाश में रहने के योग्य ही नहीं छोड़ा था और वह बारम्बार दोहाई दे-देकर उसी काल कोठरी में रहने दिए जाने की भिक्षा माग रहा था। इस कोटि के व्यक्ति देश की स्वतंत्रता को समझने में ही असमर्थ हैं। गुलामी का एक नैसर्गिक गुण बुझदिली भी तो हुआ करता है। उसी के मारे वेचारे आज खुलकर कहने का साहस तो नहीं करते, कि हम अंग्रेजी राज्य में ही रहना चाहते हैं, लेकिन, 'येन केन प्रकारेण' दोहाई देकर उसी की 'खैराफियत' मनाया करते हैं और पानी पी-पी कर हिन्दी को कोत्ता करते हैं।

दूनरा दल कुछ उम्र के हिसाब से है। इसमें न कैद स्त्रियों की है, न पुरुषों की। मानव जीवन का एक अटूट सिद्धान्त अनादि काल से रहा है—जिसका मूल उसके स्वभाव में ही है। अनायास ही उसकी प्रवृत्ति

इस सिद्धान्त से परिचालित होती रही है। भले ही वह उससे परिचित या अपरिचित रहता हो। लेकिन विचित्रता यह है कि उसके स्वभाव की इस विचित्रता का जिक्र करते ही वह चिढ़ जरूर जाता है। इस कथन का तात्पर्य है, मानव जीवन की 'जन्मजात काहिली' से। वह पैदाइशी काहिल है। साहित्यिक भाषा में उसको 'आराम-पसन्दगी' कह सकते हैं। लेकिन यह काहिली के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। इसमें सदेह की भी गुजाइश नहीं। देखिये न, यदि मनुष्य जन्म से ही काहिल न होता तो ससार के जितने भी आविष्कार हुए हैं, क्या वे संभव होते? तार, विजली, रेल, ग्रामोफोन, रेडियो, मोटर यहाँ तक हवाई जहाज भी—ये आविष्कार मनुष्य ने क्यों किए? आराम के लिए ही तो? कहने को, भले ही वह कहता रहे, कि इसमें उसकी बुद्धि के प्राचुर्य की प्रेरणा थी, या उसका सहज विज्ञान-प्रेम था, या उसका जो चाहे तो अमेरिकनो की तरह 'स्पीड' या जर्मनों की तरह 'एफिशियेन्सी' की ही दुहाई देता रहे, किन्तु तह में ईमानदारी बतायेगी कि यदि इन आधुनिक आविष्कारो के पीछे कोई नैसर्गिक प्रेरणा थी—तो वह थी उसकी, 'अजेय' काहिली। इस प्रवृत्ति का एक गुण यह भी है कि ज्यो-ज्यो मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, त्यो-त्यो यह प्रवृत्ति भी अधिक प्रबल होती जाती है। २५-३० वर्ष के बाद तो इन्सान की यह काहिली गले का जजाल ही बन जाती है। हिन्दी के विरोधी दूसरे दल के लोग वे हैं जिनकी अवस्था २५ और ३० को पार कर चुकी है। उनकी काहिली उन्हें मजबूर किये हुए है और नया कुछ भी सीखना, वह कितना ही उपयोगी क्यों न हो, उनके वश से बाहर होता है। और, बर-बस बेचारो को हिन्दी का विरोध करना पड़ता है। क्योंकि, अब तो काम केवल उसी और उतने ही ज्ञान से चलाना है जो प्राप्त हो चुका है। यदि कोई इसका प्रमाण पूछे, तो उससे कहना होगा कि वह जाकर देख ले—किसी क्षेत्र में वहाँ के किशोर और २०-२२ साल के पढ़े किसी भी नई चीज को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। हिन्दी ही क्यों, कोई भाषा भी सीखना पड़े उन्हें कोई बाधा नहीं। उनका कोई विरोध नहीं, क्योंकि, काहिली का शिकजा अभी तक उनपर ढीला ही रहता है।

तीसरा दल पहले और दूसरे के गुणो और अवगुणो से तो विभूषित है ही, बरन् उनके अतिरिक्त भी अपनी अनेक विशेषताएँ धारण किये हुए

की लहरो से आप्लावित है। 'डेमोक्रेसी' का बोलवाला है। तो वह ये दलीलें अपने काम में क्यों न लाए ? यह भी वह जानता है कि निरक्षरो का यह देश, बाहर कहाँ क्या होता है और क्या नहीं होता, यह जानता ही कहाँ है। सैंकड़ों वर्ष तक न केवल अंग्रेजों का या अंग्रेजियत का ही यहाँ राज रहा है वरन् पछाही हवा की एक-एक लहर यहाँ सत्ता जमा चुकी है। इसलिए उन्हीं देशों की मन गढन्त परम्पराओं का हवाला देते हुए जो कुछ भी कह दिया जाय भारतीयों को प्रभावित करने के लिये वह अमोघ अस्त्र होगा। बस, वह कहने से नहीं हिचकता कि समाजवाद और धाम्यवाद का ठेकेदार रूस, अपने यहाँ ६१ भाषाओं को राज्य एव राष्ट्रभाषा माने बैठा है। वित्ते भर का स्विट्ज़रलैण्ड २३ भाषाओं को समानाधिकार दे चुका है, इत्यादि-इत्यादि। राहुल सांकृत्यायन वहाँ रहकर देख-सुनकर भी इस लचरता का प्रतिवाद करते हैं, किया करे लेकिन यह अंग्रेजी 'गप्पनवीस' बकौल एक शायर के कि

जवाँ है जिसकी
इशारे से वो पुकारे है,
ये है गुगा प' खडा
फारसी बधारे है।"

अपनी कहे चला जाएगा। इसवर्गकी 'डेमोक्रेसी' बकौल वर्नाइंडशा के "वह है कि जिसमें विचार स्वातन्त्र्य की छूट भी अवश्य रहनी चाहिये, किन्तु वह भी केवल अपने लिये।—रही बहुमत की बात—जो 'डेमोक्रेसी' का मूल सिद्धान्त है—वह तो इनकी 'हिपोक्रेसी' के एक झटके में छिन्न-भिन्न हो जाती है। उन पहली कोटि वाले चिर दिमागी गुलामों का आतंताद और उन द्वितीय श्रेणी के प्रौढ़ वयस्क काहिलों का आन्तरिक चीत्कार इनके स्वार्थ पूर्ण कोमल हृदय को प्रतिक्षण हिला दिया करता है और ये 'पतित पावन' आये दिन उनकी रक्षा में कटिबद्ध होकर क्या-क्या नई-नई दलीलें पेश करते देखे जाते हैं, क्या-क्या नये-नये रंग बदलते देखे जाते हैं कि जिन्हें देखकर आसमान भी अपना रंग बदलना भूल जाता है। स्वतन्त्रता का अर्थ भी ये अपने ही ढंग से नया लगाते देखे जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि वह भी कोई स्वतन्त्रता है जिसमें मनुष्य मनमानी-घरजानी न कर सके ? वह भी कोई स्वतन्त्रता है जिसमें ये अपनी ठपली और अपना राग न बजा सकें ? अब इन्हें कौन समझाए ! !

“दिल ये कहता है जरा और तमाशा देखें”

प्रातःस्मरणीय बापू इस अभाग्य देश के लिये, आज की गिरी हुई मानवता के लिये, क्या-क्या कर गये, इसकी नाप-तौल आज सम्भव नहीं। भविष्य का सप्ताह चिरकाल तक उनकी अमरता के गीत गायेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। भारत की भावी अतान उनकी गणना पचीसवें अवतार में भी कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं। आज हम उन्हें याद करते हैं। बात-बात पर उनका स्मरण हो आता है, उनकी कही हुई न जाने कितनी बातें, और कितनी तरह की बातें, जीवन के पग-पग पर हमें स्मरण हो आती हैं, क्योंकि, भारतीयों के लिये वे क्या नहीं थे? धर्म, समाज, राजनीति, परिवार नीति सभी में तो उन्हीं का सिक्का चलता था और जब कभी जो कुछ भी वे कहते थे वह उनकी लम्बी सूझ-बूझ, सत्य-निष्ठा और अनन्त कल्याण की कामना से कभी खाली नहीं होता था।

आज जहाँ जनसाधारण उन्हें अपना सब कुछ समझ कर उनकी याद किया करता है, वही हमारे नेता भी हर मंच से तमाम, तरह-तरह के नये, पुराने आदर्शों और नीतियों को हमारे सामने रखते हुए, पूज्य बापू के नाम की ही दुहाई देते हुये देखे जाते हैं। प्रायः इनके हर प्रतवे के साथ यह कड़ी अनायास जुड़ी रहती है “बापू कहत सुनो भाई साधो।” अगर वे सारे सिद्धान्त, वे सारी नीतियाँ, वर्तने योग्य हैं, सत्य और मानव कल्याण की कसौटी पर ठीक उतरने वाली हैं, तो क्या बिना बापू का पुनीत नाम उनके साथ जोड़े उनका प्रचार नहीं हो सकता ?

अभी उस दिन मद्रास में हिन्दी-प्रचार-सभा के नये भवन का उद्घाटन करते समय हमारे प्रधान-मंत्री प० नेहरू ने अपनी स्वाभाविक जोरदार भाषा में घोषित किया था कि वे तो राष्ट्र भाषा के लिये पूरा जोर लगा कर हिन्दी नहीं, हिन्दुस्तानी को ही स्वीकृत करायेंगे। क्यों, क्यों? क्योंकि ‘वह गांधी जी:

की इच्छा थी।' उस के पहले वही दक्षिण में एक और उद्घाटन के अवसर पर उन्हें कहने में ज़रा भी सकोच न था कि वे कल के बने हुये पाकिस्तान को फिर से भारत में मिल जाने वाले ख्वाब को कभी पूरा न होने देंगे, उनके लिये यह असंभव कल्पना है। लेकिन, उस समय शायद एक क्षण के लिये वे यह भूल गये कि अन्तिम श्वास तक पूज्य बापू ने पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। और देश का यह विभाजन उनके लिये एक क्षणिक विडम्बना से अधिक कुछ था ही नहीं। इस अप्राकृतिक एवं अमानुषिक विभेद को मिटा देना ही उनकी चिर अभिलाषा थी।

यह बात कुछ महीने से अधिक पुरानी नहीं है। लेकिन अभी एक सप्ताह से अधिक नहीं हुआ जब माननीय गर्वनर जनरल साहब की लम्बी-चौड़ी चौबीस हजार की मासिक तनखाह पर विधान परिषद में बहस चली, तो स्वयं प्रधानमंत्री प० नेहरू जी को यह घोषित करने में लेश भी सकोच न था कि भारतीय राष्ट्र के गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिये यह तनखाह बहुत बड़ी नहीं समझी जा सकती, वरन् इस पर किसी प्रकार की बहस भी उन्हें इतनी असह्य हो उठी, कि स्पीकर महोदय की शरण लेकर इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछना भी अवैध घोषित कर दिया गया। इस अवसर पर भी बापू के पूर्ण नैकट्य के श्रेय से गौरवान्वित हमारे प्रधान मंत्री यह भूल गये कि इस ओर, या ऐसी समस्याओं की ओर प्रायः दिये गये अपने वक्तव्यों में पूज्य बापू ने क्या क्या इच्छायें प्रकट की थी। न केवल स्वाधीनता प्राप्त करने के पहले, वरन् १५ अगस्त १९४७ के बाद २३ सितम्बर १९४७ को ही भारत की राजधानी दिल्ली में ही बैठकर बापू ने निःसकोच स्पष्ट शब्दों में अपनी इच्छा घोषित की थी कि वे तो भारत के गर्वनर जनरल को उस छोटी सी कुटिया में निवास करते देखना चाहते हैं जिसमें भारत का अतीत गौरव और पुरुषार्थ योगीश्वरो और मुनीश्वरो के रूप में अनादिकाल से निवास करने का अभ्यास रहा है। हमारे प्रधान मंत्री कदाचित् उस घटना से अपरिचित नहीं हैं जिसका उल्लेख भी महादेव देसाई ने अपने प्रसिद्ध लेख में किया था कि पूज्य बापू जिस समय दूसरी गोलमेज सभा में भाग लेने के लिये इंग्लैण्ड जा रहे थे, उनके कुछ नासमझ भक्तों ने बिना उनकी आज्ञा के उनके ठाट-बाट का सामान एकत्रित कर दिया था, और उनकी भावना यह थी कि बापू भारत जैसे

महान देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं; अतः उनके उस नेता का साजो-सामान किसी से कम न होने पाये। उनकी इस नासमझी से खिन्न होकर वापू ने कहा था कि मेरे ये भक्त और प्रेमी अपनी इस चेष्टा में यह भूल गये कि मैं उस भारत का नेता हूँ जो किसानों का देश है और, उसके ये किसान अपनी दरिद्रता में अप्रतिम हैं। अतः उनका नेतृत्व सच्चे रूप में मैं तभी कर सकूँगा जब वेश-भूषा, रहन-सहन, सभी तरह से मैं उनके जीवन का प्रतीक बनूँ। यह उद्गार उनका नया नहीं था। बेजवाड़ा कांग्रेस में अपने नवीन रूप को धारण करते समय भी उनकी वास्तविक प्रेरणा यही थी। न केवल गवर्नर जनरल के ही लिये वरन्, देश के मन्त्रिमण्डल एवं शासक वर्ग के लिये भी, इच्छा-जन्य उनका आदेश था कि उनका रहन-सहन, उनका साजो-सामान, सब कुछ उन्हीं आदर्शों के अनुकूल होना चाहिये। किन्तु, आज का हमारा मन्त्रिमण्डल, हमारे गवर्नर, हमारे सरकारी अफसर कहाँ तक उनकी इच्छाओं की पाबन्दी कर रहे हैं? हमारे प्रधान मन्त्री या राजा जी स्वयं उनको उन चिर अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं? ऐसे अवसरों पर उस महान आत्मा की इच्छाओं को स्वाभाविक ढंग से भूल जाना ही कमजोर मानव का सीधा रास्ता है।

न जाने कितनी इस प्रकार की इच्छायें गिनाई जा सकती हैं, जिन्हें, उनके नाम को प्लेटफार्मों पर से रटनेवाले, हमारे नेता भूल जाने में ही अपना कल्याण समझते हैं।

जहाँ तक राष्ट्रभाषा का प्रश्न है, यह सत्य है कि गान्धी जी आज की इस बदनाम हिन्दुस्तानी को भी वर्दाश्त करने के लिये तैयार थे। लेकिन इसका रहस्य किसी से छिपा नहीं, कि वे इसे उन अमोघ शस्त्रों में से एक समझते थे जिसके द्वारा वे खड्गित भारत को एक बार फिर जोड़ देने में समर्थ होने का ह्वाव देखते थे। गान्धी जी ने बारबार क्या लिखकर और क्या कह कर अपनी प्रबल इच्छा को स्पष्ट घोषित किया था कि वे किसी शर्त पर, किसी कीमत पर भी अंग्रेजी भाषा का भारतीयों पर लादा जाना सहन न कर सकेंगे। किन्तु, उनके द्वारा स्थापित आज के स्वराज में उन्हीं के अनन्य भक्त मौलाना आजाद और प्रधान मन्त्री प० नेहरू आये दिन जनता के लिये अंग्रेजी की दोहाई अनिवार्य-रूप से देते देख पड़ते हैं। भूलना न होगा कि मौलाना आजाद उन स्थापनामा नेताओं

में ह, जिन्होंने क्रिप्स मिशन के सामने अग्नेजी भापा का वहिष्कार इस हद तक करना अपना धर्म समझा था कि उन्हें एक दुभापिये की ज़रूरत पड गयी थी। तब ज़रा समझने में असमजस होता है कि हमारे मान्य नेताओ का एक स्वर से पूज्य गान्धी जी की इच्छाओ के पालन का व्रत, धर्म की प्रेरणा है या ईमानदारी और लोकमत को ताक पर रखकर मनमानी कर सकने की आड।

(१९४९)

साहित्यसेवियों के द्वारा उपस्थित हो चुकी थी। वह समस्या थी, देवनागरी लिपि की।

आधुनिक युग 'यान्त्रिक युग' कहलाता है। अपनी सारी आवश्यकताएँ हम यन्त्रों की सहायता से पूर्ण करना चाहते हैं। इसकी सार्थकता और निरर्थकता पर यहाँ विचार करना अनावश्यक है। हाँ, इतना तो मानना ही होगा कि प्रिन्टिङ्ग प्रेस का आविष्कार आधुनिक जीवन में बड़ा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसके द्वारा नानाप्रकार के कुकृत्य भी सरलता से सध जाते हैं, जिससे यदि कोई चाहे तो, इसे अभिशाप भी कह सकता है। लेकिन यह आविष्कार वास्तव में था मानव-कल्याण के लिए। कल्पवृक्ष की प्रसिद्धि तो यह है कि उसे प्राप्त करके मनुष्य-मनवाछित सभी फल प्राप्त कर सकता है। किन्तु यदि कल्पवृक्ष के नीचे बैठ कर, कोई व्यक्ति धतूरे की याचना करे तो इसमें कल्पवृक्ष का दोष न माना जाएगा, वरन् ऐसे याचक को ही अभाग्य कहना पड़ेगा। यह भी सत्य है कि मुद्रण यन्त्र का आविष्कार पाश्चात्य में हुआ था, वहाँ की भाषाओं और वहाँ की प्रचलित लिपि की आवश्यकता के लिए। जब उसका प्रचार हमारे यहाँ हुआ तो उस समय हमने अपनी आवश्यकतानुसार अपनी लिपि की जिन उस विदेशी यन्त्र की पीठ पर कसने की चेष्टा की। विविध प्रकार की असुविधाएँ स्वाभाविक थीं। लेकिन काम किसी प्रकार चलता रहा और इन्हीं असुविधाओं को देखते हुए हमारे विचारक लिपि-सुधार की योजना प्रस्तुत करते रहे। इसका भी विशेष कारण था। यन्त्र विदेशी थे। जिनके निर्माण और सुधार में यहाँवालों का अपना कोई हाथ न था, लेकिन लिपि अपनी थी जिसपर वे अपना पूर्ण अधिकार मानते थे। इस प्रकार की लिपि सुधार की योजनाएँ, एक नहीं अनेक, सामने आईं, किन्तु कार्यान्वित न हो सकी। इस असफलता का रहस्य इतना ही था कि यह मार्ग ही अस्वाभाविक था। यह अस्वाभाविकता कुछ ऐसी ही थी कि जैसे अनेक वर्ष पूर्व किसी ने कहा था कि 'यदि टोपी छोटी हो जाए किसी कारणवश, 'तो' टोपी का परिमाण बढ़ाने के बदले सर को ही छाँट-छूट कर छोटा करने की चेष्टा की जाए। यह समस्या पुरानी थी, साधन पुराने थे और ज्यो-त्यों काम चलता रहा।

लेकिन यान्त्रिक दुनिया की परम्परा कुछ ऐसी है कि वह स्वभाव से

व्यवसायनिष्ठ होती है। कदाचित् इसी का परिणाम यह है कि मुद्रण-यन्त्र में भी आज इतना अधिक परिवर्तन हो चुका है कि आज से दस वर्ष पहले के ढग में और आज के प्रचलित रूप में मौलिक परिवर्तन हो चुके हैं। साम्य प्रायः नहीं सा है, लेकिन इन वास्तविकताओं को देखने और समझने का अवकाश हमारे इन तथाकथित लिपि-सुधारकों को कहाँ ? और हो भी क्यों ? उन्हें तो अपनी ढपली पर अपना राग अलापना है और अपनी नेतागिरी का सेहरा येन-केन प्रकारेण अपने सिर पर स्थिर रखना ही है। विशेषकर जब इसी वहाने सरकारी पैसों की थैलियों के मुह भी खुले मिलें तब अवसर क्यों चूका जाए। अभी पिछले दिनों सुना गया नवावी शहर लखनऊ में भारत के, शिक्षामंत्री स्वयं मौलाना आज़ाद के सभापतित्व में विविध भारतीय सरकारों के प्रधानमन्त्रियों का जमघट श्री कालेलकर जी के सुझाव पर देवनागरी लिपि के 'उद्धार' के निमित्त हुआ था जिसमें शायद शिष्टाचार के विचार से कतिपय विद्वान् भी बुला लिए गए थे। इस बैठक की जो सूचनाएँ समाचारपत्रों द्वारा प्राप्त हुईं, वे भी कम रोचक नहीं। न जाने किन आधारों पर लिपि के ये तथाकथित विशेषज्ञ यह भी कहने से न चूके कि देवनागरी लिपि अपने अक्षरों की बहुलता तथा सयुक्त वर्णों की क्लिष्टता इत्यादि की दृष्टि से निरी अवैज्ञानिक है। बहुलता नापने का इनका पैमाना है, रोमन लिपि, जिसमें कहने के लिए केवल छब्बीस ही अक्षर हैं और देवनागरी में चौब्वन और छप्पन। लेकिन इन्हें यह पता नहीं कि रोमन के छब्बीस अक्षर केवल छब्बीस ही नहीं कहे जा सकते, बल्कि वास्तव में हैं इससे चौगुने। 'केपिटल' और 'स्माल' तो हैं ही, साथ ही छपाई और लिखाई के दो-दो रूप मूलतः भिन्न हैं। इस प्रकार यदि ईमानदारी से गिनती की जाए तो रोमन के छब्बीस अक्षर गिनती में ठहरेंगे एकसौ चार अर्थात् देवनागरी के दुगुने। साथ ही इन वैज्ञानिकता के वावलो से यह भी पूछने को जी चाहता है कि आखिर इनकी वैज्ञानिकता का आधार है क्या ? जैसा ये कहते हैं, लिपि वैज्ञानिक वही कही जाएगी जो जैसे उच्चरित हो वैसे ही लिखी या छपी जाए। यदि इन्हीं का पैमाना एक क्षण के लिए मान ही लिया जाए, तो क्या इन्हें यह भी बताना होगा कि रोमन अक्षर मुद्रण के और होते हैं और लिखने के दूसरे। रही क्रम की बात, तो उस आधार पर भी देव-

नागरी का ध्वनि-विन्यास रोमन से हाथो आगे अधिक पुष्ट और समर्थ है। इन तथाकथित लिपि-विशेषज्ञो की तो बात ही क्या, ससार के बड़े से बड़े वास्तविक लिपि-विशेषज्ञ भी देवनागरी के ध्वनि-क्रम की परम वैज्ञानिकता के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। प्रश्न उठता है, अक्षरो के रूपो का। देवनागरी के अक्षर जिस उच्चारण सिद्धान्त पर अपने रूप ग्रहण किए हुए हैं, उसे समझने में तो हमारे इन लिपि-विशेषज्ञो को शायद युगो की आवश्यकता है।

इनका दूसरा तर्क यह है कि मुद्रण-कला की दृष्टि से रोमन में जहाँ एक सौ सात या आठ 'केसेस' से काम चल जाता है वहाँ देवनागरी अक्षरो की सयुक्त वर्णों की प्रणाली तथा लिखावट की परिपाटी के अनुसार सात सौ चौब्वन की आवश्यकता पडती है। जहाँ तक सयुक्त ध्वनियो का पश्न है, उसके सम्बन्ध में इन्हें जान लेना चाहिए कि यह वास्तविकता भाषा की प्रकृति में मूलबद्ध है। हमारी भाषा में सयुक्त ध्वनियो का विधान नैसर्गिक और स्वाभाविक है। अक्षर तो केवल चिह्न-मात्र है। जो लिपि भी इस भाषा के लिए स्वीकृत की जाएगी उसी में सयुक्त ध्वनियों के निर्वाह की व्यवस्था और क्षमता अनिवार्य होगी, अन्यथा वह हमारी भाषा के लिए निकम्मी होगी, क्योंकि सयुक्त ध्वनियाँ भाषा में समाई हुई हैं। अब रही उनके मुद्रण की व्यवस्था। इन तथाकथित लिपि-विशेषज्ञो को यह भी जान लेना चाहिए कि आज की प्रगतिशील ससार की मुद्रण-व्यवस्था हैण्ड कम्पोजिंग तक ही सीमित नही रही वरन्, पाश्चात्य में तो 'मोनोटाइप' और 'लाइनोटाइप' का युग भी आकर चला गया। वहाँ तो अब आज 'फोटो-ग्रिव्योर' आ चुका है, जिसमें अक्षरो के केस क्या एक और क्या एक हजार तो कही हैं ही नही। हमने माना कि हम पिछडे हुए हैं। यद्यपि जीवन के आवश्यक कामो में स्वाधीन भारत का पिछडा रहना भी शोभा की बात कही नही जाएगी, लेकिन पिछडेपन की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए भी, यह तो सोचना ही पडेगा कि हमारा पिछडापन भी किस सीमा का है, या होना चाहिए। 'फोटोग्रिव्योर' यदि आज हमारे लिए सम्भव न भी हो, तो भी लाइनो और मोनो की व्यवस्था तो देश में प्रचलित हो ही गई है और होती जा रही है। आज की गिरी हुई परिस्थिति में भी वह कुछ-कुछ हमारी सीमा के भीतर पहुँच चुकी है और आधुनिक युग की अनिवार्य आवश्यकताओ को देखते हुए उसे प्राप्त करने के लिए

हमें अपनी सीमा बढ़ानी ही होगी। लाइनो और मोनो मुद्रण प्रणाली में प्रश्न अक्षरो के केसो का नहीं होता, वरन् उसमें आवश्यकता होती है टाइप राइटिंग मशीन की। हमारे देश में ही आज एक नहीं अनेक इस दिशा में सफल प्रयोग हो चुके हैं, जिनसे हमारे ये तथाकथित लिपि-विशेषज्ञ भी परिचित हैं। हिन्दी की टाइपिंग मशीनें अक्षरो की सख्या और सयुक्त वर्णों की समस्यां हल कर चुकी हैं। वहाँ न आवश्यकता है अक्षरो के आकार विगाड़ने की और न प्रचलित लिखाई के क्रम में अनावश्यक छेड़-छाड़ करने की।

सुनने में तो यह भी आया कि इन उतावले लिपि-सुधारको की लखनौआ बैठक के अवसर पर ही किसी जर्मन कम्पनी ने इन्हें ऐसी टाइप-राइटिंग मशीन के दर्शन करा के इन्हें चुनौती दी कि देवनागरी लिपि में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। ज्यो की त्यो वह ससार की किसी भी लिपि से होड ले सकती है। एक विशेषज्ञ ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जहाँ तक समय का प्रश्न है, देवनागरी लिपि रोमन या अन्य किसी भी लिपि से अधिक द्रुतशीला है। अपने दावे को उसने इस आधार पर सायंकता के साथ सिद्ध किया कि किसी शब्द के मुद्रण में रोमन अक्षरोवाली मशीन से जितने 'स्ट्रोक्स' की आवश्यकता होगी, उससे लगभग बीस प्रतिशत कम 'स्ट्रोक्स' देवनागरी की मशीन पर आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त देवनागरी लिपि की ध्वनिस्पष्टता की जो अपनी विशेषता है वह तो अन्य किसी भी लिपि में सम्भव ही नहीं। इतने प्रमाणों के, और इतनी वास्तविकताओं के बाद भी हमारे लिपि-सुधारकों अपने हठ पर अडिग हैं। भारत सरकार के साधन, उसका कोष और उसकी सत्ता, उनके साथ है। सुना गया है कि उस अनावश्यक पिछली बैठक पर एक लाख से अधिक की निधि व्यय हो चुकी है। कोई पूछे, क्यों और किस सफलता के लिए? एक ओर तो इस अभागे निरक्षर देश में सामान्य शिक्षा-प्रचार के लिए भी हमारी सरकार कहती है कि झोली खाली है और दूसरी ओर ये नब्बावी ठाट। शायद इसे ही कहते हैं—“मोहरो की लूट और कोयलो पर छाप।”

ठगों का बैठका है जावजा चोरों की 'महफिल' है

चहल-पहल जीवन की निशानी है और स्तब्धता शायद मरण की। इस नाते हिन्दी की दुनियाँ में जितनी अधिक चहल-पहल रहे उतना ही अच्छी। यो तो हिन्दी का बारह सौ साल का ठोस साहित्य तथा करोड़ों व्यक्तियों का इस पर मातृवत् अनुराग, उसकी अनन्त जीवनी शक्ति के ज्वलन्त प्रमाण है, किन्तु इधर हलचल कुछ अधिक बढ़ी हुई जान पड़ती है। विविध नई-नई योजनाओं को देखकर यह अनुमान करना कठिन नहीं कि 'युद्धान्तर विश्वव्यापी-कार्यक्रमों' के इस युग में हिन्दी के कर्णधार सो नहीं रहे हैं। (१) साहित्य सम्मेलन के शुद्धीकरण की जोरदार माँग, (२) विकेन्द्रीकरण की घूम तथा (३) जनपदीय कार्यक्रम का उत्साह उपर्युक्त अनुमान के पर्याप्त प्रमाण हैं।

साहित्य-सम्मेलन के शुद्धीकरण की माँग आज की चहल-पहल की पहली तरंग है। हिन्दी के विस्तृत ससार की इनी-गिनी सस्याओं में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन भी एक है। अवस्था में यह संस्था पुरानी कहलाने की अधिकारिणी बन चुकी है। मरम्मत की आवश्यकता इसे-केवल आज ही नहीं पड़ी है, वरन् इसकी जन्म-कुण्डली यदि देखी जाय तो जन्म से ही यह रोगिणी रही है। सत्ता-लोलुपों की वक्र दृष्टि से इसका जीवन शायद ही कभी कुछ क्षणों के लिए मुक्त रहा हो। राहु की महादशा शायद अभी उतरी भी न थी कि 'रूस' और 'फिजी' की आवोहवा से तर दिमागवाले पाणिनि के कल्जुगी उद्धारक के साथ 'विकेन्द्रीकरण' का 'केतु' धामे हुए आ घमके। 'केतु' की वक्र दृष्टि का परिचय कुछ इस प्रकार दिया गया—विकेन्द्रीकरण की परिभाषा दी गई कि "थोड़े से व्यक्तियों तथा दो-तीन सस्याओं के हाथ में सम्पूर्ण शक्ति सौंपने के वजाय अधिक से अधिक मनुष्यों को सशक्त बनाना तथा सैकड़ों सहस्रों ऐसे केन्द्र स्थापित

करना जहाँ से साधारण जनता प्रेरणा तथा स्फूर्ति प्राप्त कर सके, इस नीति का नाम-विकेन्द्रीकरण है।"

इसमें साहित्य-सम्मेलन या नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर ही स्पष्ट संकेत मिलता है। इस परिभाषा के पहले अंश में एक कल्पित दोष आघार माना गया है। देखना होगा वे कौन से व्यक्ति हैं या सस्याएँ हैं जिनके हाथ में सम्पूर्ण शक्ति सौंप दी गई है? तथा किसके द्वारा? यदि उपर्युक्त दोनों सस्याओं से तात्पर्य है, तब तो परिभाषा का पहला अंश अर्थहीन-सा ही हो जाता है। इन सस्याओं के पास जनमत की शक्ति जैसी भी कोई चीज नहीं है, यह एक कौतूहलपूर्ण सवाद है। हिन्दी-भाषा, उसका साहित्य, तथा उसके व्यवहार करनेवालों के प्रति नित्य होनेवाले तथाकथित अत्याचारों के विरुद्ध 'विकेन्द्रको' ने कितने और न जाने कितनी बार प्रस्ताव पास किये, किन्तु फल क्या हुआ? यही तो इन सस्याओं की शक्ति का प्रमाण है। शायद अपनी इसी असफलता से घबराकर 'विकेन्द्रीकरण' की नई योजना की सूझ दिमाग में आई होगी।

रही और अनेक सस्याओं के खोलने की बात। सो तो ठीक ही है कि हिन्दी के व्यापक और सुविस्तृत क्षेत्र में भी इनी-गिनी दो-तीन निर्बल सस्याएँ पर्याप्त नहीं। सैकड़ों क्या हजारों सस्याएँ यदि हिन्दी की सेवा में रत हो जायें तो उनका स्वागत है। परन्तु उन पर रोक ही कब और किसके द्वारा लगाई गई? जब केन्द्रीकरण का कही ठिकाना ही नहीं देख पड़ता, तब विकेन्द्रीकरण का प्रश्न ही कैसा? हाँ! सस्याएँ कायम करते समय इतना न भूलना होगा कि सस्याएँ कही घर-घर में स्थापित न हो जायें, कि अपनी अपनी डफली और अपना-अपना राग अलग-अलग वजने लग जाय या सस्थापकी का रोग यहाँ तक न बढ़ जाय, कि सब 'नेता' ही बन जायें और अनुगामियों का पता ही न चले।

अब यदि जनपदीय कार्यक्रम की योजना पर दृष्टि डाली जाय, तो यह पंचवर्षीय योजना एक मास में ही भाषा, साहित्य एवं सारी सांस्कृतिक सामग्री को बटोरकर मुँह में भर लेने के 'शिथु-प्रयत्न' के समान है। उसकी आठ समितियाँ मात्र आठ कौर हैं।

यो तो इन योजनाओं को सांग्रहण चहल-पहल समझ लिया जाता, किन्तु इन पर जिन सुयोग्य व्यक्तियों का श्रम व्यय हो रहा है उसका विचार करके यह प्रश्न यों ही नहीं छोड़ा जा सकता।

पहला प्रश्न तो यह उठता है कि इन विविध कार्यक्रमों का तथा इन संस्थाओं एवं समितियों का संचालन किनके द्वारा होगा ? वे हाड-मांस के बने व्यक्ति होंगे या इनके पीछे भी 'स्वयंवह वमो' की तरह के वैज्ञानिक यन्त्र ? तब तो अच्छा होता कि इन योजनाओं की सृष्टि के पहले प्रयास किया जाता उन वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का जो हिन्दी के कल्पवृक्ष पर अमरवेल की तरह फैली पड़ी है और उसे सुखाये डाल रही है।

रूस की पंचवर्षीय या दसवर्षीय योजना से स्फूर्ति पाकर विखरी हुई अखण्ड ज्ञान-निधि का लेखा-जोखा कर डाला गया, कार्यक्रम बन गये। समितियों का ढांचा तो तैयार हो गया, परन्तु हिन्दी के सेवकों की भूख, उनकी अकथनीय दीन दशा का भी किसी ने एक क्षण के लिए विचार किया ? उसके निवारण के लिए कौन-सी योजनाएँ बनाई गई ?

क्या यह भी बताना होगा कि किसी भी सम्य देश के साहित्य के विविध अंगों की पूर्ति मुख्याश में या तो सरकारी तौर पर कराई जाती है, या फिर उन मेधावी विद्या-व्यसनी व्यक्तियों के द्वारा होती है, जिन्होंने साहित्य-सेवा को ही अपनी जीविका का साधन बना लिया है तथा उसी में अपने समय तथा अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हैं। उसी को लेकर जीते हैं और उसी में मरते हैं। और वही उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यो तो इसके प्रमाण की आवश्यकता न होती, किन्तु इस प्रसंग में ग्रियर्सन, टर्नर इत्यादि के नाम प्रायः लिये जाते हैं। तब क्या यह सच नहीं कि 'ग्रियर्सन साहब' एक आई० सी० एस० थे और 'टर्नर' साहब भी ब्रिटिश सरकार के सम्मानित मेहमान ? इसमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसे शान्ति एवं उच्च कोटि के जीवन की सुविधाएँ प्राप्त न रही हो।

सरकारी पक्ष को यदि छोड़ भी दिया जाय तो, भी देखा जा सकता है कि पारश्चात्य देशों में 'प्रकाशन' एवं 'अखबार नवीसी' का संगठन ऐसा बन चुका है कि वहाँ का लेखनी का घनी भूखो मरने के खतरे से बरी है। वहाँ का प्रकाशक 'बर्नेट्सा, गाल्सवर्दी, बेरी, लिन्यूसाग या जवाहर लाल को ही लाखों की भेंट हँसते-हँसते दे सकता है। वहाँ का पत्र-सम्पादक लुईफिशर, सन्तनिहाल सिंह, एडगर स्नो को मानवोचित सुसम्पन्न जीवन विताने के योग्य पैसे देने में सकोच नहीं करता, किन्तु हिन्दी के 'कर्णधारों'

ने क्या कभी हिन्दी-लेखकों की दशा पर भी विचार करने का कष्ट किया है ?

कहने में लज्जा भले ही प्रतीत हो, परन्तु इस सत्य से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि एक रुपये फर्मा लिखाई देकर सर्वाधिकार खरीद लेनेवाले प्रकाशक तथा यथा अवसर अठथी कालम भी लेखको को पारिश्रमिक देनेवाले सम्पादक और पत्र-संचालक हिन्दी सप्ताह में आज भी फल-फूल रहे हैं। उस पर भी नियत तो यही रहती है कि "लेखक की कृति यदि मुफ्त हाथ आ जाय तो बुरा क्या है ?"

उपर्युक्त योजनाओं का दूसरा लक्ष्य यह है कि संस्थाएँ तथा समितियाँ गाँव-गाँव में विछी पड़ी हो, उनके कार्यक्रमों का सम्पादन भी वही के लोगो के द्वारा हो। अभिलाषा तो बुरी नहीं, परन्तु किसी भी प्रकार के साहित्यिक कार्य के लिए उचित शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। हमारे आज के देहातो में शिक्षा का मान-दण्ड क्या मिडिल पास से ऊपर भी उठ सका है? तब शिक्षा की इस कच्ची भित्ति के सहारे कार्य-क्रम यदि आरम्भ भी हुआ तो, उसकी सिद्धि या सार्थकता का अनुमान लगाना कठिन नहीं होना चाहिए।

इन कट्टे वास्तविकताओं को सामने रखते हुए यह निवेदन करना बुरा न होगा कि हिन्दी के ये शुभचिन्तक यदि हिन्दी की वास्तविक सेवा करना चाहते हैं, तो पंचवर्षीय या दशवर्षीय योजनाओं तथा 'केन्द्रीकरण' या 'विकेन्द्रीकरण' के स्वप्नों को देखने के पहले हिन्दी के उन्नति-मय की वास्तविक अडचनो को दूर करने की ईमानदारी तथा तत्परता से चेष्टा करें। यदि सम्भव हो तो प्रकाशन-व्यवस्था को पहले सुधारें, तथा पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा निरीह हिन्दी लेखको के रक्त-शोषण को रोकने की चेष्टा करें ताकि हिन्दी की दुनियाँ में भी पुष्ट एवं स्वस्थ लेखन व्यवसाय की सृष्टि हो और लेखक अपनी कलम के बल पर जीने का उत्साह लेकर साहित्य को अमर रत्न भेंट कर सकें, ज्ञान के भंडार को भर सकें और सम्यता की नींव को सुदृढ़ कर सकें।

तुम्हीं ने दर्द दिया अब तुम्हीं दवा 'दोगे' ?

प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पट बदरिकाश्रम के पटों के समान प्रति वर्ष ही खुला करते हैं—लेकिन केवल अधिवेशन के ही समय। 'गँजेडी यार किसके दम लगाई खिसके' को चरितार्थ करनेवाले उसके ये भाग्य-विधाता भी लापता हो जाते हैं। उदयपुर, अधिवेशन का समय ज्यो-ज्यो निकट आता जाता है लोग अपनी-अपनी तजवीजें लेकर उपस्थित होते जाते हैं।

अभी उस दिन सम्मेलन के कायाकल्प के कुछ नुस्खे पण्डित बनारसीदास जी चतुर्वेदी ने भी पेश किये हैं। उनकी राय में 'दस वर्ष' का इलाज सम्मेलन को फिर से नई जवानी दे सकेगा। पुराने रोगो से छुट्टी देर में ही मिलती है। पिछले वर्ष तक जो हकीम बनारसीदास जी 'विकेन्द्रीकरण' तथा 'जनपदीय भाषोद्धार' के मंत्रों की झाड़-फूक से अग-भंग करके सम्मेलन को 'विदेहता' प्रदान करने की तजवीज कर रहे थे, वही आज इस समय अपनी राय कुछ बदली हुई-सी लेकर उदय हुए हैं। वे अब यह कहते हैं कि सम्मेलन 'सस्थावाद' के ज्वर से पीड़ित है और 'वैधानिकता' का सरसाम जोर पकड़ता जा रहा है। इसका इलाज वे इस तरह करना चाहते हैं कि विधानों को स्थगित कर दिया जाय और सम्मेलन की सारी सत्ता चतुर्वेदी जी द्वारा अन्वेषित अठारह भिषगुत्वों को सौंप दी जाय। जिन नामों की सूची दी गई है उनमें से नौ रत्न तो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक हैं। चार व्यस्त राष्ट्रकर्मी हैं, दो जीवन की कठिनाइयों की कड़ी धूप से भागकर सन्यास की साया का सेवन करनेवाले हैं और दो ऐसे हैं जिन्हें सम्मेलन के अधिवेशनों पर सिंहासनाखूब होने के अतिरिक्त उससे और कोई सरोकार नहीं रहा है। इने-गिने दो-तीन बच जाते हैं जिन्हें वास्तविक अर्थ में साहित्यिक कहा जा सकता है।

इनके द्वारा जो-सेवा अपेक्षित है, वह कुछ इस प्रकार है—(१) परीक्षा शुल्क में वृद्धि करके, पुस्तकों को येन-केन प्रकारेण विकवा कर, चन्दा करके, तथा पिछले, गुनहगार प्रकाशकों का गला दवाकर घन एकत्रित करें। (२) परीक्षार्थियों की सत्या में वृद्धि कराकर 'एक मन्त्री रकम सम्मेलन के लिए प्राप्त करें। 'धूमे-धामे' (३) और फिर एक दशवर्षीय कार्यक्रम सम्मेलन के लिए वनावें।

हकीम चतुर्वेदी जी के नुस्खे पर गौर करने के बाद कुछ आश्चर्य होता है। क्योंकि, जिन वदपरहेजियों तथा जिन कुसंगोंके कारण रोग ग्रसित होकर सम्मेलन भ्रणसासन्न हो गया है, उन्हीं को नुस्खे में इलाज कहकर तजवीज किया गया है। जिन अट्टारह व्यक्तियों के हाथ में सम्मेलन को सौंप देने की बात-कही गयी है, सहसा प्रश्न यह उठता है कि, आज का यह जर्जर सम्मेलन उन्हीं हाथों को छोड़कर आखिर है किन हाथों में? व्यक्तिगत योग्यता अथवा अयोग्यता का प्रश्न उठाना शिष्टता के नियम के अनुकूल न होगा। किन्तु इन व्यक्तियों के पास कितना अवकाश सम्मेलन के लिए रहा होगा या रह सकता है, इसका पता तो उनके पेशों पर विचार करने से ही लग जायेगा।

चतुर्वेदी जी के प्रस्ताव की नवीनता इतनी अवश्य है कि अब तक इन 'नव-ग्रहों' के नाम पर सम्मेलन की वागडोर जिन 'वेतन भोगी' व्यक्तियों के हाथ में रही है, वे वेतन तो अल्प ही पाते थे, लेकिन इस प्रस्ताव के अनुसार भविष्य में 'मत्र' देनेवालों की फीस पचास-साठ रुपये मासिक से बढ़कर दो सौ-ढाई सौ हो जानी चाहिए। दूसरी नवीनता यह है कि सम्मेलन का पट्टा अभी तक साल-दर साल बदला जाता था लेकिन इस नये प्रस्ताव में दसवर्षीय कर देने की सिफारिश है। मौरूसियत का प्रस्ताव शायद आगे आवे।

सच बात तो यह है कि डिक्टेटरी का शौक आज-कल कुछ इतना बढ गया है कि जीवन के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में हम अपने इस शौक को जिस तरह सम्भव हो पूरा करने की फ़िराक में रहते हैं। यदि एक व्यक्ति की डिक्टेटरी सम्भव नहीं तो एक समूह की ही सही। सेवा या जन-कल्याण के खोखले नारे लगाकर हम शक्ति-सचय में ही तल्लीन रहते हैं, जिसका उपयोग परोपकार में तो कम, निजोपकार में ही प्रायः हुआ करता है। 'वैधानिकता' को कोसने से पहले चतुर्वेदी जी क्या यह

जानने का प्रयत्न करेंगे कि साहित्य-सम्मेलन के सारे विधान एक या दो व्यक्तियों की टेंट में ही रहते हैं। स्थायी समिति, यह समिति, वह समिति कहने के लिए चुनाव के द्वारा सगठित होती हैं, किन्तु रहता है वह केवल चुनावों का स्वाग। प्रमाणस्वरूप देखी जा सकती है समापति की वह चुनाव-वर्चा जिसमें स्वनामधन्य इन्द्र जी की फ़ज़ीहत हुई थी।

आत्मवचना केवल सामाजिक तथा नैतिक दुष्कर्म ही नहीं बरन् एक पाप है। सार्वजनिक सस्थाओं को अपने व्यक्तिगत उत्थान का साधन बनाना कुछ वैसी ही चीज़ है। एक सम्मेलन ही क्या कितनी ही हमारी सस्थायें व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन की सीढियाँ बनी हुई हैं। इन्हें अपने चरित्र एव पतन का मानदंड कह सकते हैं। यदि हमें राष्ट्रोन्नति के मार्ग पर ऊपर उठना है, तो पहली आवश्यकता यह है कि हम 'डिक्टेटरी' और 'लीडरी' के शौक से अपने को मुक्त करें, अधिक ईमानदारी से काम लें।

‘अजल कहते हैं उस लहमे को जब दिल को क्ररार आए ।’

सरकार द्वारा उपेक्षित, संस्कृत पढितों की निगाह में असंस्कृत, और अंग्रेजी पढे-लिखो के द्वारा व्यर्थ तिरस्कृत, भारत की देववाणी, संस्कृत की ज्येष्ठा कन्या यह हिन्दी, आज से लगभग सौ वर्ष पहले जिन मनीषियों के द्वारा अपनायी गई थी वे गिनती में थोड़े ही थे, किन्तु उनकी सूझ बड़ी दूर की थी, उनकी लगन सच्ची थी और उनकी शक्ति अपार थी। भले ही उनके युग ने उन्हें न समझा हो किन्तु वे जानते थे कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है और एक न एक दिन उसे अपनी चिरमूक जनता को शिक्षा और दीक्षा से युक्त करना ही होगा। उस समय यही हिन्दी राष्ट्र की वाणी होगी। भारत अपना सन्देश केवल भारतीयों को ही नहीं, वरन शायद विश्व को भी अपनी इसी वाणी में देगा, इसी निमित्त उन मनीषियों के द्वारा सगठित रूप में कार्य करने के लिए देश के विविध अचलो में अनेक संस्थाओं की स्थापना की गयी थी। प्रयाग का हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, काशी की नागरी प्रचारिणी सभा इत्यादि ऐसी ही संस्थाओं में से थी। उस प्रारम्भिक स्थिति में हिन्दी की कोई भी संस्था किसी बड़े पैमाने पर खड़ी नहीं की जा सकती थी। साधन और सहायता प्राप्त करना भी एक कठिन समस्या थी। जिनका सम्बन्ध साहित्य सम्मेलन से या काशी नागरी प्रचारिणी सभा या अन्य ऐसी ही किसी संस्था से रहा है वे जानते हैं कि प्रारम्भ के बीसों वर्ष कितने कष्ट के थे। धीरे-धीरे सहानुभूति तो मिलने लगी थी, किन्तु वास्तविक सहायता अथवा प्रोत्साहन का कोई ठिकाना न था। बड़े आयोजनों की तो बात ही व्यर्थ है, कर्मचारियों का साधारण मासिक वेतन भी समय पर दे देना सम्भव नहीं था। अभागों के भी भाग्य अनायास खुल जाया करते हैं। भारत

के इतिहास और पुराणों के पन्ने ऐसे उदाहरणों से खाली नहीं हैं। व्यर्थ उपेक्षिता हिन्दी के भी भाग्य खुले और बापू के रूप में एक मसीहा का वरदान उन्नीस सौ चौबीस में प्राप्त हो गया। आजादी का वह परम उपासक पहले ही सोच चुका था कि जहाँ युगों के गुलाम भारत को राजनीतिक स्वतन्त्रता की आवश्यकता है, वही उसे मानसिक और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की आवश्यकता भी कम नहीं और यह उसे राष्ट्रवाणी के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। यो तो उसकी अपनी मातृभाषा तो थी गुजराती किन्तु उसकी दूरदर्शिता उसे आदेश दे चुकी थी हिन्दी के समर्थन का।

राष्ट्रीय संघर्ष के वे क्षण ऐसे नहीं थे कि जिनमें केवल कलात्मक साहित्य अथवा विविध सांस्कृतिक समस्याओं पर ही हिन्दी की शक्ति विशेष रूप से केन्द्रित की जाय। उस समय की आवश्यकतायें भिन्न थीं और उन क्षणों में राष्ट्रभाषा का व्यापक प्रचार समय की माँग थी। साहित्य सम्मेलन पहले से ही इस ओर कुछ कदम उठा चुका था और यही कारण था कि इसे पूज्य बापू का समर्थन और सहयोग अनायास ही प्राप्त हो सका। अपनी अन्य असाधारण विशेषताओं में बापू की सबसे बड़ी विशेषता और सिद्धि की कुजी यह थी कि वे अपनी सब योजना को व्यावहारिक रूप भी देना जानते थे। उनकी पैनी निगाह से यह रहस्य छिपा नहीं था कि जहाँ तक हिन्दी के राष्ट्रभाषा-रूप के प्रचार का प्रश्न है, वहाँ तक उत्तरभारत के प्रदेशों में विशेष अडचन की सम्भावना नहीं, क्योंकि उत्तर भारत की भाषायें प्रायः एक-दूसरे से बहुत निकट हैं और सम्बद्ध भी। किन्तु दक्षिणी भाषायें हिन्दी से या उत्तर की अन्य किसी भाषा से कौन कहे, आपस में भी इतनी भिन्न हैं कि तामिल अचल वाला तेलगू या कन्नड को समझने में भी असमर्थ है। यदि उत्तर की बात छोड़ भी दी जाय तो दक्षिण भारत के विस्तृत क्षेत्र को एक सूत्र में बाँधने के लिए भी किसी न किसी एक भाषा-माध्यम की तो आवश्यकता थी ही। दक्षिण प्रदेश के कोने-कोने में अंग्रेजी भाषा की एकमात्र सत्ता स्थापित हो जाने का प्रधान कारण यह भी था। भाषा-विषयक उनकी इस दिमागी गुलामी को छुड़ाने के लिए तथा उस विशाल दक्षिण की जनराशि और अपार प्रतिभा को उत्तर के साथ जोड़ देने के लिए सर्वप्रथम वही हिन्दी का प्रचार किया जाना बापू को सबसे अधिक आवश्यक जान पड़ा और 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की नींव सच्ची लगन के कार्य-

कर्त्ताओं को लेकर ढाल दी गई। साधनों की कमी या धन की कमी की अडचन वापू को कमी नहीं रही। देखते-देखते हिन्दी-प्रचार का वह दक्षिणी केन्द्र अपना करिश्मा कर बैठा। भले ही मुट्ठी भर अंग्रेजीदाँ गुलाम आज भी अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए या किन्हीं अन्य अनैतिक कारणों से चिल्लाते सुन पड़ें, कि दक्षिण भारत राष्ट्रभाषा हिन्दी का स्वागत नहीं करता, किन्तु वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। वहाँ की समझदार जनता अपने कर्तव्य को और अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को जानती है, पहचानती है और उसके प्रति उसका उत्साह सराहनीय है। इस और वहाँ की प्रगति भी कम आश्चर्यजनक नहीं। उत्तर-भारत के पूर्व से पश्चिम तक के विविध केन्द्रों में भी राष्ट्रभाषा का सन्देश राष्ट्रभाषा के कर्मठ सेवकों ने वर्षों की तपस्या से बड़ी सफलता के साथ पहुँचाया है। इस राष्ट्र-सेवा का श्रेय हिन्दी की विविध क्रियाशील संस्थाओं को मिलना ही चाहिए।

इस सात्त्विक सेवा का प्रसाद भी इन संस्थाओं को अविलम्ब ही प्राप्त हुआ। देखते-देखते उनके रिक्त कोप धन और शक्ति से सम्पन्न हो गये। अगणित तेजस्वी कार्यकर्त्ताओं और समर्थ सूझ-बूझवाले सेवकों के दल के दल आ मिले। कल्पवृक्ष इनके कानन में क्या उग उठे; स्वार्थी अवसरवादी, खून लगाकर शहीद बननेवाले स्वयम्भू और स्वयं हिन्दी भाषा और साहित्य के ठेकेदार भी, और कुछ न सही तो, जनतन्त्रता का थोया नारा लगाते हुए ही, इन कुसुमित काननों में घुस पड़े, किस्ती सेवा की भावना से नहीं, वरन् उन कल्पतरुओं पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए। ये असन्तोषी जीव कल्पतरु के स्वादिष्ट फलों से ही तृप्त होनेवाले नहीं, ये तो उन मरभूखों में से थे जो पेड़ के पत्तों और उनकी शाखाओं की कौन कहे, जड़ तक चुवा डालने का हौसला रखते थे। यही समस्या उठती है कि जिन पवित्र संस्थाओं की स्थापना उच्चतम राष्ट्रीय आदर्शों को लेकर हुई थी, जिनका पोषण सात्त्विक वृत्ति के राष्ट्र-सेवकों के द्वारा हुआ था, जिनका नरक्षण समर्थ राष्ट्रीय नेताओं के कर्मयोग ने किया था, आचिर उनमें स्वार्थान्व अवसरवादियों का यह घोर ताड़व कैसे सम्भव हुआ? उत्तर के लिए दूर न जाना पड़ेगा, जैसा ऊपर कहा जा चुका है इन संस्थाओं की स्थापना राष्ट्रीय चेतना के निमित्त हुई थी और राष्ट्रीय युद्ध के प्रारम्भ हो-जाने के बाद। आधुनिक सत्तार आज शासन

और संचालन के क्षेत्र में जनतन्त्रता को आदर्श मानता है। प्रारम्भिक काल में इन सस्थाओं के सस्थापक जो सभी सुशिक्षित थे, और सेवा भाव से ओत-प्रोत थे, वे भी जनतन्त्रवाद के ही कायल थे। उनके द्वारा इन सस्थाओं का विधान भी जनतन्त्र के ही सिद्धान्त पर बनाया गया था, और अनुकूल परिस्थितियों में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का इसे भय भी नहीं होना चाहिए था। किन्तु वास्तविकता के उपासक और ढकोनलो के विरोधी बर्नडिशो की राय में आज-कल का कोने-कोने में छितराया हुआ, जनतन्त्रवाद का नारा व्यर्थ की विडम्बना मात्र है। उसने ठीक ही कहा है कि "जनतन्त्रवाद का सिद्धान्त अपनी सारी पवित्रता के वावजूद भी अविवेकी जनो के हाथों में पडकर केवल भ्रष्ट एव असफल ही नहीं होता, वरन् अवसरवादियों के लिए खुलकर खेलने का द्वार उन्मुक्त कर देता है और विडम्बना मात्र रह जाता है।" अपने बढते हुए प्रभाव, कीर्ति और यश के साथ इन सस्थाओं के भरेपूरे कोष ने अनायास ही इन अवसरवादियों को आमन्त्रण दे डाला। उसका पवित्र विधान, इनके हथकडो से, 'वरदायी' न रहकर, आज अभिशाप बन गया है।

यदि किसी देश की राष्ट्र भाषा का अर्थ यह होता है कि राष्ट्र की वह वाणी जिसका व्यवहार राष्ट्र व्यापक रूप में करता रहा हो और जिसमें राष्ट्र की विचार-राशि प्रस्फुटित होती रही हो, उसकी आशायें और अभिलाषायें जिसमें मुखरित हो और राष्ट्र के आदर्श जिस वाणी के साहित्य में अपनी अमरता प्राप्त कर चुके हों, तो इस रूप में भारत की राष्ट्र-वाणी सस्कृत काल के बाद निस्सदेह ही हिन्दी को मानना पडेगा। यह केवल व्यापक रूप में व्यवहृत ही नहीं होती रही है, वरन् देश के कोने-कोने में फैली हुई प्रतिभा इसी में संचित युगों की ज्ञानराशि से अनुप्राणित होती रही है। जब देश की शासन-व्यवस्था पर हमारा अधिकार ही नहीं था, शासकवर्ग युगो से हमारी एकता को छिन्न-भिन्न करके टुकडो में बाँटकर हमारी निरीहिता से लाभ उठाने का ही कायल था, तब ऐसी विवशता में चर्चा ही क्या हो सकती थी, हमारी राष्ट्र्यता की, या राष्ट्र-भाषा की। किन्तु हमारे देश में स्वतन्त्रता के सूर्य की रश्मियों के फूटने के साथ ही हमारे हृदय में राष्ट्रीयता का जग उठना स्वाभाविक परिणाम है। वह राष्ट्र ही कैसा जिसकी अपनी राष्ट्रीय वाणी न हो, और अपने राष्ट्रीय आदर्श न हों, या न हो राष्ट्रीय सस्कृति? इस सत्य की प्रेरणा से यदि

हिन्दी आज राष्ट्र की भाषा के पद पर आसीन हो गई तो यह उचित ही था। सच तो यह है कि इसकी वैधानिक घोषणा में भले ही कोई नवीनता हो, वैसे तो अपने पद पर यह हमेशा से आसीन रही है, और अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करती जा रही है। गुलामी की मदिरा में चूर हमारे देशवासी जहाँ अपने को ही भूल बैठे थे, वही यदि अपनी राष्ट्रवाणी की पावनता के प्रति भी उदासीन बने रहे हो, तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं? सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी सभा जैसी सस्थाओं ने उन्हें इस ओर भी सचेत कर दिया। यही क्या कम है?

निठल्ले आलोचक अब आज विशेष रूप से यह कहते सुने जाते हैं कि अब शक्ति को "हिन्दी प्रचार में लगाना-उसका दुरुपयोग करना है। अब तो हिन्दी साहित्य के विविध आवश्यक एवं उपयोगी अंगों की पूर्ति ही की जानी चाहिये, -इत्यादि इत्यादि"। यह सुझाव निस्सदेह उचित ही है। लेकिन इसमें भी सदेह नहीं कि हमारी सस्थाएँ अपने इस उत्तरदायित्व के प्रति भी निरा उदासीन नहीं रही हैं। पिछले अनेक वर्षों के कार्य का यदि लेखा-जोखा लिया जाय, तो यह स्पष्ट है कि हिन्दी-प्रचार-कार्य बहुत अंश में विविध परीक्षाओं की व्यवस्था के माध्यम से ही होता आ रहा है। इन परीक्षाओं के निमित्त पाठ्यक्रम में रखने योग्य साहित्य की रचना भी करानी ही पड़ी थी, जिसके मिस निस्सदेह ही साहित्य के अनेक अंशों को-अच्छी पूर्ति हुई है, और यह भी रचनात्मक कार्य अपने ढंग का ठीक ही था। लेकिन आगे चलकर-जैसे ही हिन्दी की परीक्षाएँ अधिक जनप्रिय हुईं, उनका क्षेत्र व्यापक हुआ, परीक्षार्थियों की संख्या में आशा-तीत वृद्धि हुई, त्योही दुर्भाग्य से घनलोलुप प्रकाशक इस ओर स्वार्थ-साधन के निमित्त अनायास ही आकृष्ट और उत्साहित हो उठे और धीरे-धीरे पैसे के बल पर न केवल ऐसी सस्थाओं के सचालक ही बन बैठे, वरन् इसकी हर नीति के ठेकेदार भी बन बैठे। ऐसे-ऐसे नियमों और उपनियमों की सृष्टि कर दी गई कि पाठ्यक्रम में निजी प्रकाशनों को छोड़कर अन्य पुस्तकें चाहें जैसी भी उपयोगी क्यों न हो, स्थान नहीं पा सकती और इस का अर्थ था इन गिने-चुने साहित्य के ज्ञान से शून्य, सेवा की भावना से कोरे, पेशेवर सत्ताधारी प्रकाशक-दल के द्वारा उपस्थित किया गया वह सस्ता और निकम्मा साहित्य, जो इन्हीं के भाई-बन्दों की सस्ती कलमों का प्रसाद था और जो इन्हीं के निजी छापेखाने के मुद्रण की कुरूपता का

प्रतोक था। इन्हें तो मतलब था केवल पैसे गिनने से। इन लक्ष्मी-लोलुपो से और आशा ही क्या हो सकती है? दलवदी के ये कुशल खिलाडी एक बार साहित्यिको के इस तपोवन में क्या घुस पड़े, कि फिर आज तक उनके बोझिल प्रभाव से ये पवित्र सस्थाएँ उबर ही नहीं सकी।

इस प्रकार इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की बाढ़ के अनुपात में ही पाठ्यक्रम की पूर्ति के बहाने तथाकथित साहित्यिक प्रकाशनो की भी बाढ़-सी आ गयी। छपे कागज का अम्बार लग गया लेकिन उसके भीतर सार कितना था या हिन्दी साहित्य की श्री-वृद्धि कितनी हुई यह सशयात्मक है।

अयोग्य व्यक्तियों के सिर पर सत्ता का सेहरा जब कभी दैवयोग से बँध जाता है तो शक्ति का दुरुपयोग होना तो निश्चित ही है, साथ ही सेहराघारी ये अर्थलोलुप 'इन्द्र' की तरह जीवन में प्रतिक्षण योग्य एव मनस्वो व्यक्तियों की साया से भी भयभीत हुआ करते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहा है साहित्य सम्मेलन का अखाड़ा। अपने गिरे दिनों में भी समय-समय पर इसे स्व० डा० अमरनाथ झा, महापंडित राहुल साकृत्यायन, कुलपति डा० रामप्रसाद त्रिपाठी जैसे निस्वार्थ साहित्यसेवियों का सहयोग प्राप्त होता ही रहा, किन्तु इस 'इन्द्रो' की सभा में उनका आदर और सम्मान न हो सका। इसके अरब तक के सचालको की सहज कायरता अनर्गल बाजारू नारो की खतरे की घटी बजा-बजाकर इनसे बचने की चेष्टा भी करती रही। इसी दुर्नीति का परिणाम यह हुआ कि ठोस कार्यकर्ताओं से युक्त, सम्मेलन के द्वारा ही सस्थापित एव परिचालित, 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिये वर्षों पहले सम्मेलन से अपना पल्ला छुड़ा लेना पडा। इससे केवल इतनी ही हानि नहीं हुई कि सम्मेलन ने कितने ही उच्चकोटि के सेवको का सहयोग खोया, वरन् इसी का विषाक्त परिणाम है कि आज राष्ट्रभाषा की एकसूत्रता देशव्यापिनी नहीं हो रही है। एक नहीं अनेक प्रतिद्वंदी सगठनो की सृष्टि हो गई है और होती जा रही है। अपेक्षित सगठनो की दृढता के अभाव के इन क्षणों में कितने ही अवसरवादी इधर-उधर अपनी ढपली और अपना राग बजाने का अनुचित सुयोग पा गये हैं। पारस्परिक खीचतान का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि सम्मेलन की परीक्षाओं में योग्यता का पैमाना गिरता चला जा रहा है। गिनती के लिये रत्नो और विशारदो और विद्यावाचस्पतियों की सख्या में वृद्धि भले हो रही हो, किन्तु वास्त-

विक योग्यता के दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। इसका भयावह दुष्परिणाम यह है कि कुछ ही काल में हमारे भावी साहित्य का निर्माण अयोग्य और अधकचरे हाथों में पडकर अपना महत्व खो बैठेगा।

भारत आज स्वतंत्र देश है, ज्ञान गुस्ता का दावा उसका अति प्राचीन रहा है। हमें भूलना न होगा कि आज हमारी होड़ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्तर्प्रातीय नहीं है, वरन् अन्तर्राष्ट्रीय है। आज के हिन्दी साहित्य को खड़ा होता होगा अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, जर्मन और अमेरिकन साहित्य के मुकाबले में। कल तक हम गुलाम थे, अपनी विविध अयोग्यताओं एवं हीनताओं का ठीकरा हम अपने शासकों के मत्थे मजे से फोड़ सकते थे किन्तु आज वह दलील काम न देगी। साहित्य का निर्माण सस्ता नहीं हुआ करता और न उसके पैमाने किसी के अपने होते हैं। उसका-खरापन किसी भी देश या जाति की वास्तविक उन्नति, उसकी अर्जित ईमानदारी और तपस्या की कसौटी पर निखरा करता है। यदि यह सत्य है तो हिन्दी के कर्णधारों की भावी नीति क्या होनी चाहिये यह बताने की आवश्यकता नहीं।

हिन्दी आज केवल हिन्दी भाषा-भाषियों की ही नहीं, भारतीय राष्ट्र की पवित्रवाणी है। राष्ट्र के सच्चे सेवकों द्वारा युगो पहले राष्ट्रवाणी के प्रासाद की नींव डाली गई थी, अगणित मनस्वियों और तपस्वियों की लगन से। आज वही प्रासाद अपने उत्तुंग शिखर को स्वतंत्र भारत के गगन में उन्नत किए हुए सात्विक गर्व के साथ खड़ा हो सका है और वह शुभ मुहूर्त आ उपस्थित हुआ है कि हमारा राष्ट्र उसे अपनाकर उसके द्वारा सत्सारा में अपना मस्तक ऊँचा कर सके। इने गिने गुमराह स्वार्थ-सोलुप व्यक्ति अपनी नासमझी में उसकी नींव कमजोर न करने पावें इसी में राष्ट्र का कल्याण है। यह भूलना न होगा कि यदि विवेकीजन इस समय अपना कर्तव्य भूल गये, बाँझित दृढता खो बैठे और कहीं दुर्भाग्य से इन नासमझों को खुलकर खेलने का मौका दे दिया गया तो यह गगनचुम्बी प्रासाद एक चार गिरकर फिर बनाये न वनेगा।

“मैयखानाए योरोप के कुछ ढंग निराले हैं लाते हैं सुखर अक्वल देते हैं शराब अखिर”

सदियों का यह गुलाम भारत न जाने किस पुण्य के कारण अभी उस दिन फिर एक बार उन्मुक्त वातावरण में साँस ले सका। स्वाधीनता-समीर की मादकता सहज और वर्णनातीत होती ही है। पिंजड़े का बन्दी पक्षी यदि भाग्य से खुल पाये तो उसके शरीर और मन में एक विचित्र द्वन्द्व होता है। मन उठकर आकाश छू लेना चाहता है, किन्तु बन्दी जीवन में क्षीण हुए डैने उड़ने नहीं देते, बारम्बार फिर उसी पिंजड़े की शरण लेने का सकेत देते हैं। हमारी यह दशा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा राष्ट्र भाषा, राष्ट्र लिपि इत्यादि के क्षेत्रों में जितनी स्पष्ट देखी जा सकती है उतनी कदाचित् अन्यत्र नहीं।

नेता-बहुल आज का भारतीय समाज कुछ सकटापन्न सा हो रहा है, जिसे देखिये वही, जो ज़रा जुबान खोल सकता है या जोर से बोल सकता है, वह किसी न किसी प्रकार के विद्वान-प्राप्त स्वातन्त्र्य के नाम पर अपनी बात केवल कहना ही नहीं चाहता वरन् उसे सबको मनवा देने का भी अपना अधिकार समझता है।

देश स्वतंत्र हो गया लेकिन स्वातन्त्र्य-युद्ध के प्रारम्भ में ही तिलक, गोखले, श्रीनिवास शास्त्री, महात्मा गाँधी प्रभृति नेता राष्ट्र भाषा-शस्त्र की अमोघता को पूर्ण रूप से समझ चुके थे। स्वतंत्रता के दुर्लभ वरदान की प्राप्ति में जहाँ अन्य विविध बलों की सहायता ली गयी थी, वही स्वयं-सिद्ध राष्ट्र भाषा का अपना बल भी किसी से कम महत्वपूर्ण न था और शायद इस तथ्य से किसी भी ईमानदार भारतीय को इनकार भी न हो सकता था। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि स्वतंत्र हो जाने के बाद देश के विविध नेतागणों को न जाने क्यों राष्ट्र भाषा की उपयोगिता, आवश्यकता

तथा उसके रूप इत्यादि के सम्बन्ध में फिर से कायल होने की आवश्यकता प्रतीत हुई। असामयिक असमजस का यह स्वाग कुछ अनपेक्षित रहस्य से आवृत्त जान पड़ता है। कहावत प्रसिद्ध है, 'बुरी आदतें बहुत देर में पीछा छोड़ती हैं।' भले ही स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये हमें खून की नदियाँ न वहानी पड़ी हो, किलेवदी करके युद्ध न करना पडा हो, किन्तु सघर्ष तो करना ही पडा था और यह सघर्ष-काल एक दो दिन का नहीं, कम से कम पूरे अठत्तर वर्ष का तो था ही और धीरे-धीरे सघर्षप्रिय हो जाना ही शायद इस पीढी के लोगो का स्वभाव भी बन गया होगा। क्योंकि आज भी हम प्रायः देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में अपने पुराने लडाकू स्वभाव के कारण निर्माण और सहमति की कम, विरोध की ही अधिक प्रवृत्ति हम में रहती है। यह फल है बुरी आदत का और इस प्रकार के अवाछनीय कठमुल्लेपन में सस्ती लीडरी का शौक भी अपना हाथ कम नहीं रखता, क्योंकि रूप-रेखा में यह युग जनतन्त्रता का है जिसमें स्वार्थ-साधना की हर मञ्जिल में किसी न किसी प्रकार की नेतागिरी, आवश्यक शर्त है। विधान परिषद् देश की प्रतिनिधि सस्था थी। उसे सभी अधिकार दे दिए गये थे पूर्ण विश्वास के साथ। उसने अपनी पूर्ण-विवेक-बुद्धि से देश और जाति के हित को दृष्टि में रखते हुए निष्पक्ष निर्णय कर दिया कि, जाति-सेवा का गुस्तर भार देश की सबसे अधिक समर्थ जनवाणी हिंदी के ही कंधों पर रखा जाय।

आज के स्वतन्त्र भारत में सतयुगी ईमानदारी की किरणें तो अभी नहीं फूटी, लेकिन हाँ मेधावी-कहलानेवालो में भी, उनके मन का मूल अवश्य मचल-मचल कर उफनाने लगा है। इस कोटि के लोगो को देखने से तो कुछ ऐसा लगता है कि स्वराज के नाम पर स्वतन्त्र शासन तो इनके लिये गले पडा ढोल है, लेकिन शायद खुश ये गुलामी में ही अधिक थे, क्योंकि आज भी इनका दावा है कि ये ख्वाब अंग्रेजी में ही देखते हैं। पुस्तैनी गुलामी इनके दिलो में कुछ इस तरह घर कर बैठी है कि ये अपनी वाणी तथा बुद्धि को अंग्रेजी न सही, अंग्रेजियत के हाथ ही कौडी मोल बेचने को तैयार बैठे हैं। साथ ही धेलवे में रहा-सहा ईमान भी डडी पर चढा हुआ है। इनकी राय में मुक्ति भागे इनकी बलाय। 'और अपने इस विलक्षण दृष्टिकोण के पीछे पगपग पर इन का आधार है 'स्वतन्त्र भारत के नागरिक का विचार-स्वातन्त्र्य का अधिकार।'

यहाँ तक बात गलत नहीं। स्वतंत्रता के युग में 'विचार स्वातन्त्र्य' की स्वीकृति तो जनतंत्रता की भित्ति की पहली ईंट मानी जाती है। लेकिन 'विचार स्वातन्त्र्य और 'वृद्धि स्वातन्त्र्य' दोनों एक ही नहीं। और परम वन्द्य तथा चिरवाञ्छित स्वतंत्रता भी व्यावहारिक क्षेत्र में परतंत्रता से भी अधिक कठोर आत्म-संयम एवं आत्म-नियमन की अपेक्षा करती है, अन्यथा शायद स्वतंत्रता का वरदान क्षणों में ही उच्छृंखलता के अभिशाप में परिवर्तित हो सकता है और तब देखते-देखते लोग क्रिया-स्वातन्त्र्य का अधिकार बिना भागे ही अपना समझ कर ले बैठ सकते हैं और जीवन, क्या सामाजिक, क्या राजनीतिक, और क्या चारित्रिक, विभीषिका में परिवर्तित हो सकता है।

अभी उस दिन भारत के ही क्यो, शायद अन्तर्राष्ट्र के माने हुए एक नाहित्यिक महारथी के दर्शन हुए। कितनी भाषाएँ और कितने साहित्य उनके पांडित्यपूर्ण अध्ययन से पवित्र हो चुके हैं, यह कहना कठिन है। हिन्दी का प्रश्न भी शायद युगों से उनके चिन्तन का विषय रहा है, इसकी गुत्थी सुलझाने या उलझाने में भी उनका योग कम नहीं। समर्थक तो वे आज भी अपने आप को हिन्दी का ही घोषित करते हैं। किन्तु घोर स्वतंत्रता के इस युग में भी हिन्दी या राष्ट्रभाषा, व्याकरण या परम्पराओं की मर्यादा में बँधी हुई, उन्मत्त उच्छृंखलता की अधिकारिणी न हो, यह इन हिन्दी-हितैषी महोदय को पसन्द नहीं। हिन्दी को यह अधिकार वे दिलाना चाहते थे 'वैज्ञानिक ढंग से' या तथाकथित वैज्ञानिकता की आड लेकर। पग-पग पर उनके पांडित्यपूर्ण व्याख्यानों में समस्या उठती सी देख पड़ती थी कि हिन्दी के विविध शब्दों का लिंग-भेद किन तर्कों पर आधारित है? हिन्दी के मुहावरे और उसकी प्रचलित कहावतें किन तर्कों से समर्थित हैं और यदि हिन्दी के समर्थक उचित और मान्य तर्क देने में असमर्थ हैं तो कोई कारण नहीं कि ऐसे विवादास्पद व्याकरण के प्रतिबन्ध तोड़ न फेंके जायें?

नि सन्देह! आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है और इसकी मान्यता भी यही है कि वैज्ञानिक अपनी सिद्धि तभी प्राप्त कर सकता है, जब वह प्रत्येक प्रस्तुत विषय की छानबीन इस छोटे शब्द 'क्यो' की कसौटी से प्रारम्भ करके अन्त तक अपनी जिज्ञासा शान्त करता चला जाय और हर कदम पर दूसरे प्रश्न 'कैसे' का निष्कर्ष भी प्रस्तुत करने में समर्थ हो। सिद्धान्त भौतिक विज्ञान की दुनियाँ का यह धर्म अमान्य नहीं कहा जा

नकता, किन्तु क्या यह भी बताने की आवश्यकता होगी कि प्रत्येक क्षेत्र का वर्ध अपना अलग-अलग हुआ करता है ? अच्छा होता यदि कोई पंडित यह सिद्ध कर सकता कि व्याकरण के नियम—चाहे किसी भाषा के क्यों न हो—तर्काधारित होते हैं। जहाँ तक विदित है ससार में 'संस्कृत' और 'अरबी' यही दो भाषाएँ ऐसी मानी जाती हैं जिनका व्याकरण केवल पुष्ट ही नहीं, वरन् पूर्ण वैज्ञानिक भी माना जाता है। हिन्दी अंग्रेजी या अन्य किसी प्रचलित भाषा की तो बात ही क्या, क्योंकि प्रतिक्षण नवरूप ग्रहण करते रहना ही इनका जीवन है। लेकिन क्या संस्कृत और अरबी ही अपने व्याकरण-सिद्ध प्रत्येक निर्णय की कैफियत देने के लिये प्रस्तुत हैं ?

'द्वार' जैसा शब्द जो नैसर्गिक लिंग भेद से युक्त स्त्री वाचक है। लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग की कोटि में कैसे परिगणित हुआ ? अरबी भाषा के शब्दों की 'ज' ध्वनि के लिये कहीं 'जेर', कहीं 'जेवर' के विविध निर्धारण किन तर्कों पर आधारित हैं ? 'पी' 'यू' 'टी'—'पुट', 'वी' 'यू' 'टी' 'वट' किस न्याय से समर्थित हैं ? 'स्किन' जिसका अर्थ है चमड़ा, 'गैम' जिनका अर्थ है खेल, यह 'स्किनगेम' कहाँ से किस ध्वनि के मध्ये घोखाघड़ी का अर्थ ले बैठा है ? बगाल में 'पटल' का अर्थ होता है, परवल और 'तोला' का अर्थ है उठाना, यह 'पटलतोला' मुहाविरा बंगला भाषा में 'मृत्यु' का वाचक कैसे हो बैठा ? यह आज तक किसी जिज्ञासु ने पूछने की जुरत नहीं की। तब समझने में जरा असमजस होता है कि अनावश्यक न्याय और तर्क का यह प्रेम हिन्दी के सम्बन्ध में ही क्यों इतना जोर पकड़ जाया करता है। अन्य भाषा-क्षेत्रों में व्याकरण-विषयक मान्यता है बोल-चाल की पुष्ट परम्परा, किन्तु हिन्दी में माग की जाती है तर्क और न्याय की। अंग्रेजी के लिए उन्हीं आदरणीय विद्वान् के कथनानुसार वर्नाड शा की दी हुई 'ब्रोकन इंगलिश' की उपाधि अंग्रेजी का आभूषण है, किन्तु हिन्दी व्याकरण की तथाकथित तर्कशून्यता हिन्दी की व्याधि है और शायद उसका कलक !

हिन्दी राष्ट्रभाषा क्या मान ली गयी, जान पड़ता है हिन्दीवालों पर बड़ा भारी अहसान किया गया। हमसे माग पेश की जाती है कि अहिन्दी भाषा-भाषी जब हिन्दी सीखेंगे तब हिन्दीवालों को अनिवार्यरूप से अन्य किनी प्रान्त की भाषा सीखनी होगी। घुड़दौड़ का एक नियम तो बहुत दिनों से सुना जाता है, कि दौड़ होने के पहले घोड़े तौले जाते हैं, जिसका

वजन कम होता है उसे बढ़ाकर अन्य भारी घोड़ों के समान करने के लिए उसकी पीठ पर शीशे की थैलियाँ बाँध दी जाती हैं। वहाँ का यह नियम तो समझ में आता है, क्योंकि वह अट्टा है जुआड़ियों का, आना-पाई जोड़ने वाले, असात्विक भावना वाले प्राणियों का, किन्तु ज्ञान का क्षेत्र अपनी स्वाभाविक प्रेरणा से ही आमूल सात्विकता का क्षेत्र है। इसमें लेन-देन की यह ओछी भाग क्या अर्थ रखती है? भाषा सीखना बुरा नहीं। एक ही भाषा क्यों, यदि कोई ससार की सभी भाषाएँ सीख ले तो अच्छा ही है, किन्तु यह अनोखी भाग कैसी और क्यों?

इनकी एक शिकायत और है, कि हिन्दी भाषा-भाषी हिन्दी की राष्ट्रभाषा की स्वीकृति के लिए अन्य भाषाभाषियों के उपकृत क्यों नहीं होते। यदि यह उपकार हिन्दीवालों पर इस निमित्त रखा जाता है, कि जैसे उन पर किसी प्रकार का अहसान किया गया हो, तो हमें कहने में सकोच न होना चाहिए कि यह भाग घृणित है और उपेक्षणीय भी। किन्तु हाँ यदि इसके पीछे भावना यह हो कि यह महत्वपूर्ण मान्यता जातीयता की सत्प्रेरणा की द्योतिका है, तब जरूर हिन्दी भाषा-भाषी केवल हर्षित ही नहीं होंगे वरन् देशवासियों को मुक्तकंठ से उनकी सद्बुद्धि के लिए और उनकी सत्चेतना के लिए बधाई देंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे। वह दिन दूर न होगा जब देश का बच्चा-बच्चा, चाहे वह किसी अंचल का क्यों न हो, इस महत्वपूर्ण राष्ट्र भाषा के निर्णय के लिए अपने को घन्य मानेगा। और हिन्दी-वाले राष्ट्र सेवा में किसी से न पीछे कभी रहे हैं, और न रहेंगे। यदि राष्ट्र भाषा की मान्यता हिन्दी के लिए गौरव की वस्तु है, तो इस गौरव को धारण करके हिन्दी ने अपना उत्तरदायित्व भी असाधारण और असीम कर लिया है। हिन्दी भाषा-भाषी अपने इस पावन कर्तव्य से उदासीन नहीं।

‘ये हैं इस क़दर मुहज्ज़ब, कभी ‘मां’ का मुँह न देखा’

ज्ञान-प्राप्ति की चेष्टा मनुष्य में जितनी स्वाभाविक है उतनी ही या उससे भी अधिक प्रबल इच्छा उसमें आत्म-प्रकाशन की भी है। युगो से होनेवाली साहित्य की निरन्तर वृद्धि का यही रहस्य है। मनुष्य की मानसिक उन्नति के यही दो साधन हैं। प्राचीनतम काल से लेकर आज तक की सारी सभ्यता की नींव इन्हीं आधारों पर है। यही प्रेरणा एक देश को दूसरे देश के प्रति या एक जन-समूह को दूसरे जन-समूह के प्रति आकर्षित करती रहती है। इन्हीं भावनाओं के वश ज्ञान का पारस्परिक विनिमय हुआ करता है।

अन्य समकालीन सभ्य देशों के साथ भारत का ज्ञान विषयक आदान-प्रदान बहुत पुराना है। यह कहना निराधार होगा कि भारत का पाश्चात्य देशों के साथ परिचय अंग्रेजी शासन के बाद या उसकी बदौलत हुआ था, अंग्रेजों या उनके शासन काल की तो बात ही क्या, अपने छोटे से टापू में जब ये सभ्य भी न हो पाये थे, उस समय भी भारत अपने ज्ञान के प्रकाश से दुनिया के अंधकार को मिटाने की कोशिश कर रहा था।^१

न केवल दार्शनिक सिद्धान्तों का निदर्शन ही, वरन् सामाजिक जीवन की जटिल ने जटिल समस्याओं का हल भी भारतीय प्रतिभा की ही देन है। गम्भीर तत्वों की गम्भीर गवेषणा ‘मानव चिन्ता’ की उच्च साधना कहलाती है। लेकिन अपने उच्चतम शिखर पर पहुँचकर ज्ञान का सलिल जब सरस होकर सुलभ स्रोतों द्वारा प्रवाहित होने लगता है, तब उस समय साधना की चरम सीमा का संकेत मिलता है। यह सौभाग्य ससार की सभ्यता के इतिहास में कितने देशों को प्राप्त हो सका ?

१ ‘मात और अरब के सन्ध’—सुलेमान नदवी

दार्शनिक और विचारक तो प्रायः सभी देशों में होते आए हैं किन्तु अन्य सभी देशों में तत्त्वचिन्ता तथा तत्व-साधना अपने प्रकट रूप में प्रायः गम्भीरता की परिधि से बाहर नहीं निकल सकी। परन्तु उस और प्राचीन भारत का प्रयास असाधारण था। हमारे तमाम पुराने कथा-संग्रह^१ इसके प्रमाण हैं। गहरे से गहरे सत्य, ज्ञान की दुरूह गुत्थियाँ, सुलझकर केवल दार्शनिक के दिमाग तक ही सीमित न रही, वरन् इन सरल कथाओं द्वारा, जिनमें कभी-कभी विविध पशु-पक्षी ही माध्यम हैं, सारे सत्य जनसाधारण की सम्पत्ति बना दिये गये थे। ज्ञान का इतना सर्वव्यापक तथा विस्तृत प्रकाशन इससे पहले कब और कहाँ हुआ था? क्या आज भी यह सिद्ध करना होगा कि 'ईसप' की कहानियों या 'आरव्योपन्यास' जैसी प्रख्यात विदेशी ज्ञान-निधियों की नींव हमारे यहाँ के कोने-कोने में फैली हुई विविध कहानियों को सामने रख कर उठाई गयी थी। हमारे इन विस्तृत ज्ञान-स्रोतों से अपनी-अपनी प्यास बुझाने का उद्योग किस-किस देश ने नहीं किया? किन्तु कोई क्या अनुकरण की सीमा के आगे भी बढ़ सका? किन्तु यह अनुपम और असाधारण उदारता भी आज के प्राचीन भारत के आलोचकवर्ग को या तो सूझ ही नहीं पड़ती या उसमें वह कोई विशेषता ही नहीं देख पाता।

आए दिन प्राचीन भारत के आदरणीय आचार्यों पर व्यर्थ बुद्धि विलासिनी टिप्पणियाँ^२ देखने में आती हैं। ऐसी टिप्पणियाँ यदि मूढ़ व्यक्तियों द्वारा लिखी जातीं या उनका लक्ष्य केवल 'विषम द्वेष की भावना' तक ही सीमित होता, तब तो उनकी उपेक्षा भी कर दी जाती, केवल यह सोचकर कि, या तो लेखक का प्रमाद है या लेखक विदेशी 'हापकिन कम्पनी' का दलाल है। किन्तु खेद तो तब होता है, जब ऐसी निराधार कल्पना-प्रसूत टीका-टिप्पणी सत्य और न्याय की दुहाई देकर ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं जो 'परमज्ञानी' और 'अध्ययनशील' होने का भी दावा करते हैं। जब इन टीका-टिप्पणियों का मूल धार्मिक विद्वेष हो तथा इनका लक्ष्य

१ 'जातकों से लेकर महाभारत, उपदेश कथा मंजरी, हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित्सागर इत्यादि।

२. वाल्मीकि ने अयोध्या नाम का प्रचार किया, जब उन्होंने अपनी रामायण को पुत्र-मित्र या उसके शुभवंश के शासन काल में लिखा था' (विशाल भारत ७।१६४२ ५० ६४)

हो आदरणीय व्यक्तियों¹ द्वारा चिर सुपोषित और पूज्य सामाजिक व्यवस्थाओं तथा हमारी प्रियतम² कलाओं के विविध आदर्शों की ओर खिल्ली उड़ाना और वह भी तथाकथित विद्वत्ता की आड़ में, तब तो उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

घोर परिवर्तनों के इस युग में भी एक साधारण भारतीय अपनी सम्यता की उस दृढ़ नींव पर खड़ा है जिसको युगों की आंधी और ववन्दर भी न डिगा सके, और जो आज भी विनाश के यज्ञ में स्वाहा होने वाले सत्कार को शांति और सात्विकता का संदेश देने का दावा रखती है ?³ यह भारत का थोथा गर्व नहीं। हममें से जिन्हें भी विदेशी विचारको से मिलने का अवसर मिला होगा, वे कह सकेंगे कि प्रायः वहाँ का प्रत्येक समझदार व्यक्ति आज पाश्चात्य सम्यता के खोखलेपन का बड़ा बुरा अनुभव कर रहा है। उसकी उस दोहाई में यहाँ के नये संदेश की भिक्षा का संकेत भी प्रायः मिला ही करता है।

यह एक और घोर विपन्न परिस्थिति है कि विदेशी तो हमसे जीवन के आदर्शों और न्यायोचित सामाजिक संगठन की दीक्षा लेने के लिये उत्सुक हो, और हमारे यहाँ के स्वनामवन्धु विचारक विदेशी कलई पर कुछ इस तरह लट्टू हो जायें कि सत्य-असत्य का विवेक ही खो बैठें।

इन गुमराहों की केवल आलोचना ही काफी नहीं, वरन् यह भी देखने की आवश्यकता है कि उनकी इस अनपेक्षित गुमराहियत का कारण क्या है? सम्भव है इस दल के कुछ व्यक्ति केवल प्रमाद के ही शिकार हो, कुछ ऐसे भी होंगे जो 'बदनाम होंगे, तो क्या नाम न होगा', वाली

१ 'कदाचिद् व्यास और वाल्मीकि कोई व्यक्ति न थे, वरन् 'मुन्गरी' या 'लेखक' जैसे कोई पद रहे होंगे (विन्डरनीन 'भारतीय साहित्य का इतिहास और Ancient India by Rai Choudhury, P. 16)

२ रामायण की कथा में त्रिशूला का प्रभाव प्रत्यक्ष है' (वेद तथा उत्तरे आधार पर अनेक भारतीय)

3 "A civilization based on material prosperity has reached its height in the west, but along with its ascendency it has also out lived it self. To-day it stands bankrupt and spent up and India has once again to play its role as the giver of life and peace." (S. Radha Krishnan-Kamala Lectures I)

कहावत को चरितार्थ करके शायद सस्ती ख्याति की फिराक में हो। किन्तु कुछ का तो यही ईमान है कि भारतीय सम्यता जैसी अनुकरणीय या गर्व करने लायक शायद कोई चीज़ ही नहीं थी। वाल्मीकि, व्यास, राम या कृष्ण जैसी विभूतियाँ भी शायद कवि-कल्पना से अधिक कुछ नहीं, वर्णाश्रम धर्म जैसी सुदृढ़ एव सयत सामाजिक व्यवस्था 'ब्राह्मणो की वर्वरता के ज्वलत उदाहरण' के अलावा और कुछ नहीं। हमारी मूर्तिकला या स्थापत्य-कला या हमारे नाटक आदि यूनान इत्यादि पाश्चात्य देशों की देन के अतिरिक्त और कुछ नहीं।

आधुनिक युग की योरोपीय विचार-धारा से जिनका परिचय है वे भलीभाँति जानते हैं कि लगभग सत्रहवीं शताब्दी के अन्त से ही योरोपीय विद्वानों का भारतीय साहित्य एव कला से कुछ गहरा सम्पर्क हो चला था। इसका विस्तृत इतिहास भी एक रोचक कहानी है, किन्तु उसके लिए यह अवसर उपयुक्त नहीं है। यहाँ तो केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि लगभग १८ वीं शताब्दी के अन्त में तथा १९वीं के प्रारम्भ में योरोप के अनेक देशों में, जैसे जर्मनी और इटली में, विशेषकर भारतीय ज्ञान की खोज का विशेष उद्योग प्रारम्भ हो चुका था। न जाने वहाँ से कितने मेधावी विद्वान् सस्कृत, पाली, प्राकृत इत्यादि भाषाओं के सीखने में रात-दिन एक कर रहे थे और कितनों ही का शौक उन्हें भारतवर्ष तक खींच लाया था। यह शौक अगरेजों में भी बढ़ा, किन्तु इनमें अधिकांश व्यक्ति आई० सी० एस० दल के ही थे। यहाँ की कला, यहाँ का ज्ञान उन्हें भी आश्चर्य के पालनों में झुलाने तो लगा था, किन्तु वे एक क्षण के लिए भी यह न भूल पाते थे कि अगरेज होने के नाते ही वे यहाँ के शासक हैं। यह देश एक गुलाम देश है। इसकी सारी निधि शासक के उपभोग की वस्तु तो हो सकती है, किन्तु गर्व या सराहना की नहीं। और अपनी प्रत्येक मजिल पर यूनान के अरस्तू और प्लेटो को गुरु माननेवाले ये अगरेज यह सिद्ध करने की चेष्टा में ही लगे रहे कि चूँकि यूनान और भारत का सम्बन्ध बहुत प्राचीन है, अतः भारत की सम्यता और सस्कृति का एक-एक अंग यूनानी छाप से विभूषित है। अर्थात् अरस्तू और प्लेटो ही भारत के भी ज्ञान-गुरु सिद्ध कर दिये गये।

विदेशी शिक्षा और पश्चिम के सम्पर्क के साथ ही साथ मानसिक गुलामी की गहराई भी बढ़ने लगी और धीरे-धीरे परिस्थिति कुछ यहाँ

सके, यह भी बहुत अच्छा हुआ”

य ही शिकायत रहती है कि “क्या छापें—
व मिलते हैं, न फडकती हुई कहानियाँ ही।”
कि इन पत्र-पत्रिकाओं में रहता ही क्या है
त्वं किये जायें या इकसठ, बासठ करते हुए
जायें ? यदि इस प्रकार की शिकायत यदा-
ती भी कर दी जाती, किन्तु आये दिन का
य रखता है। यह दयनीय दशा केवल पत्र-
ही, प्रकाशित साहित्य के विविध अगो तक
ारतेन्दु जी के समय से अब तक सैकड़ों पत्र
के हैं। प्रकाशित पुस्तकों की संख्या हजारों
निकल चुकी, लेकिन वह भी आज के ससार
भाषाओं के प्रकाशित साहित्य की तुलना में
भी ठहरेगी ?

इस युग में जीवित रहने की अभिलाषिणी
गतिविधि की ओर से आंखें नहीं बन्द रख
हमारे साहित्य की उपर्युक्त दयनीय दशा का
क्या युगो तक ससार पर बौद्धिक शासन
भारतीय मेधा-शक्ति आज कुठित हो गई
रण कुछ और है ?

पाषाण भारतीय अन्य देश-निवासियों के
ही आ पाता था, किन्तु जापानी आतंक के
ारे देश का कोना-कोना विदेशी जातियों के
सा ही बन गया था और हमसे प्रत्येक

“तुम न अच्छा कर सके, यह भी बहुत अच्छा हुआ”

सम्पादको को प्रायः नित्य ही शिकायत रहती है कि “क्या छापें— न अच्छे सामयिक चूटीले लेख मिलते हैं, न फडकती हुई कहानियाँ ही।” पाठक भी परेशान रहते हैं कि इन पत्र-पत्रिकाओं में रहता ही क्या है जिसके लिए गाँठ के पैसे खर्च किये जायें या इकसठ, बासठ करते हुए पुस्तकालयो के दरवाजे झाँके जायें ? यदि इस प्रकार की शिकायत यदा-कदा सुनी जाती तो अनसुनी भी कर दी जाती, किन्तु आये दिन का यह उलाहना कुछ अर्थ अवश्य रखता है। यह दयनीय दशा केवल पत्र-पत्रिकाओं तक ही सीमित नहीं, प्रकाशित साहित्य के विविध अंगों तक यह रोग पहुँच चुका है। भारतेन्दु जी के समय से अब तक सैकड़ों पत्र उदय होकर अस्त भी हो चुके हैं। प्रकाशित पुस्तकों की मख्या हजारों की गिनती से भी बहुत आगे निकल चुकी, लेकिन वह भी आज के सप्ताह की अन्य प्रगतिशील पाश्चात्य भाषाओं के प्रकाशित साहित्य की तुलना में ‘पसधे’ से क्या कुछ अधिक भी ठहरेगी ?

प्रतियोगिताप्रधान आज के इस युग में जीवित रहने की अभिलाषिणी कोई जाति अपने साहित्य की गतिविधि की ओर से आँखें नहीं बन्द रख सकती। विचारणीय है कि हमारे साहित्य की उपर्युक्त दयनीय दशा का कारण क्या हो सकता है ? क्या युगों तक सप्ताह पर बौद्धिक शासन का एकच्छत्र राज्य करनेवाली भारतीय मेधा-शक्ति आज कुठित हो गई है ? या इस पिछड़ेपन के कारण कुछ और है ?

इस युग के पहले एक साधारण भारतीय अन्य देश-निवासियों के सम्पर्क में इतनी आत्तानी से नहीं आ पाता था, किन्तु जापानी आतक के कारण पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश का कोना-कोना विदेशी जातियों के प्रतिनिधियों का प्रायः अखाड़ा-सा ही बन गया था और हममें से प्रत्येक

आधार समय तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है और होता भी जाता है। क्या इसकी व्यवस्था^१ भारतीय सम्यता तथा समाज के विधायको ने नहीं की थी ?

हमारे दुर्भाग्य एव अन्वकार के लगभग ६०० वर्षोंके लम्बे चौड़े युग ने हमें कितना अधिक बदल डाला है कि हम अपने आपको भी भूल गये। इसी से दशा इतनी दयनीय हो चुकी है कि दिन के दिव्य प्रकाश की बात ही क्या, पश्चिम में जो टिमटिमाते वनावटी दीपक की रोशनी देख पडी तो उसी से हमारी आँखें चौंभिया गयी और हमें जिस रग में जो चीज दिखा दी गयी वही हम बाबले की तरह देखते रह गये। यह मतिभ्रम और यह विवेकशून्यता यदि शीघ्र ही दूर नहीं हुई तो यही कहना पड़ेगा कि “इनका इलाज क्या हो, ये लाइलाज हैं।”

१ 'देश काल और परिस्थिति शारत्र निर्माण के आधार होने चाहिये'। (पाराशर स्मृति २ श्लो० ६४)

आए दिन लेखको की दयनीय दशा पर आँसू बहाने का स्वाग देखा जाता है। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि यह ढोग भी रचा जाता है कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, जो अपना परिचय लेखक कह कर देते हैं। दावा तो किया जाता है दीन लेखको की वकालत का, परन्तु जिस ढग से यह वकालत की जाती है, वह उनकी सद्भावना का सशयात्मक रूप ही उपस्थित करती है। कुछ दिन हुए, कलकत्ते की एक विख्यात मासिक पत्रिका में इसी विषय का एक लम्बा-चौड़ा लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें एक प्राचीन किन्तु परम आदरणीय हिन्दी के सेवक की दरिद्रता की कर्ण कहानी का पर्दाफाश किया गया था। दयनीयता की पराकाष्ठा तो यह थी कि वह अपने जमाने का कलम का घनी अपने गिरे दिनों में 'प्रूफ-रीडरी' की भिक्षा भी न पा सका। अन्य चोटी के लेखको के आय-व्यय के खाते भी, उनके प्रतिवाद के बावजूद भी, जनता के सामने खोलकर रख ही दिये गये। उसी पत्रिका के एक और अंक में एक ऐसे ही ऊँचे दर्जे के कहानी-लेखक के जीवन की कर्ण कहानी खोलकर दुनियाँ के सामने 'जलील करने के लिए नहीं', (?) वरन् मंत्री की 'सौजन्यपूर्ण सहानुभूति प्राप्त करने के लिए' (?) सुनायी गई थी। आह भरे स्वर में अनेक सन्तानों के इस पिता ने लिखा था कि, "भाई मेरे! मैं तो दो टुकड़े रोटी और एक प्याले चाय पर इस जर्जर शरीर को किसी प्रकार रख भी सकता हूँ, लेकिन इन भूखे बच्चों को कैसे समझाऊँ ?"

यह तो निश्चित है कि उपर्युक्त सारे उद्धरण तथा दयनीय दशा के रहस्य छिपे थे व्यक्तिगत ढग से लिखे गए निजी पत्रों में और शायद प्रकाशनार्थ नहीं। लेकिन खुदा के बन्दे इन हमदर्दों (?) ने अपना फर्ज अदा करके ही छोड़ा। निजी पत्रों के ऐसे प्रकाशन को क्या उचित कहा जा सकता है? लेखक या कलाकार स्वभाव से ही अन्य जनो की अपेक्षा शायद अवििक ही सकोचशील एव तकल्लुफपसन्द होता है। उसका नैसर्गिक शील तथा आत्मसम्मान यह कभी भी स्वीकार नहीं करता कि वह ससार के सामने हाथ पसारता फिरे। गोपनीय, व्यक्तिगत राज्यों को केवल अपने सस्ते निजी 'प्रोपेगण्डा' के लिए इस तरह खोलकर रख देना औचित्य की सीमा के बाहर की चीज है। यदि कहा जाय कि सहानुभूतिपूर्ण सद्भावना की प्रेरणा से यह किया गया था, तो यह दावा भी झूठा ही सिद्ध होगा, क्योंकि यह या इसी कोटि के व्यक्ति यह कहते भी देखे गये

को किसी न किसी कारणवश एक क्या, अनेक के सम्पर्क में अधिक घनिष्ठ रूप से आना ही पड़ता था। इस घनिष्ठ सम्पर्क के बाद यह कहने में सकोच नहीं होता कि मेघा-शक्ति में आज भी एक साधारण भारतीय अन्य देशवालो से हाथ भर आगे ही है, अतः उपर्युक्त भय निर्मूल हो जाता है। किन्तु यह उपर्युक्त निष्कर्ष आज के हमारे साहित्य के पिछड़ेपन की समस्या का हल तो नहीं। तब क्या हम यह कहें कि शक्ति के होते हुए भी समुचित सुविधाएँ न होने के कारण हम इस होड़ में पीछे रह जाते हैं। माना कि पराधीनता का अभिशाप अनेक रूपों में हमारे पौरुष और हमारी शक्तियों का ह्रास किया करता था, लेकिन यह भी तो उतना ही सत्य है कि हमारी मेघा-शक्ति की बलि दी जा रही है हमारे ही इने-गिने स्वार्थान्वि स्वजनो के द्वारा।

युग बीत गये पत्र-संचालको एव पुस्तक-प्रकाशको से सुनते-सुनते कि "इन व्यवसायो में घरा ही क्या है? इस ओर कदम उठाते ही सिवा घाटे के लाभ का मुँह देखना नसीब नहीं होता।" लेकिन आश्चर्य की सीमा नहीं रहती यह देखकर कि यही 'घाटा देनेवाले' बिना किसी लाटरी का टिकट जीते या बिना किसी 'कोट्यधीश' पुरस्के की अपार सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त किये ही, कुछ ही वर्षों में लखपतियों की कोटि में बैठने के हकदार बनते देखे जाते हैं। चालीस रुपये की मास्टरी से जीवन प्रारम्भ करनेवाला व्यक्ति पत्र-संचालक बनते ही कुछ ही वर्षों में लाखों का स्वामी होकर लक्ष्मी का लाडला बन बैठता है। दस रुपये की औकात की परचून की दूकान का मालिक पुस्तक-प्रकाशक बनते ही सोने के ढेर पर आसीन हो घन्नासेठ कहलाने लगता है और यह सारा कायापलट हो जाता है, जिन्दगी भर 'घाटा देते-देते।'

कहावत यही प्रचलित है कि 'लक्ष्मी और सरस्वती में सनातन बैर है।' कहावत पुरानी है, गलत कैसे कही जाय? उपर्युक्त घटनाएँ आँखों देखी हैं, वे भी असत्य नहीं। तब हमारे देश में इसका रहस्य कदाचित् यही है कि सरस्वती के व्यवसायियों से नहीं, वरन् सरस्वती के सेवकों से ही लक्ष्मी का द्वेष है, क्योंकि उनमें सरस्वती की कृपा से कर्तव्याकर्तव्य, धर्माधर्म, उचित-अनुचित की प्रवृत्ति इतनी दृढ़ हो जाती है कि वे लक्ष्मी के प्रिय वाहनो की क्रूर एव मक्कारी की नीति का व्यवहार नहीं कर पाते, और न लक्ष्मी-कृपा के भाजन ही बन पाते हैं।

आए दिन लेखको की दयनीय दशा पर आँसू बहाने का स्वाग देखा जाता है। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि यह ढोंग भी रचा जाता है कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, जो अपना परिचय लेखक कह कर देते हैं। दावा तो किया जाता है दीन लेखको की वकालत का, परन्तु जिस टंग से यह वकालत की जाती है, वह उनकी सद्भावना का सशयात्मक रूप ही उपस्थित करती है। कुछ दिन हुए, कलकत्ते की एक विख्यात मासिक पत्रिका में इसी विषय का एक लम्बा-बौड़ा लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें एक प्राचीन किन्तु परम आदरणीय हिन्दी के सेवक की दरिद्रता की कथन कहानी का पर्दाफाश किया गया था। दयनीयता की पराकाष्ठा तो यह थी कि वह अपने जमाने का कलम का घनी अपने गिरे दिनों में 'प्रूफ-रीडरी' की भिज्ञा भी न पा सका। अन्य चोटी के लेखको के आग्र-व्यय के खाते भी, उनके प्रतिवाद के वाचजूद भी, जनता के सामने खोलकर रख ही दिये गये। उसी पत्रिका के एक और अंक में एक ऐसे ही ऊँचे दर्जे के कहानी-लेखक के जीवन की कथन कहानी खोलकर दुनियाँ के सामने 'जलील करने के लिए नहीं', (?) वरन् मैत्री की 'सौजन्यपूर्ण सहानुभूति प्राप्त करने के लिए' (?) चुनायी गई थी। आह भरे स्वर में अनेक सन्तानों के इस पिता ने लिखा था कि, 'भाई मेरे! मैं तो दो टुकड़े रोटी और एक प्याले चाय पर इस जर्जर शरीर को किसी प्रकार रख भी सकता हूँ, लेकिन इन भूखे बच्चों को कैसे समझाऊँ .?'

यह तो निश्चित है कि उपर्युक्त सारे उद्धरण तथा दयनीय दशा के रहस्य छिपे थे व्यक्तिगत ढंग से लिखे गए निजी पत्रों में और शायद प्रकाशनार्थ नहीं। लेकिन खुदा के वन्दे इन हमदर्दों (?) ने अपना फर्ज अदा करके ही छोड़ा। निजी पत्रों के ऐसे प्रकाशन को क्या उचित कहा जा सकता है? लेखक या कलाकार स्वभाव से ही अन्य जनो की अपेक्ष शायद अधिक ही सकोचशील एवं तकल्लुफपसन्द होता है। उसका नैसर्गिक गील तथा आत्मसम्मान यह कभी भी स्वीकार नहीं करता कि वह ससार के सामने हाथ पसारता फिरे। गोपनीय, व्यक्तिगत राज्यों को केवल अपने सस्ते निजी 'प्रोपेगेण्डा' के लिए इस तरह खोलकर रख देना औचित्य की सीमा के बाहर की चीज है। यदि कहा जाय कि सहानुभूतिपूर्ण सद्भावना की प्रेरणा से यह किया गया था, तो यह दावा भी झूठा ही सिद्ध होगा, क्योंकि यह या इसी कोटि के व्यक्ति यह कहते भी देखे गये

है—“श्री प्रेमचन्द ही केवल एक ऐसे लेखक हैं, जिन्हें हमारे यहाँ मे पाँच रुपये पृष्ठ के हिसाब से पुरस्कार दिया गया है, और वह भी इसी-लिए कि वे विचारे अत्यन्त आर्थिक कष्ट में थे।” इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द जी जैसा चोटी का कलाकार भी इनकी ओछी दृष्टि में पाँच रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से अधिक पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं था।

केवल यही नहीं, इन्हीं की कोटि के और भी कितने ही ऐसे स्वनाम-धन्य उदारमना सम्पादक हिन्दी-संसार के भाग्यविधाता बने बैठे हैं, जो निःसकोच लिख सकते हैं कि “हम तो अपने पत्र में प्रकाशित लेखों पर अधिक से अधिक छः रुपये प्रति लेख ही पुरस्कार देते हैं।” और तुराँ यह है कि इस प्रकार का फतवा देनेवाले सम्पादक वे हैं जो अधिकारी लेखकों के पास ऐसी गश्ती चिट्ठियाँ भेजते भी सकुचित नहीं होते कि “आप से अनुरोध है कि आप हमारे पत्र के लिए उत्कृष्ट रचनाएँ भेजें, क्योंकि अब हमने नियम बना लिया है कि हमारे यहाँ के प्रकाशित प्रत्येक लेख पर इतना पारिश्रमिक दिया जायेगा कि किसी भी सम्मानित लेखक को उसे स्वीकार करने में सकोच न होगा।” और, जैसा ऊपर बताया जा चुका है, इस महान् पारिश्रमिक की निधि है, रुपये छह !

विरला ही लेखक हिन्दी का ऐसा होगा जिसे ऐसी से भी पाला न पडा हो, जिन्होंने पारिश्रमिक भेजने का वादा करके भी लेख यो ही हडप न लिए हों। हिन्दी कविता के ‘नोबेल’ पुरस्कार-विजेता और उसके सिरमौर होने का दावा करनेवाले एक ‘अस्त’ पत्रिका के सम्पादक, अनेक पुस्तक-मालाओं से सुशोभित प्रकाशक महोदय यह कहते नहीं थकते कि कितने ही हिन्दी के निराले कवि अथवा उपन्यास-कला के देदीप्यमान रत्न उनकी अपार आर्थिक सहायता के ऋणी हैं। परन्तु उनकी यह उदारता फिसलती हुई देखी गई पचीस रुपयों पर कि दर्जनों पत्रों में वादे करके भी वर्षों तक यह छोटी-सी रकम अदा न हो सकी।

सौजन्य की आन-दान पर अपने को मिटा देनेवाला हिन्दी का वह ‘अक्खड त्रिशूली’, वेमुल्क का नवाब वह अमीर सागरी या वह अज्जी-मुश्शान’ कहानी कहनेवाला राजस्थानी चारण अपनी ऊँची से ऊँची योग्यताओं तथा प्रतिभा और उससे भी ऊँची अभिलाषाओं को लिए हुए ही

दाँदरता की निर्मम गोद में सदा के लिए तो गया और साहित्य के ये ठेकेदार आज भी रुपये गिनने में मस्त हैं।

स्वार्थान्ध, अर्थलोलुप व्यवसायियों को यदि छोड़ भी दें, तो देखा जाता है कि साहित्य-लेखियों का निरादर, उनका अपमान तथा उनकी कठिनाइयाँ प्रायः बढ़ाई गई हैं उनके द्वारा—जो स्वयं लेखक थे, और हैं। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। ये हिन्दी में आये दिन एक न एक बबण्डर उठानेवाले सज्जन स्वयं ही अपने विषय में लिखा करते हैं कि “अनेक वर्षों तक इन्होंने ‘लीडर’, ‘प्रताप’ इत्यादि कितने अखबारों की, जो उन्हें लेखक की हैसियत ने मुफ्त मिला करते थे, रद्दी बेच-बेचकर अपनी रोटियाँ चलायी हैं।” किन्तु, सम्पादक की गद्दी पर बैठते ही वह अपने उन दिनों को भूल गये। अन्य लेखकों को उन्हें यह लिखते नकोच नहीं हुआ कि ‘पुरस्कार या पारिश्रमिक देने का हमने अपने यहाँ नियम ही नहीं रखा है और भेंट के नाते यदि हम कुछ देते हैं तो किसी को भी सात रुपये से अधिक नहीं।’ मजाक तो यह है कि यही स्वनाम-धन्य सम्पादक ‘पुनः मुँपिको भव’ की कहावत को चरितार्थ करते हुए अन्य सम्पादकों को तथा पत्र-संचालकों को यह लिखने के लिए विवश हुए हैं कि ‘मैं लेखनी के द्वारा अपनी जीविका अर्जित करने के लिए बाध्य हूँ, आपके यहाँ लिखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ग्यारह रुपये प्रति लेख के हिमात्र से देने की दया करेंगे?’

मनुष्य अपने आपको कितनी जल्दी भूलता है यह देखकर आश्चर्य होता है। व्यवसायवृत्ति वाले पत्र-संचालक अथवा प्रकाशक यदि लेखकों की आलोचना करें तो दूसरी बात है, परन्तु हमारे सम्पादक जिन्होंने अपना जीवन लेखक की हैसियत ने ही प्रारम्भ किया था तथा शायद अन्त तक यही रह जाते हैं, वे यदि लेखकों के हितों के प्रति उदासीन हो जायें, तो अचञ्च ही है।

कहा जाता है कि लेखक अथवा कलाकार ऐसी अवाद्यनीय परिस्थिति में लिखते ही क्यों हैं? उनमें मैं यह कहूँगा कि यदि स्वार्थ का परदा एक क्षण के लिए वे अपनी आँखों पर नें हटा लें, तो उन्हें यह नमस्त्रनों में देर नहीं लगनी चाहिए कि सच्चा लेखक या सच्चा कलाकार जन्म से ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियों एवं प्रेरणाओं को लेकर आता है कि जो सुन्न या दुन्न, कष्ट या कठिनाई की परवाह न करके भी उसकी कला तथा

लेखनी को चैन नहीं लेने देती। सुविधाएँ तथा अनुकूल परिस्थितियाँ कला के उत्थान में बहुत सहायक होती हैं, किन्तु प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसी के विपरीत घातक सिद्ध होती हैं। यह प्रेरणा यदि सच्ची होती है, तो अजेय होना इसकी विशेषता है। उसका प्रादुर्भाव अवश्यम्भावी है। उसकी यह प्रेरणा अपनी तुलना में उस नैसर्गिक मातृत्व के समान है, जो माता को शिशु से स्नेह करने के लिए विवश कर देती है, पौधों में फूल लगाकर ही छोड़ती है तथा फलवाले वृक्षों को फलों से लादकर ही छोड़ती है।

प्रकाशको एवं सम्पादको पर कलाकार एवं लेखको का दायित्व कदापि न होता, यदि वे उनकी लेखनी तथा उनकी कला के बलपर व्यवसाय करके घनी दानने की अभिलाषा न रखते। कला का प्रकाशन भी यदि उसी सात्विकता की भावना से तथा निस्वार्थ वृत्ति से किया जाता, तब तो यह ससार शायद स्वर्ग बन जाता, लेकिन वास्तविकता को देखते हुए तो कुछ ऐसा समझना पड़ता है कि जिस प्रकार कलाकार या लेखक की प्रतिभा का उसकी लेखनी में फूट पड़ना अनिवार्य है, शायद उसी तरह अनिवार्य हो गयी है आज के व्यवसायी पत्रकार तथा पुस्तक-प्रकाशको की असात्विक द्रव्य के प्रति ममता एवं आसक्ति।

नोट-गुल-गपाडे की थोथी नीति से घृणा के कारण तथा व्यक्तिगत आक्षेपों को बचाने की नीयत से उल्लिखित व्यक्तियों, घटनाओं तथा चरित्रों के नाम नहीं दिये गये हैं, परन्तु पाठक विश्वास रखें कि उपर्युक्त प्रत्येक विवरण सत्य प्रमाणों के आधार पर है।

‘मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ’ !

‘वर्गीकरण’ हमारे भारतीय जीवन की एक परम्परागत विशेषता है। इसी के अनुसार व्यवसाय भी प्रायः यहाँ एक वर्ग विशेष की चीज़ बन गया है। जाति-विशेष से चाहे इसका सम्बन्ध न भी हो, किन्तु अन्य सभी प्रकार से जीवन का दृष्टिकोण कुछ ऐसे एक ही साँचे में ढला हुआ देख पड़ता है, कि इस कोटि के लोगों को एक वर्ग में रखना आवश्यक-सा हो जाता है। व्यक्तिगत रुचि-भेद एक अलग वस्तु है। किन्तु साधारणतः यह कहना गलत न होगा कि हमारे ‘व्यवसायी समाज’ का दृष्टिकोण साहित्य के प्रति प्रायः उदामीन-सा ही रहता है।

उपर्युक्त यह आलोचना यदि अधिक स्पष्ट की जाय तो पहले समझना होगा कि साहित्यिक रुचि का वास्तविक अर्थ क्या है तथा यदि उसका मूल्य आँकने की चेष्टा की जाय, तो वह क्या ठहरेगा ?

‘मानसिक योगदान’ को ही तो साहित्य कहते हैं। इसकी सीमा इतनी व्यापक तथा विस्तृत है कि उससे विल्कुल अछूता रह जाना किमी के लिए सम्भव ही नहीं। उस विस्तृत अर्थ में तो व्यवसायी समाज को भी आए दिन उसके सम्पर्क में आना ही पड़ता है। परन्तु यहाँ साहित्य के जिस पार्श्व की ओर सकेत किया जा रहा है वह साहित्य का ‘कलात्मक’ वर्ग है।

इसकी ओर रुचि भी अनेक प्रकार की हो सकती है। सांस्कृतिक ज्ञान तथा आनन्द के लिए उपर्युक्त प्रकार के साहित्य का पढ़ लेना एक बात है, परन्तु उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से साहित्य का अनुशीलन एक दूसरी चीज़ है। इसी प्रकार निर्माण के क्षेत्र में भी केवल धन की छोटी-मोटी सहायता से किमी साहित्य-सेवी के द्वारा कुछ लिखवा देना या प्रकाशित करा देना यह एक बात है, किन्तु स्वयं कुछ लिखना या

नियमित रूप से 'साहित्य सृष्टि' की ओर सचेष्ट, सक्रिय एव जाग्रत रहना एक दूसरी ही चीज है।

उपर्युक्त आलोचना का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि 'अनुशीलन' या 'नियमित साहित्य की सृष्टि' के दृष्टिकोण से हमारे व्यवसायी समाज का योगदान कुछ इतना कम रहा है कि उसे सतोपप्रद तो किसी अर्थ में भी नहीं कहा जा सकता।

राजपुताना को ही यदि लेकर देखा जाय, तो इससे कौन इनकार कर सकेगा कि देश की साहित्यिक निधि की जो अमर सृष्टि अनादि काल से वहाँ होती चली आई है, उसके ऊपर कोई भी देश या कोई भी जन-समुदाय सात्विक गर्व कर सकता है और यह भी कम सत्य नहीं कि देश का व्यवसाय आधुनिक युग में प्रायः वही के निवासियों का एकाधिकार है। रियासतो या उनके राजाओं की बात छोड़ भी दी जाय, तो लाखों और करोड़ों की तो बात नहीं, अरबों कमानेवाले व्यवसायी भी इसी राजस्थान के निवासी हैं, किन्तु उस 'अमर साहित्य के अनुशीलन' की तो बात दूर की है, उसकी सृष्टि, सकलन अथवा उसके उचित सरक्षण की ओर भी कितना उद्योग इस व्यवसायी समाज द्वारा किया गया है, यह एक प्रश्न है।

यदि यह समाज उचित साहित्यिक रचि रखता या इसके जीवन में साहित्य को भी उचित स्थान मिला होता तो जागरूकता के इस युग में इस अमर साहित्य के सरक्षण, उसकी नव-सृष्टि तथा उसके उचित पठन-पाठन के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता था? विशेष अध्ययन वाले विश्वविद्यालय, विशिष्ट केन्द्रों की तो बात ही दूर है, उस विशेष साहित्य के अध्ययन या अध्यापन के 'पीठ' (Chair) या उसके विशेष सग्रहालय तक आज कहीं नहीं देख पड़ते। समर्थ समाज की यह उपेक्षा कम दुखदायी नहीं।

केवल राजपुताना ही क्यों, उत्तर भारत की चप्पा-चप्पा जमीन भी साहित्य की सृष्टि तथा उसके निर्माण में प्राचीनतम समय से ही कितनी उर्वरा रही है इसे कौन नहीं जानता। इस विस्तृत भू-भाग के निवासियों का हाथ भी देश के व्यवसाय में कम नहीं रहा है। लक्ष्मी के कृपापात्रों की गणना में यहाँ के लोग भी किसी से पीछे नहीं ठहरेंगे। आधुनिक युग में भी लाखों के दान देनेवाले यहाँ पाये जाते हैं, परन्तु साहित्यिक रचि का उनके जीवन में भी प्रायः अभाव-सा ही देख पड़ता है।

माना कि जीवन की व्यस्तता में साहित्यिक अनुशीलन का इन कोटि के लोगों को अवसर नहीं, किन्तु यदि रुचि भी होती तो उमकी मृष्टि, उसके नरक्षण या निर्माण की चेष्टा तो इनमें भी देख पडती। किन्तु जब उमका भी अभाव हो तब रुचि या उत्साह मानने का क्या आवार हो नकना है? यह उदासीनता केवल व्यक्ति के लिए ही अवाछनीय नहीं वरन् सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी एक बड़ी त्रुटि है।

जीवन में साहित्य के प्रति उदासीनता का ही परिणाम है कि धीरे-धीरे मानसिक गुलामी की कडियाँ अधिक दृढ होती जाती हैं। अपनी सस्कृति का ज्ञान तो होने नहीं पाता, लेकिन अन्य अनिवार्य सम्पर्कों से विदेशी संस्कृति हम पर लदती चली जाती है। एक इतने बडे तथा प्रभावशाली समाज की यह दयनीय दशा राष्ट्रीय जीवनपर भी कम बुरा बुरा प्रभाव नहीं डालती।

लक्ष्मी के वरद पुत्र सरस्वती के भी वरद पुत्र न भी हो सकें तो कोई बात नहीं, किन्तु विमाता की-सी उसकी उपेक्षा सम्य एव द्वाष्ट समाज का सदाचार नहीं।

‘फिर खयाल आया के मूसा बेवतन हो जायगा’

अभी उस दिन ‘जनयुग’ में डाक्टर रामविलास शर्मा का एक लेख देखने में आया, जिसमें साहित्य सम्मेलन की विविध श्रुतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा है—पता नहीं साहित्यकारों से या सम्मेलन के कर्णधारों से—कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन किसकी सेवा करेगा ? हिन्दी साहित्य की या हिन्दू सम्प्रदायवाद की। यदि यह प्रश्न साहित्य-सेवियों से किया गया है तब तो यह इसलिए निरर्थक है कि प्रश्नकर्ता स्वयं ही एक जाने-पहचाने साहित्यसेवी हैं। दूसरों से न पूछकर इसका उत्तर वे अपने दिल से ही पूछ लेते, परिस्थितियों से पूछते, युग की बहती हुई धारा से पूछते और साहित्य के अतीत और वर्तमान से पूछते, तो उन्हें उत्तर अधिक उपयुक्त और काम का मिलता। किन्तु, यदि यह प्रश्न साहित्य-सम्मेलन के कर्णधारों से पूछा गया है तो और भी अधिक निरर्थक है। क्योंकि साहित्य-सम्मेलन की नींव की एक-एक ईंट साहित्य-सेवियों के द्वारा ही रखी गई है, उसकी सारी इमारत आज भी साहित्य-सेवियों के बाहुबल पर खड़ी है। उसके उत्तुंग शिखर पर भले ही इनेगिने दो-एक अनुपयुक्त व्यक्ति कभी किसी प्रकार पहुँच गये हों और वहाँ से उन्होंने थोड़ी-बहुत ताक-झाँक भी करली हो, यह बात दूसरी है।

डाक्टर रामविलास जी ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि इधर पिछले कई वर्षों से सम्मेलन का सारा ध्यान प्रायः प्रचार-कार्यों में ही केन्द्रित रहा, यह ठीक है।

लेकिन प्रचार कार्य में भी देखना होगा कि साहित्य के प्रचार में या भाषा के प्रचार में। सभी यह जानते हैं कि राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण राष्ट्रभाषा-प्रचार की समस्या उभरती ही उठी थी। सम्मेलन को छोड़कर शायद कोई दूसरी संस्था इस ओर अग्रसर होने के लिए तैयार

नहीं थी और उसे बरबस यह काम अपने सर पर लेना पड़ा, जिसका निर्वाह भी उसने खूब किया। हिन्दी भाषा का प्रचार क्या हिन्दी की सेवा नहीं कही जायेगी ?

डाक्टर साहव की शिकायत यह है कि सम्मेलन ने भाषा का प्रचार भले ही किया हो, लेकिन अहिन्दी भाषा-भाषियों के हृदय में उसने हिन्दी-साहित्य के प्रति श्रद्धा की भावना जाग्रत नहीं की। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, सम्मेलन तो भाषा के प्रचार में लगा हुआ था उस नाते साहित्य के प्रचार का दावा ही उसने कब किया था ? साहित्य-मृज्ज में या महत्त्वपूर्ण साहित्य सृजन में यदि ऋटियाँ रह गयी हैं, तो उनका उत्तर-दायित्व हमारे समर्थ साहित्यकारों पर है, हिन्दी की उन साहित्यिक सत्ताओं पर है जो अभी तक अपनी सेवाओं की यथेष्ट कैफ़ियत देने में असमर्थ रही हैं।

आज की बदनाम 'हिन्दुस्तानी' को ठुकराकर सम्मेलन ने हिन्दी का दृढता से समर्थन किया, उसकी इस नीति से भी डाक्टर रामविलास जी अधिक चिढ़े हुए जान पड़ते हैं।

हिन्दुस्तानी के समर्थन में डाक्टर साहव ने एक नयी और अनोखी सूझ में काम लिया है, जो शायद आज तक किसी भी भाषाविद् या हिन्दुस्तानी के कट्टर से कट्टर समर्थक के द्वारा भी नहीं दी गयी थी। वे कहते हैं, "हिन्दुस्तानी हिन्दी, उर्दू दोनों का ही आवार है।" स्पष्ट रूप से उनके इन कथन के दो ही अर्थ हो सकते हैं, एक तो यह कि हिन्दुस्तानी मूल है हिन्दी और उर्दू उसकी दो शाखाएँ हैं। दूसरा यह कि विपाक्त नाम्प्रदायिकता के इस युग में राष्ट्रवाणी की आवश्यकता की पूर्ति यदि हिन्दू-मुसलमानों को खुश रखकर किसी भाँति की जा सकती है, तो न हिन्दी कहकर न उर्दू कहकर, बरन् हिन्दुस्तानी के ढकोसले के द्वारा, दोनों को बहला कर। डाक्टर साहव का आशय यदि पहला है तो उन्हे तो भाषा-विज्ञान की नई खोज कहना पड़ेगा और, यदि दूसरा ठीक है तो, उसकी टीका-टिप्पणी बेकार है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से यह आत्मवचना का एक घृणित उदाहरण है।

नयुक्त-प्रान्त (उत्तर-प्रदेश) में बोली जाने वाली जन-साधारण की भाषा की ओर इंगित करते हुए, अपनी हिन्दुस्तानी के समर्थन का, उसे आपने अपना आधार माना है। यदि किसी अहिन्दी प्रान्त का कोई लेखक ऐसी बात कह

देता तो उसकी उपेक्षा की जा सकती थी। क्या यह भी बताना होगा कि सयुक्त प्रान्त (उत्तर-प्रदेश) की जनता अपने घरों में प्रति-दिन के व्यवहार में हिन्दी या हिन्दुस्तानी के साहित्यिक रूप का नहीं, वरन् हिन्दी की विविध बोलियों का यानी अवधी, वैसवाड़ी और ब्रज इत्यादि का व्यवहार करती है। यह साहित्यिक-हिन्दी, बोली के रूप में यदि कही व्यवहृत होती है तो विजनीर और मेरठ के पार्श्व में और अपने परिमार्जित रूप में, शिष्ट समाज में, शिष्टाचार के वातावरण में, न कि घरेलू वातावरण में, और उर्दू तो जनसाधारण के जीवन में कही आती भी नहीं। 'आदाब' और 'अलकाब' से लदी हुई यह भाषा यदि कही चलती है, तो केवल लखनऊ या प्रयाग के वनावटी शिष्ट समाज के 'डाइग रूमों' में या अपने विकृत रूपों में देहाती रईस और जमीदारों की बैठक में।

उर्दू की तथाकथित अस्सी या नब्बे प्रतिशत हिन्दी के साथ एकरूपता भी अपना एक रहस्य रखती है। जैसा संक्षेप में ऊपर कहा गया है कि बोलचाल के क्षेत्र में, शिष्ट समाज के दायरे में हिन्दी और उर्दू की धारयाँ प्रायः एक साथ मिल-जुलकर बहती देख पडा करती हैं। और उनकी उपर्युक्त एकता की पुष्टि का आधार यही क्षेत्र है। जहाँ तक व्याकरण-विषयक ढाँचे का प्रश्न है, इसमें सन्देह नहीं कि दोनों के एक हैं। अस्सी या नब्बे प्रतिशत कौन कहे इस ओर दोनों की एकता शायद और भी अधिक देखी जा सकती है। न केवल बोलचाल में ही वरन् लिखने-पढ़ने में भी। लेकिन विभिन्नता की जिस खाई से डाक्टर साहब घबराए से जान पड़ते हैं वह इतनी उथली नहीं कि भरी जा सके। हाँ उस पर पुल जरूर बनाया जा सकता है। इस विभिन्नता के दो पार्श्वों की ओर ध्यान आकृष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है, एक तो यह कि निर्विवाद रूप से उर्दू और हिन्दी साहित्यों की पृष्ठभूमि बिलकुल अलग-अलग है। एक की परम्परा का आधार यदि सस्कृत है, तो दूसरी का फारसी और थोड़ा-सा अरबी भी। जब तक ये कायम रहेंगे तब तक भिन्नता अवश्यम्भावी है। जब तक उर्दू का लेखक पीढियों से भारत में रहता हुआ भी फारस बलबुल और गुल के तराने गाने की "नैरी आदत" न छोड़ेगा तब तक भिन्नता अवश्यम्भावी है।

उर्दू की कुछ दूसरी जन्मजात विशेषताएँ भी समझनी पड़ेंगी। उर्दू की जन्म कहानी को न छेड़कर भी, यह तो निश्चित रूप से कहा ही जा

सकता है कि इसका पालन पोषण मुगल दरवारो, वेगमो और नवावो की छत्रछाया में, और उनका अन्वाद्युष अनुकरण करने वाले हिन्दू दरवारो में ही हुआ है। अपनी अग्रजा महा महिपी फारसी की दरवारी आदतें 'नैहरी सेहरे' के साथ ही इसे अमूल्य विरासत में मिली थीं या इसे लेनी ही पडी थी। रग, रूप और कलेवर में भारतीय होते हुए भी दरवारी सजावट के साथ बनी ठनी रहने की इसके जीवन की एक आवश्यक और अनिवार्य खसलत है। उसे न कभी यह छोड सकी, न छोडती है और न शायद छोड सकेगी। छोटी बहिन तो यह हिन्दी की है जरूर, लेकिन अपने-अपने जीवन-क्षेत्र के अनुसार दोनो की यह दो विभिन्न आदतें हैं। और पग-पग पर इनका अनुभव हममें से हर एक को हुआ ही करता है। तब विभिन्नता की ऊपरी खाई पाटने का ख्वाब अपना क्या मूल्य रखता है ?

बाबू हरिश्चन्द्र और मुशी प्रेमचन्द की भाषा की ओर इशारा किया गया है और बिना किसी दलील या प्रमाण के यह मान लिया गया कि जैसे इनकी भाषा के प्रति उर्दू के सेवको की कोई शिकायत है ही नहीं या होई ही नहीं सकती। इस विषय में दो बातें कह देना शायद अनुपयुक्त न होगा, एक तो यह कि बाबू हरिश्चन्द्र और मुन्दी प्रेमचन्द जी की लेखनी का दायरा था प्रधानतः ललित-साहित्य का सृजन। किन्तु आज के हिन्दी साहित्यकार के सामने क्षेत्र इससे बहुत अधिक व्यापक है और इसीलिए भाषा-विषयक उसकी समस्या भी कम जटिल नहीं। दूसरे, यह भी स्मरण रखना होगा कि उर्दू-सेवी ससार का भारतेन्दु की लेखनी से कोई परिचय नहीं। किन्तु जहाँ तक प्रेमचन्द जी का प्रश्न है, उनकी हिन्दी भी उर्दू वालो को ग्राह्य नहीं थी। इसका प्रमाण यही है कि उन्हें उर्दूवालो के लिए अपनी प्रत्येक कहानी और अपनी प्रत्येक कृति उर्दू में अलग लिखनी पडी थी। इनकी शैली का उदाहरण कहाँ तक उपयुक्त है, इसका उत्तर डा० रामविलास ही दे सकते हैं।

“इनको खुदा कहूँ के खुदा को खुदा कहूँ”

प्र० —समालोचना साहित्य की अभिवृद्धि में कहां तक सहायक
 उत्तर —जब तक समालोचना का आदर्श और उसके उद्देश्य स्प
 समझ लिये जायें तब तक प्राय यह भ्रम रहता ही है कि समाल
 साहित्य की अभिवृद्धि में सहायक हो भी सकती है, या नहीं । व
 समालोचना के नाम पर विशेषकर हमारे साहित्य में जो चीजें
 आती हैं उनमें नीरक्षीर विवेक की अपेक्षा रुचि-प्राधान्य ही अधिक
 पडता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि किसी कृति का किसी व्यक्ति
 लिये किसी क्षण विशेष में रुचिकर अथवा अरुचिकर लगना कृति के
 गुणो या दोषो पर आधारित न होकर, पाठक की अपनी निजी मान
 परिस्थिति पर अधिक अवलम्बित हुआ करता है । इसी के अनुसार
 कृतिविशेष को अच्छी या बुरी कह देता है । किन्तु इसे हम समालो
 नहीं कह सकते । रायजनी एक वस्तु है और समालोचना कुछ दूस
 सच पूछा जाय तो समालोचक के कोष में ‘अच्छा’ या ‘बुरा’ शब्द
 ही नहीं । वह तो अपने विश्लेषण का निष्कर्ष ‘सफलता’ या ‘असफ
 के शब्दो के द्वारा व्यक्त करता है । और यदि यह सिद्धान्त ठीक है
 समालोचना को साहित्य की अभिवृद्धि में केवल सहायक ही नहीं
 अनिवार्य मानना पड़ेगा ।

प्र० —आप समालोचना के कौन से आदर्श स्वीकार करते हैं ?

उत्तर —सच पूछिये तो समालोचना शब्द स्वय ही यह स्थिर कर
 है कि वहाँ शुद्ध वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक दृष्टि के सिद्धान्त को छोड़
 अन्य किसी सिद्धान्त की गुजाइश ही नहीं । किन्तु यह होते हुए भी वि
 के अनुसार अवसर-अवसर पर समालोचक के दृष्टिकोण में परि
 आवश्यक है । यदि यह और अधिक स्पष्ट किया जाय तो यों क
 होगा, कि जिस प्रकार विविध घातुओ के मूल तत्वो की परख के मान

भिन्न हुआ करते हैं उसी प्रकार विविध साहित्यिक कृतियों की जाँच की कसौटियाँ भी भिन्न होती हैं। उपन्यास या निबन्ध काव्य की कसौटी पर नहीं परखे जा सकते। मानदण्ड भी सदा एक-से नहीं रहते और न रह ही सकते हैं, क्योंकि साहित्यिक कृतियाँ समय और परिस्थितियों के प्रभाव में जन्म लेती हैं। और आलोचक को परम्परागत स्थिर सिद्धान्तों के साथ ही साथ परिवर्तन और परिस्थितियों का भी विचार रखना चाहिये। ऐसी अवस्था में किन्हीं 'ध्रुव निश्चित' सिद्धान्तों का आवार समालोचना के क्षेत्र में ग्राह्य नहीं हो सकता।

प्र०—जब कि इसी युग में मनोविज्ञान का प्राधान्य है और आलोचना में कृति की वास्तविक उपयोगिता उसी मानदण्ड से आलोचक स्वीकार करता है, तब क्या आप यह नहीं मानते कि आज का आलोचक वर्ग-विशेष से सम्बद्ध होने के कारण, किसी विशेष वर्ग का प्रोपेगण्डा साहित्य में चाहता है? मेरा आशय यह है कि जैसे आज के कुछ आलोचक सौन्दर्य के रसग्राही कृतित्व की अवहेलना करके शुद्ध मानवता के नाम पर लेखक से वर्ग-विशेष की विचारधारा की पुष्टि की अपेक्षा करते हैं?

उत्तर—प्रश्न महत्त्वपूर्ण है और अत्यन्त सामयिक भी। इसका उत्तर समस्त वर्तमान साहित्य की नहीं वरन् आलोचनात्मक साहित्य की समीक्षा की अपेक्षा करता है। जो आलोचक किसी वर्गविशेष से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है और कलाकार से अथवा लेखक से अपने वर्ग का समर्थन चाहता है, वह तो सच्चे अर्थों में आलोचक कहलाने का अधिकारी ही नहीं। 'शासक' या 'डिक्टेटर' यदि उसे कहा जाय तो अधिक सार्थक होगा, क्योंकि जैसा पहले कहा जा चुका है, आलोचक का मुख्य उद्देश्य होता है किमी कृति के गुण और दोषों का स्पष्ट विवेचन। वह जहाँ एक ओर पाठक-समुदाय को किसी कृति-विशेष के ठीक-ठीक समझने की दृष्टि का दान करता है, वही उसका लक्ष्य यह भी होता है कि वह लेखक की—वर्तमान के आवार पर—भविष्य में आनेवाली कृतियों का अधिक परिष्कृत एवं सफल रूप देख सके। रही बात 'मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण' की, यह शब्द आज के युग में कुछ अधिक प्रचलित हो गया है। न केवल लेखक ही, वरन् आलोचक भी प्रायः पग-पग पर इसकी आड़ लेते देखे जाते हैं। किन्तु वे भूल जाते हैं कि मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल 'व्यष्टि केन्द्रित' नहीं है वरन् 'समष्टि-व्याप्त' है। कलात्मक साहित्य के क्षेत्र में भी हर कृति मनोवैज्ञानिकता का

“इनको खुदा कहूँ के खुदा को खुदा कहूँ” !!

प्र० —समालोचना साहित्य की अभिवृद्धि में कहां तक सहायक है ?

उत्तर—जब तक समालोचना का आदर्श और उसके उद्देश्य स्पष्ट न समझ लिये जायें तब तक प्रायः यह भ्रम रहता ही है कि समालोचना साहित्य की अभिवृद्धि में सहायक हो भी सकती है, या नहीं। क्योंकि समालोचना के नाम पर विशेषकर हमारे साहित्य में जो चीजें सामन आती हैं उनमें नीरक्षीर विवेक की अपेक्षा रुचि-प्राधान्य ही अधिक देख पड़ता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि किसी कृति का किसी व्यक्ति के लिये किसी क्षण विशेष में रुचिकर अथवा अरुचिकर लगना कृति के मूल गुणो या दोषो पर आधारित न होकर, पाठक की अपनी निजी मानसिक परिस्थिति पर अधिक अवलम्बित हुआ करता है। इसी के अनुसार वह कृतिविशेष को अच्छी या बुरी कह देता है। किन्तु इसे हम समालोचना नहीं कह सकते। रायजनी एक वस्तु है और समालोचना कुछ दूसरी। सच पूछा जाय तो समालोचक के कोष में ‘अच्छा’ या ‘बुरा’ शब्द होता ही नहीं। वह तो अपने विश्लेषण का निष्कर्ष ‘सफलता’ या ‘असफलता’ के शब्दों के द्वारा व्यक्त करता है। और यदि यह सिद्धान्त ठीक है तो समालोचना को साहित्य की अभिवृद्धि में केवल सहायक ही नहीं वरन् अनिवार्य मानना पड़ेगा।

प्र० —आप समालोचना के कौन से आदर्श स्वीकार करते हैं ?

उत्तर—सच पूछिये तो समालोचना शब्द स्वयं ही यह स्थिर कर देता है कि वहाँ शुद्ध वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक दृष्टि के सिद्धान्त को छोड़कर अन्य किसी सिद्धान्त की गुजाइश ही नहीं। किन्तु यह होते हुए भी विषयो के अनुसार अवसर-अवसर पर समालोचक के दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है। यदि यह और अधिक स्पष्ट किया जाय तो यो कहना होगा, कि जिस प्रकार विविध घातुओं के मूल तत्वों की परख के मान-दंड

भिन्न हुआ करते हैं उसी प्रकार विविध साहित्यिक कृतियों की जाँच की कसौटियाँ भी भिन्न होती हैं। उपन्यास या निबन्ध काव्य की कसौटी पर नहीं परखे जा सकते। मानदण्ड भी सदा एक-से नहीं रहते और न रह ही सकते हैं, क्योंकि साहित्यिक कृतियाँ समय और परिस्थितियों के प्रभाव में जन्म लेती हैं। और आलोचक को परम्परागत स्थिर सिद्धान्तों के साथ ही साथ परिवर्तन और परिस्थितियों का भी विचार रखना चाहिये। ऐसी अवस्था में किन्हीं 'ध्रुव निश्चित' सिद्धान्तों का आचार समालोचना के क्षेत्र में ग्राह्य नहीं हो सकता।

प्र०—जब कि इसी युग में मनोविज्ञान का प्राधान्य है और आलोचना में कृति की वास्तविक उपयोगिता उसी मानदण्ड से आलोचक स्वीकार करता है, तब क्या आप यह नहीं मानते कि आज का आलोचक वर्ग-विशेष से सम्बद्ध होने के कारण, किसी विशेष वर्ग का प्रोपेगण्डा साहित्य में चाहता है? मेरा आशय यह है कि जैसे आज के कुछ आलोचक सौन्दर्य के रसग्राही कृतित्व की अवहेलना करके शुद्ध मानवता के नाम पर लेखक से वर्ग-विशेष की विचारधारा की पुष्टि की अपेक्षा करते हैं?

उत्तर—प्रश्न महत्त्वपूर्ण है और अत्यन्त सामयिक भी। इसका उत्तर समस्त वर्तमान साहित्य की नहीं वरन् आलोचनात्मक साहित्य की समीक्षा की अपेक्षा करता है। जो आलोचक किसी वर्ग-विशेष से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है और कलाकार से अथवा लेखक से अपने वर्ग का समर्थन चाहता है, वह तो सच्चे अर्थों में आलोचक कहलाने का अधिकारी ही नहीं। 'शासक' या 'डिक्टेटर' यदि उसे कहा जाय तो अधिक सार्थक होगा, क्योंकि जैसा पहले कहा जा चुका है, आलोचक का मुख्य उद्देश्य होता है किमी कृति के गुण और दोषों का स्पष्ट विवेचन। वह जहाँ एक ओर पाठक-समुदाय को किसी कृति-विशेष के ठीक-ठीक समझने की दृष्टि का दान करता है, वही उसका लक्ष्य यह भी होता है कि वह लेखक की—वर्तमान के आचार पर—भविष्य में आनेवाली कृतियों का अधिक परिष्कृत एवं सफल रूप देख सके। रही बात 'मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण' की, यह शब्द आज के युग में कुछ अधिक प्रचलित हो गया है। न केवल लेखक ही, वरन् आलोचक भी प्रायः पग-पग पर इसकी आड लेते देखे जाते हैं। किन्तु वे भूल जाते हैं कि मनोविज्ञान का क्षेत्र केवल 'व्यष्टि केन्द्रित' नहीं है वरन् 'समष्टि-व्याप्त' है। कलात्मक साहित्य के क्षेत्र में भी हर कृति मनोवैज्ञानिकता का

दावा नहीं कर सकती। विशेषकर जो साहित्य वर्ग-विशेष के दृष्टिकोण के समर्थन अथवा विरोध से सम्बद्ध हो, उसमें मनोवैज्ञानिक स्थिति-चित्रण की अपेक्षा मानसिक स्थिति-परिवर्तन की चेष्टा अधिक होती है। इसीलिये यह कहना पड़ेगा कि उपर्युक्त कोटि के व्यक्ति को हम विशुद्ध अर्थों में समालोचक नहीं कह सकते।

प्रश्न—रसवादी समालोचना के सम्बन्ध में आपका क्या मत है ? क्या आज के युग में उस प्रकार के साहित्य की कोई उपयोगिता है। यदि है तो कहाँ तक ? और साहित्यकार को उसका कौन-सा रूप ग्रहण करना चाहिये ? मानवतावादी या केवल शुद्ध रसवादी।

उत्तर—रस तो केवल काव्य का ही नहीं वरन् कला का ही प्राण है। अतः रसवादी समालोचना का क्षेत्र अनायास ही कलात्मक साहित्य से सीधा जुड़ा हुआ है। यदि कोई कृति कलात्मकता का दावा करती है तो रस की साधना ही उसका निमित्त हो सकता है। ऐसी दशा में आलोचक यदि रस की स्थिरता की परख करना चाहता है और उसकी सिद्धि या सफलता की जाँच करता है, तो यह उचित ही है। रस केवल भावुक कवि या कलाकार की कल्पना की ही उपज नहीं, वह तो अपनी व्यापकता में मानव-जीवन की समग्रता का प्रतीक है। आपके प्रश्न में 'रस-वादिता' और 'मानवता' कुछ भिन्न-सी जान पड़ती हैं। किन्तु ऐसा तो नहीं है। रस को छोड़कर 'मानवता' रहेगी ही कहाँ ? और मानवता के आधार को यदि छोड़ दिया जाय तो रस का अस्तित्व कहाँ ? लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आज के युग में 'मानवता' शब्द का प्रयोग कुछ विकृत अर्थों में हो रहा है। कदाचित् इसका कारण यह भी हो सकता है कि 'मानवता' की मूल सत्ता परिस्थितिवश दब-सी गई है और केवल उसका सामाजिक रूप आवश्यकता से अधिक प्राधान्य प्राप्त कर बैठ गया है। मन और आत्मा की अपेक्षा शारीरिक आवश्यकताएँ और हीनताएँ हमें अधिक व्याकुल किए हुए हैं और हमने केवल 'शरीरी' मानव की सामाजिक परिस्थिति पर ही ध्यान इतना केन्द्रित कर दिया है, कि उसके मन और उसकी आत्मा से प्रादुर्भूत उदात्त मानवोचित गुणों के मूल्य को आज हम आँक ही नहीं पाते। हो सकता है इन्हीं कारणों से उत्कृष्ट कोटि का काव्य भी आज के जीवन के निर्माण में अधिक सहायक सिद्ध

नहीं होता। किन्तु यह काव्य का दोष नहीं और न सच्चे कलाकार का ही। यह हमारी विकृत दृष्टि का फल हो तो भले ही हो।

प्रश्न—आपने अभी कहा कि आलोचक का मुख्य उद्देश्य है कृति के गुण-दोषों का विवेचन। किन्तु जिसको एक आलोचक गुण मानता है, दूसरा उसे अवगुण। तब साहित्य में गुण और अवगुण की परिभाषा क्या होगी।

उत्तर—यह प्रश्न भी कम रोचक नहीं। गुण और अवगुण ये दो पृथक् वस्तुएँ नहीं। 'स्थिति' और 'अनस्थिति' के दो रूप हैं। केवल साहित्य में ही नहीं वरन् जीवन में भी 'गुण' और 'अवगुण' की नज़ा का हम प्रयोग किया करते हैं। इनकी परिभाषा कदाचित् यहाँ अभीष्ट नहीं। यदि इनकी परख की कसौटी दे दी जाय तो इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का हल अधिक स्पष्ट होगा। गुण कभी दोष नहीं हो सकता और न दोष ही कभी गुण हो सकता है। इनका निर्णय हुआ करता है—लेखक के आदर्श और उद्देश्य के अनुसार, और साथ ही साथ कलाकार अपनी अभिव्यक्ति के लिए साहित्य के जिस रूप को स्वीकार करता है, उसके उस रूप के सृष्ट सौष्ठव पर भी। अर्थात् जहाँ एक ओर हम गुण और दोषों का निर्धारण उसके उद्देश्य और आदर्श के निमित्त के सहारे कर सकते हैं, वही यह भी देखना होगा कि अभिव्यक्ति के माध्यम के स्वरूप में वह कितना निखरा और उसमें कला का कितना सन्निवेश हुआ।

‘आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए’

सुधारो के इस युग में आए दिन हिन्दी-साहित्य के विविध अंग भी कसौटी पर कसे जाते हैं, और देखने की चेष्टा की जाती है कि वहाँ सुधारो की कितनी गुजायश हो सकती है। ऐसे प्रयासों के पीछे यदि सात्विक भावना की प्रेरणा हो तो उन्हें स्तुत्य ही कहना पड़ेगा। लेकिन कितने प्रयास सच्ची लगन को लेकर किए जाते हैं, यह एक प्रश्न है। किसी की नीयत पर बिना कारण सन्देह करना अनुचित अवश्य हो सकता है, परन्तु यथार्थ कारणों के होते हुए ऐसा सोचना अनुचित नहीं है। क्योंकि किसी की अनधिकार चेष्टा का विरोध करना भी आवश्यक कर्तव्य है।

यद्यपि इस छोटे से लेख में सम्भव नहीं कि हिन्दी के विविध काल विभागों की विस्तृत व्याख्या की जाय, तथापि साहित्य का प्रायः प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि हिन्दी साहित्य का मध्ययुग सवत् १४०० से लेकर १८०० तक माना जाता है। ४०० वर्ष के उस महान् युग में जिसमें पग-पग पर विद्यापति की सरस काव्यमयी भावना मानव-हृदय को प्रेम और भक्ति की तरंगों से परिप्लावित कर रही हो, जिसमें सूरदास जैसे महान् द्रष्टा ने अपने नयनों की ज्योति देकर भारतीय साहित्य-गगन में एक अखंड ज्योतिर्मय अर्क की स्थापना कर दी हो, जिसमें तुलसीदास जैसे महात्मा की पावन वाणी पवित्रता और सद्भावना की अमर सुरसरि प्रवाहित कर रही हो, उस युग के साहित्य की परख करना साधारण कार्य नहीं। यही नहीं, वरन् जिस महान् युग में नन्ददास और कृष्णदास जैसे काव्यशैली के परिष्कृत निर्माता हो सकते हो, जिनकी सरस तथा सगीतमयी शब्द-व्यजना आज भी हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म तारों को क्षकृत कर देने में समर्थ हो, जिस युग के रहीम के भाव-भरे वरवै तथा अनुभव-पूर्ण दोहे, इस समय के ज्ञान और अनुभव का दम करनेवाले नवयुवकों को

सन्मार्ग दिखाने में आज भी समर्थ हो तथा जिस महान् काल में रसखान, गग, भूपण, देव, विहारी तथा हितहरिवंश जैसे भारती के वरद पुत्रों ने अपनी रचनाएँ की हों, उस युग की परख, (वीणा सितम्बर १९३५ पृ० ८६१) "रूप सनातन को मुमलमान" बतानेवाले अन्वेषक (Researcher) अथवा (वीणा सितम्बर १९३५ पृ० ८६३) "कर्मवीर से सेजवीर बनने पर ही राधाकृष्ण सम्प्रदाय का जन्म और उसके द्वारा काम-वासना का प्रचार सम्भव" करानेवाले स्वनामधन्य साहित्य-पारखियों तथा इतिहासवेत्ताओं की पहुँच के बाहर की बात है।

साहित्य का आसन ऊँचा आमन है। साहित्य का अनुशीलन तथा उसकी परख भी इतनी सरल नहीं। जिस प्रकार ससार के अन्य आवश्यक ज्ञान-क्षेत्र विविध योग्यताओं की उपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार, हिन्दी साहित्य का अध्ययन भी अध्ययन करने वाले में कुछ विशेष योग्यताओं की अपेक्षा अवश्य करता है। ससार के किसी भी वृहत् साहित्यकी धारा सदा एक रूप में नहीं बहती। उसका रूप निरन्तर परिवर्तित होता रहता है। अतएव हिन्दी साहित्य के १००० वर्षों के लम्बे इतिहास में भी उसकी धारा सदा एक-सी नहीं रह सकती थी, उममें परिवर्तन होना नैसर्गिक था। इस विस्तृत साहित्य के निर्माण करनेवाले विशाल जन-समूह की मनोवृत्ति में कितने परिवर्तन हुए होंगे इसका उल्लेख किसी प्रकार सम्भव नहीं हो सकता। परन्तु निरन्तर परिवर्तित होनेवाली उस प्रवृत्ति का अधिक ने अधिक प्रति-विम्ब जितना साहित्य में मिल सकता है उतना अन्यत्र नहीं। मानवता के इतिहास का कोई सच्चा विद्यार्थी यदि इसी नाते साहित्य का अध्ययन करने चले और अपने अध्ययन के लिए हिन्दी का मध्ययुग चुन ले, तो निराशा का तो प्रश्न ही क्या, उसे आशातीत नफलता मिलेगी। ऊँचा से ऊँचा आदर्शवाद (रामचरितमानम), खरा से खरा कर्मवाद और अनुभव-वाद (बृन्द, रहीम, गिरधर इत्यादि), कठिन से कठिन धार्मिक तन्मयता (अष्टछाप की गोपियाँ) और कोमल से कोमल मानव-प्रेम के विविध रूप तथा कठोर से कठोर जीवन की गणनाएँ इसी एक युग के साहित्य में मिल जायेंगी।

क्या किसी भी साहित्य ने आज तक तुलसी की नीता ने बढ़कर आदर्श पत्नी, तुलसी के राम से बढ़कर आज्ञाकारी पुत्र और तुलसी के भरत से बढ़कर स्वार्थ-त्यागी भाई उत्पन्न किया है? क्या किसी भी

साहित्य में सूर और नन्ददास की गोपियो से बढ़कर सच्ची तन्मयता के दर्शन होते हैं ? क्या कहीं भी उद्धव के योगवाद की वकालत या उनकी सी दार्शनिक पराजय का चित्र देखने को मिलता है ? “ब्रह्म और पुराणों” के गानों में” तथा वेद की ऋचाओं में भी जो ढूँढे नहीं मिलता, वही ‘कुज कुटीर में राधिका के पास’ मिलता है, या ‘सैस महेश गनेस दिनेस सुरेश’ इत्यादि द्वारा जो ‘निरन्तर गेय हो, वही अहीर की छोकरियों की छछिया भर छाँछ पै नाचता है, तन्मयता से पूर्ण भक्त-हृदय की यह कोमल भावना किस साहित्य की अमर निधि न कहलाएगी ? सासारिक जीवन में विपलित्व-भाव की कटुता मर्मभेदी अनुभव है, परन्तु त्यागमय, वासना से रहित पति-प्रेम और पतिपरायणता की उच्च भावना उस कटुता में भी कितनी सात्विक सरसता भर देती है, जिससे प्रवाहित होकर हिन्दी की मध्यकालीन कविता कहने लगती है—

“मोहिं भोग सो काज न वारी,
सौंह दीठि कै चाहनहारी ।

(जायसी)

अथवा—

भूलिहूँ कढै जो कटु बोल तौ कढाऊँ जीभि
छार डारौ आखिन की आँसू क्षलकनि पै ।
कौन कहै कौसी सौति सो तौ ठकुरायनि, लिखी
है ब्रजवालनि के भाल फलकनि पै ।
ह्वै रहौं नजीकी पै न जीकी दुचिताई गहौं
पी की प्राणप्यारी लहौं नीकी ललकनि पै ।
दूजो नहिं देव, देव पूजौ राधिका के पद,
पलक न लाऊँ धरि लाऊँ पलकनि पै ।

(देवसुधा पृ० २१)

ऐसे मार्मिक स्थलों में भी निजोत्सर्ग की पावन उदारता भरकर उन्हें सुन्दर एवं सुखमय बनाना हिन्दी के मध्यकालीन कला-कुशल कवियों का ही काम था । सम्भव है (वीणा सितम्बर १९३५ पृ० ८६५) ‘साहित्य की पैदाइश पर-स्त्री की चाह से और मौत विरह से देखनेवालों’ को मध्यकालीन साहित्य की ये उपर्युक्त उच्चतम विभूतियाँ ‘अजा-कूष्माण्ड-न्याय’ के अनुसार ऊँची अथवा सराहनीय

न जैँ, क्योंकि आजकल की स्वार्थान्विता के कलुषित वातावरण में पले वच्चे की समझ में भरत के स्वार्थत्याग का मूल्य ही क्या ? वह तो इतने बड़े साम्राज्य के त्याग का मूल्य शायद मूर्खता से अधिक न आंक नकेगा । परन्तु उसे क्या मालूम कि कविकुल-चूडामणि तुलसीदास ने आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्र की स्थापना किमी आधुनिक स्वार्थी युवक के लिए अथवा एकमात्र काचन-सम्यता की उपासिका किस्ती आधुनिक चिरकुमारी के लिए नहीं की थी । वह आदर्श तो मनुष्य जीवन के लिए है, जो काल और परिस्थितियों की सीमा के बाहर, अनादि तथा अनन्त रूप से विद्यमान रहता है । केवल सूर या तुलसी के ही आदर्श नहीं वरन् विश्व के सभी सत्य और आदर्श केवल इन्हीं एक सन्देश को लेकर उत्पन्न होते हैं तथा इन्हीं की एक मात्र साधना में तल्लीन रहते हैं ।

किस्ती भी साहित्य का अध्ययन केवल उसके शब्दार्थज्ञान के साथ ही नहीं प्रारम्भ होता और न समाप्त ही होता है । वास्तविक अध्ययन तो इसके बहुत बड़े उसकी अन्तर्निहित भावना में प्रविष्ट होन के साथ प्रारम्भ होता है, क्योंकि आन्तरिक भावना ही साहित्य की आत्मा है । जिस प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व उसके शरीर तक ही सीमित नहीं वरन् शारीरिक परिधि के बाहर प्रारम्भ होता है, उसी प्रकार किसी साहित्य का वास्तविक रूप देखने के लिए उसके विद्यार्थी को उनके भीतर बहुत दूर तक पैठना पडता है ।

हिन्दी के मध्ययुग का धार्मिक साहित्य जिसका निर्माण परम भक्तों तथा चिरस्मरणीय महात्माओं की पावन साधनाओं के साथ हुआ हो, जिसमें अद्यात्मवाद की चिरगुम्फित जटिल सात्याएँ तपस्या तथा लगन के द्वारा मुलझायी गयी हो, जिसमें जीवन की सच्ची अनुभूतियाँ पग-पग पर जगमगा रही हो, उसे पढने और समझने के लिए, उसका आदर और उसकी पूजा करने के लिए भी पाठक में एक विशेष अनुभूति, आत्म-पवित्रता और अनुशानित भावना अपेक्षित है । किन्ती महात्मा को परखना या उनकी उच्चता को देख लेना या तो किसी महात्मा के लिए सम्भव है या फिर एक सरल-हृदय ज्ञान-पिपामु भक्त के लिए । इन्हीं प्रकार किन्ती स्थल पर अनुभूति की वास्तविक व्यजना हुई है या नहीं इनकी परख भी वही कर सकता है जिसका जीवन अनुभूतियों का खजाना है, न कि कोई अनुभव-शून्य मियाँमिट्टू ।

इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक कवि अथवा साहित्यकार अपने समाज की उपज है परन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मध्य युग के चार सौ वर्षों के लम्बे-चौड़े समय में केवल एक ही प्रकार की परिस्थिति या मनोवृत्ति की कल्पना कर बैठना और उसके आधार पर यह प्रतिपादित करने की चेष्टा करना कि उस समय के समस्त साहित्यकारों की मनोवृत्ति एक-सी ही कलुषित थी भ्रमात्मक अन्याय है। ऐसी निर्मूल कल्पना उस युग के सम्बन्ध में कर बैठना जो अपने अनवरत परिवर्तनों के लिए विख्यात हो, एक अक्षम्य अपराध से कम नहीं है। समय और परिस्थिति से जो इतना अनभिज्ञ हो कि १५वीं और १६वीं शताब्दी के वैष्णव भक्तों की परम पवित्र वाग्धारा और उनके उच्चतम चरित्रबल से रजित वातावरण में कलुष की छाया देखता हो अथवा जो उन तपस्वियों के पुण्य-मन्दिरों (वीणा सितम्बर १९३५ पृ० ८६१) में "द्वारों की विलासिता के सारे साजो-सामान घमं के द्वारा दिलाते देखता हो" वह तो केवल अपनी अक्षम्य अनभिज्ञता तथा अपनी ही कलुषित और निंद्य मनोवृत्ति का प्रतिबिम्ब जगह-जगह पर देखता है। जिस प्रकार पांडु रोग का रोगी प्रत्येक वस्तु को पीला देखता है, उसी प्रकार सद्भावना और सद्बृत्ति से कोसों दूर रहनेवाला व्यक्ति इस प्रकार के कुविचार रखकर केवल अपनी ही हीनता का परिचय देता है। साहित्य की परख का दावा करनेवाले साहित्य के ऐसे शुभचिन्तक यदि किसी कवि विशेष अथवा किसी रचना-विशेष को लेकर अपने आक्षेप प्रस्तुत करते, तब तो बात विचारणीय अवश्य हो जाती, परन्तु जो उच्छृङ्खलतावश 'मध्यकालीन कवियों (वीणा, सितम्बर १९३५-पृ० ८६१) को रतिक्रीड़ा के अतिरिक्त शायद ही किसी बात को अपनाते देखता हो' (भूषण ग्रथावली पृ० ३४-८७) या 'तेरे ही भुजन पर भूतल को भार' (भूषण ग्र० पृ० १२६, ३२०) और औरंग जो (भूषण ग्र० पृ० १६८-७१) चढ़ि दक्खिन को आवे, तो ह्यां ते सिधावै सोऊ बिन कप्पर' या 'गरुड को दावा सदा नाग के समूह पर' कहनेवाले 'भूषण' और 'लाल के वीर रस में केवल 'मुसलमान नारियों के खुले अंग देखता हो' (वीणा, सितम्बर १९३५-पृ० ८६१), या जो इस प्रसिद्ध और चिर वन्द्य काल के सभी कवियों, में 'गुडेपन और शोहदेपन की हरकतों के अतिरिक्त और कुछ न देखता हो' (वीणा वही), जो यह कहने का दुस्साहस करता हो कि 'समस्त मध्यकालीन हिन्दी साहित्य' में 'एक भी

कवि ऐसा नहीं जिसे इन बातों से जरा भी फुरसत हो' (वीणा वही) उनका ज्ञान दयनीय है, उसकी वृष्टता दहनीय है, तथा उसकी कुत्तित मनोवृत्ति नितान्त निन्दनीय है।

छन्द और अलंकार-शास्त्र के परम पंडित और उद्भूट विद्वान केशव तथा ब्रजभाषा के सुललित लेखक भतिराम अथवा देव में जिनने केवल वाचना ही देखी तथा जो इस मध्यकालीन युग को अमर बनानेवाले अगणित भक्तों, जिनकी वाणी की पवित्रता आज भी सत्सार का कलुष धोकर उने अपनी नैसर्गिक पवित्रता ने पुनीत बना कर न जाने कितने भले-भटकों को सन्मान पर ला रही है, को इस प्रकार लाडिले कर नकता हो, ऐसा ड्रेन इन्स्पेक्टर (Drain Inspector) मिस मैयो का अनुयायी, अपनी कूफियत इस्ते अविक क्या देगा कि (वीणा—वही) 'उने या उस तरह के लोगो को ईमानदारी ने सदा परहेज रहा है।' यह कोई नई बात नहीं है। परन्तु इस कूफियत को देखकर भी प्रश्न उठता है कि आखिर इत प्रकार की मनोवृत्ति का कारण क्या हो सकता है? ऐसे मपूतों में साहित्य के पढने और उनके सात्विक अनुशीलन की क्षमता का अभाव एक बड़ा कारण है, परन्तु इसके अतिरिक्त भी एक बात और उपस्थित होती है, जिसकी ओर ध्यान देना भी आवश्यक हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक न्यान के लिए उपयुक्त नहीं हुआ करती और न प्रत्येक व्यक्ति ही प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त हो सकता है। साहित्य मानव-भावनाओं तथा अनुभूतियों का आधार है और है कला की चिर-साधना। अतः, उसका मनन और परिशीलन हृदय की सरसता, अनुभूतियों की व्यापकता और नन की शुद्धता तथा कोमलता पर निर्भर रहता है। जिनमें इन गुणो का अभाव किनी अंश में भी होता है, वे साहित्य के अव्ययन के लिए नर्बया अयोग्य होते हैं। उन्हें इस ओर आने का अधिकार ही नहीं क्योंकि उनको इसमें मिलेगा ही क्या? सत्सार के सभी पदार्थ सब के लिए नहीं बने हैं। मनुष्य को अपने अनुत्प ही कार्य चुनना चाहिए, अन्यथा अनधिकार चेष्टा उने केवल उपहासात्पद ही बनाती है।

‘मन ‘इनका’ पुराना पापी है बरसों में नमाज़ी हो न सका’

भारत पर एक हजार वर्ष तक गुलामी का कोढ़ छाया रहा। गुलामी को सबसे बड़ा अभिशाप माना गया केवल इसलिए नहीं कि उससे शारीरिक सुखों में बाधा पड़ा करती है, वरन् इसलिए कि गुलाम कभी किसी प्रकार की प्रतिष्ठा का या अपने आत्म-सम्मान का दावा नहीं कर सकता। उसकी अपनी निजी उत्साहहीनता ही प्रायः उसकी गुलामी का कारण हुआ करती है। गुलाम का स्वामी इस राज को जानता है। अपनी सत्ता कायम रखने के लिए वह उन चेष्टाओं में रत रहता है कि उसके गुलामकी हीनताएँ मिटने न पावें। साथ ही उस की विविध हीनताओं का ढिंढोरा पीटना भी उसका एक कौशल होता है। गजनवी, गोरी, तुस्क, पठान, अंग्रेज सभी भारतवर्ष के अधिपति अपने-अपने काल में बने रहे। जोर-जबर्दस्ती, छल प्रवचना का ऐसा कोई ज्ञात कौशल नहीं जो उन्होंने अपने-अपने समय में, अपनी-अपनी शक्ति भर न बरता हो। पहले के आनेवालों ने यदि नर-संहार के साथ यहाँ की ज्ञान-राशि के संहार को अपनी बर्बरता का निशाना बनाया था तो बाद के आनेवाले गोरी चमडीवाले सम्यता के नाम पर अपना अटल शोषण-निष्ठ साम्राज्य स्थापित करनेवाले ‘कल्ले-आम’ में और ‘ज्ञान-ध्वंस में रुचि न रखते हुए भी यहाँ के ज्ञान-भंडार के वृहद् और अमूल्य कोषों में डकैतियाँ डालने के शौकीन तो थे ही। लूट-झपट में कोई कोर कसर न रखी गई। किन्तु फिर भी जब ज्ञान का भंडार इनके रिक्त किए न हुआ तब मिथ्या प्रचार और असत्य-प्रकाशन के द्वारा भारतीय ज्ञान की विशुद्धता को पग-पग पर कलकित, अपमानित और उच्छिष्ट करार देने के कौशलो से काम लेना इन्होंने प्रारम्भ किया। यह कार्यक्रम भी युगो चलता रहा। लेकिन इतनी

नारी नृशंसता के वाद भी क्या उन्हें वाञ्छित सफलता मिली ? विदेशी शासन की गुलामी की मोटी-मोटी कुछ जग खायी हुई और कुछ नयी वेडियाँ पहने हुए भी यह वृद्ध भारत विविध प्रकार से ज्ञान गुरु के रूप में सप्तर में पुजता ही रहा । गुलामों के भी पूजनीय होने का ऐसा उदाहरण समार में शायद ही कही अन्यत्र होगा ।

प्रश्न उठता है कि आखिर इसका राज क्या था ? यो तो समस्या जटिल जान पड़ती है, किन्तु यदि ज़रा गहराई में पैठकर विचार किया जाय तो बात स्पष्ट है । ज्ञान का व्यक्त रूप साहित्य के माध्यम से ही सामने आता है, और सुलभ हुआ करता है । महान् साहित्य यदि अपने विशेषण 'महान्' की कुछ भी सार्थकता रखता है, तो गाम्भीर्य, गुस्ता, चिर सत्य और अमरता उसमें होनी ही चाहिए । इन गुणों का सन्निवेश साहित्य स्रष्टाओं की शुद्ध दृष्टि और उनकी आन्तरिक पवित्रता पर ही अवलम्बित हुआ करता है । वह अमर भारतीय साहित्य, जो गुलामी के कुसमय में भी काम आया था, निस्सन्देह ही उपर्युक्त गुणों से युक्त था और उसके रचयिता भी अपेक्षित, पवित्र सकल्पवाले ही थे । उनका सकल्प ही केवल पवित्र नहीं था, वरन् उनकी पैनी दृष्टि जीवन और विश्व के रहस्यों में किस गहराई तक पैठ चुकी थी, इसका पता प्राचीन भारतीय साहित्य की अपार विविधता पर दृष्टि डालने से ही लग सकता है । यह भी सत्य है कि जीवन की मूल अनुभूतियाँ और मानवता के मूल आधार केवल विश्वव्यापी ही नहीं होते वरन् चिर सत्य और चिरतन भी होते हैं । इस मान्यता के बावजूद भी महान् साहित्य इनसे युक्त होता हुआ भी युग-युगान्तरो की चिरनवीनता लिए हुए ही उपस्थित होता है । यह चिर नव-यौवन उन मूलभूत तत्त्वों को नित्य परिवर्तनशील परिस्थितियों में रखकर प्रस्तुत करने से ही उत्पन्न हो जाता है ।

आज का हमारा सप्तर अनेक रूपों में समुन्नत और प्रगतिशील होने का दावा करता है । नैसर्गिक और कृत्रिम साधन आज जितने उपलब्ध हैं, उनपर हमें नाज़ भी कम नहीं । इनने युक्त हुआ आज का हमारा साहित्यिक हमें क्या दे रहा है, इसकी मधिप्त समीक्षा आज विशेष रूप से अपेक्षित है । शान्ति और उलट-फेर के नारे, चुनौतियों पर चुनौतियाँ, ध्वन और विध्वंस की कर्ण कट्टु आवाजों कान में कोने-कोने से गूँजती

हैं, लेकिन निर्माण और सुव्यवस्था की सास शायद ही कभी सुन पड़ती हो। केवल इतना ही नहीं, उपर्युक्त 'क्रान्ति' और 'ध्वस' के नारे जहाँ इतने अधिक सुन पड़ते हो वही, यदि देखने का प्रयास किया जाय, कि क्रान्ति ही कितनी हुई या ध्वस ही किसका और किस अर्थ में हुआ, तो उधर भी जो कुछ दीख पड़ता है वह कुछ नहीं-सा है। तब तो शायद यह कहना पड़ेगा कि बन्दूको और तोपो की यह भीषण आवाजें शायद सलामी या पुत्रोत्पत्ति के अवसर पर दगाई जानेवाली झूठी 'बाढों' से अधिक कुछ नहीं। आखिर यह क्यों? यदि इसका उत्तर ईमानदारी से दिया जाय तो कहने में सकोच नहीं होना चाहिए कि इन भयकर नारों से ओतप्रोत आज का हमारा साहित्य जिनके द्वारा दिया जा रहा है—वे 'ध्वस', 'ध्वस', चिल्लाते हुए भी विध्वंसक तेज से विल्कुल हीन हैं। दिल में अग्नि की ज्वाला नहीं, असंयमित आकाशमो का उफान है, दिमाग में कल्पना नहीं, कुविचारों का ज्वार है। तब उस सत्य सकल्प के लिए स्थान ही कहाँ, जो परिणाम स्वरूप कुछ कर गुज़रने में सफल हुआ करता है। आज के क्या काव्य-साहित्य, क्या कथा-साहित्य और क्या अखबारी साहित्य को ही उठाकर यदि देखा जाय तो 'पूँजीवाद', 'पूँजीपति', 'शोषण', 'शोषित' इत्यादि के प्रति जी भरकर कर्कश अभिशाप ज़रूर उगले जाते हैं। पढ़कर कुछ क्षणों के लिए ऐसा जान पड़ता है कि इस समय एक नहीं, अनेक दुर्वासाओं की सृष्टि अनायास हो गई है। किन्तु, प्राचीन समय का जहाँ एक दुर्वासा इन्द्रासन को डिगा देने में समर्थ था, वही आज के ये अग्रणीत 'दुर्वासा' इन्द्र की कौन कहे, महीपतियों की भी कौन कहे, साधारण घनासेठ के आसन को भी टस से मस करने में समर्थ नहीं होते। इनकी दृष्टि में आज वह ज्वाला कहाँ जो पाप या दम्भ का क्षार कर सके। इसका राज बहुत गुप्त भी नहीं। बात केवल इतनी ही है कि वह दुर्वासा-इन्द्र के सिंहासन को डिगानेवाला इन्द्रासन पर बैठने का इच्छुक नहीं था, वह दुर्वासा इन्द्र की कृपा दृष्टि का भिक्षुक नहीं था, वह दुर्वासा मेनका और उर्वशी के कटाक्षों का शिकार नहीं था। इसी के विपरीत यदि आचरण में आज के दुर्वासाओं की ओर देखा जाय, तो चित्र कुछ और ही सामने आएगा। हमारे कवि और कलाकार अपनी एकरूपता को खोकर कुछ बहुरूपिये-से बन गये हैं। दिमाग कुछ सोचता है, निगाहे कुछ देखती हैं, जिह्वा कुछ और कह बैठती

है, मन न जाने कहाँ हवा खाता है, उमगें मनमानी चौकड़ी भरती हैं। निष्कर्ष यह है कि नितान्त एकाग्रता, जो शक्ति और सिद्धि की कुजी है, वह लापता है।

कुछ दिन पहले कदाचित् इसी परिस्थिति को लक्ष्य करके इसी युग के साहित्य क्षेत्र के द्रोणाचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने एक कल्पना चित्र खींचा था—'कवि किराये पर'। उस समय पाठको ने इसे एक काल्पनिक व्यंग-चित्र ही समझा था, किन्तु देखते न देखते कुछ वर्षों में ही वह कल्पना-चित्र आज सार्थक हो उठा है। कलमें विकी रखी है, बुद्धि नीलाम पर चढ़ चुकी है और साहित्यिक-श्रुतिकारिणी-शक्ति पूँजी के हाथ गिरवी हो चुकी है। यदि इस कटु सत्य को कोई तौलना ही चाहे, तो दूर न जाना होगा।

कलकत्ते का बाजार आधुनिक भारत में हर पहलू से बड़ा माना जाता है—क्योंकि भारत की प्रत्येक कीमती और गैरकीमती चीज का बाजार दर, क्या थोक और क्या फुटकर, यही स्थिर हुआ करता है। हीरे और जवाहरात से लेकर चीयडो तक का व्यवसाय विनिमय बड़े पैमाने पर यही के बाजारों में होता है। गनीमत थी—कुछ काल पहले तक देश की साहित्यिक प्रतिभा इस बाजार में परख के लिए चाहे आयी हो, किन्तु विकने नहीं आयी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह भी यहाँ के बाजारों में दर-दर विकती और अपनी अज्ञ अमूल्यता को खोकर टुकड़ों के मोल विकती दीख पड़ने लगी है। व्यक्तिगत उपहास या लाष्टना इस लेख का अभिप्राय नहीं, किन्तु राज किसी से छिपा नहीं कि आज के हमारे साहित्य के कवि और कलाकार, जिनकी पैंनी लेखनी पूँजीपति और गोपको को कोसती थकती नजर नहीं आती, वही यहाँ के बाजार में यही के 'पूँजीपतियों' की गदियों पर उन्हीं के इशारों और टुकड़ों पर थिरकते देखे गये। कनकने का बड़ा बाजार हर तरह से बड़ा है यदि खरीदने वाले बड़े-बड़े हैं तो यह भी भूलना न होगा कि यहाँ के पारखी भी कम बड़े नहीं। और पारखियों का कटु अनुभव कम नहीं कि इन विशाल देश के रत्नों के पानी को परखकर उन्हींने जब चेष्टा की कि ये रत्न व्यन्यायियों की यैलियों में निकलकर, बहुमूल्य आमरणों में सजकर सामने आयें तो उन्हें निराश ही होना पड़ा। हमारे इन रत्नों ने व्यन्यायियों

की थैलियों में रहना ही पसन्द किया । अब इस दयनीय परिस्थिति को किसी का कौशल कहा जाय या विधि का विधान ?

निराशा और ग्लानि सच्चे साहित्यिक की बाधा नहीं हो सकती, भले ही गुरु मत्स्येन्द्र क्षणिक माया में गुमराह होते दीख पड़ें, शिष्य गोरख उन्हें जगाने की चेष्टा तो करेगा ही । किन्तु, सिद्ध गोरख की वाणी प्रेरणा देने में समर्थ होगी केवल सिद्ध हठयोगी मत्स्येन्द्र को ही, 'हठी मत्स्येन्द्रियो' को नहीं ।

के सिरमौर समझे जाते हैं, जिनकी कृतियाँ बड़े ठाट-वाट के साथ पुरस्कृत की गयी हैं तथा जिनके गीत गाते हमारे सम्पादक और स्वनामधन्य आलोचक थकते नज़र नहीं आते ।

एक 'कहानी सम्राट्' अपनी एक 'विशिष्ट' एवं 'उच्चकोटि' की एक विशेषांक में छपी हुई कहानी में लिखते हैं कि 'बी० ए० प्रीवियस का विद्यार्थी था ।' जिस 'कहानी सम्राट्' ने मातृभाषा होने के नाते ही हिन्दी पर अपना पूर्ण आधिपत्य समझ रखा हो तथा जन्मजात कलाकार होने का जिसे भरपूर दम्भ हो, तथा जिसे मिडिल से आगे शिक्षा पाने की कोई आवश्यकता ही न समझ पड़ी हो, उसे क्या मालूम कि 'बी० ए० प्रीवियस' जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती । जिस कक्षा का वह जिक्र करना चाहता है, उसे या तो 'बी० ए० फर्स्ट इयर' कहते हैं या वह 'थर्ड इयर' कहलाती है ।

एक दूसरे चोटी के कलाकार अपनी एक सुप्रसिद्ध कहानी में लिखते हैं "होटल में हमारा फ्लैट रिजर्व था ।" इनकी शिक्षा की कोई विशेष जानकारी तो नहीं, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा से ज्यादा शौक इन्हें शायद सस्ती अंग्रेजियत का है । अपने थोड़े से जोड़े-बटोरे ज्ञान के प्रदर्शन की इतनी व्याकुलता ने इन्हें इतना भी जानने का अवसर न दिया कि होटलो में 'फ्लैट' नहीं हुआ करते 'सुइट' होते हैं । फ्लैट के अतिरिक्त 'सुइट' भी कोई शब्द है या इन दोनों में कुछ अन्तर भी है, यह ये 'चोटी के कलाकार' भला क्यों समझने लगे ?

एक और स्वनामधन्य 'हिन्दी के प्रसिद्ध' कलाकार लिखते हैं कि " न केवल चिकित्सा-शास्त्र में ही 'डाक्टर' की डिग्री ले चुके थे वरन् साहित्य की 'डाक्टरेट' भी हासिल कर चुके थे ।" आगे चलकर कलाकार महोदय लिखते हैं कि "इन्होंने पी० एच०-डी० की डिग्री ली थी 'आक्स-फोर्ड' युनिवर्सिटी से ।" इन महान कलाकार महोदय को यह जानने की कोई आवश्यकता न जान पड़ी कि जिस चरित्र को ये सामने उपस्थित करना चाहते हैं वह जीवन की साधारण परिस्थितियों में संभव भी है या नहीं ? इन्हें क्या मालूम कि इनका यह 'चिकित्सक डाक्टर' इनकी कल्पना के विश्व, इनके निरर्थक प्रयासपूर्ण चित्रण का उपहास-सा करता हुआ किसी साहित्यिक के सामने 'गोल्डस्मिथ' की ही शकल में खड़ा हो सकेगा । इन उच्चकोटि के पुरस्कार प्राप्त कलाकार महोदय को यह भी

जानने की जरूरत नहीं कि आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी की डिग्री का शुद्ध नाम 'पी० एच०-डी०' नहीं 'डी० फ़िल०' है। यह सब तो ये तब जानते जब इन्होंने आक्सफोर्ड का केवल नाम लेने के अतिरिक्त वहाँ के विषय में कुछ और भी जाना होता।

इसी प्रकार एक अन्य 'उच्चकोटि' के कहानी-लेखक महोदय हिन्दी की एक विशिष्ट पत्रिका में प्रकाशित अपनी कहानी में लिखते हैं कि "जो कई पत्र-पत्रिकाओं का एडिटर था—सोफे पर लेटा हुआ था और आवश्यक कागज-पत्रों से भरा हुआ उसका हँडबैग पास पड़ा हुआ था।"

इन 'उच्चकोटि' के कहानी लेखक महोदय का अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी के तीर तरीको का ज्ञान वाजिब ही जान पड़ता है, लेकिन अंग्रेजियत का शौक सीमा से आगे बढ़ा हुआ है। ये क्यों सोचने लगे कि Lying down on a Sofa का अर्थ—'सोफे पर लेटा हुआ था'—के अतिरिक्त और भी कुछ हो सकता है? ये क्यों समझने लगे कि 'लेटना' और 'पड़ा रहना' ये दोनों प्रयोग हिन्दी में अपना अलग-अलग अर्थ रखते हैं। सोफे पर 'पड़ा' रहा जा सकता है, किन्तु 'लेटा' नहीं जा सकता, अन्यथा वह सोफा न होगा, या तो होगा 'डीवान' या अपना देशी तखत। इस थोथी अंग्रेजियत का पर्दा फाश न करके अगर 'एडिटर' महोदय को 'तखत' पर ही लिटा देते, तो कहानी के मूल्य में कोई विरोध फर्क न पड़ता।

कागज-पत्रों के खरीते को 'पोर्टफोलियो' कहा जाता है या 'डायव्यू-मेंट केन' न कि 'हैण्ड बैग'। इन सब वास्तविक अन्तरो को समझने की या जानने की इन ऊँचे कलाकारों को जरूरत ही क्या?

एक और हिन्दी के 'प्रख्यात' कहानी-लेखक द्वारा सम्पादित पत्रिका में छपी अपनी ही कहानी में वे लिखते हैं कि "ने को शान के नात बजे 'टी' पर आमन्त्रित किया।"

आगे चलकर उनी कहानी में आप फमति है कि "ने का जिन समय स्वागत किया उन समय वह एक सुन्दर 'डिनर सूट' में था।" यह सब पढ़ने के बाद आश्चर्य होने लगता है कि ये 'उच्चकोटि' के कनावार 'टी', 'डिनर' और 'डिनर सूट' का केवल नाम ही भर जानते हैं या इनमें अधिक और कुछ भी।

यह अंग्रेजियत पनन्द इतना भी न जान सके कि 'टी' का निमन्त्रण नाम बजे शाम को वैना ही वेनुका है जैना कि 'टी' पर स्वागत करने के

लिए 'डिनर सूट' में सुसज्जित होना। इस गम्भीर ज्ञान को ज्यो का त्यो प्रकाशित करके सम्पादक महोदय ने भी अपने ज्ञान और अपनी कर्तव्य-परायणता का थोड़ा-सा परिचय दे ही दिया है।

मगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त महाविद्वान एक कलाकार लिखते हैं—
“जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा के लिए पार्लियामेंट की भाषा आदर्श मानी जाती है।”

इनके इस महाअनुसंधान के लिए इन्हें किन शब्दों में बर्बाद दी जाय। सन्देह होने लगता है कि इन महानुभाव ने 'पार्लियामेंट' किसे कहते हैं यह भी अपने जीवन में जाना था या नहीं? यह तो मानना ही पड़ेगा कि भाषा का मापदण्ड इनका अपना अलग ही रहा होगा। क्यों न हो मगलाप्रसाद पुरस्कार विजेता महाविद्वान् जो ठहरे।

इसी प्रकार 'सैकड़ों कहानियों के रचयिता अमर कहानी लेखक' की पदवी से विभूषित एक सज्जन अपनी एक 'अमर' कहानी में अपने प्रधान पात्र से रेल में फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा करा रहे हैं। अपनी पूरी कल्पना-शक्ति का वूँद-वूँद अर्कं निचोड़कर रख देने के बावजूद भी इनका वह 'फर्स्ट क्लास'—'इण्टर क्लास' के डिब्बे से अधिक ऊपर नहीं उठ पाता। क्यों कि लेखक महोदय ने शायद स्वयं 'थंड' या 'इण्टर' छोड़कर 'फर्स्ट' की कौन कहे 'सिकेण्ड' का मुँह तक न देखा होगा, तब कौरी कल्पना-शक्ति कहाँ तक सहायता करती।

हमारे ये कथा-साहित्य के विधाता केवल वस्तु या परिस्थितिज्ञान से ही शून्य हो सो नहीं, वरन् अपनी भाषा हिन्दी—जिसके माध्यम से वे अपनी कला की सुसंचित थाती को लेकर सामने आते हैं, उसपर भी अधिकार का तो जिक्र ही क्या—उसके इनके सामान्य ज्ञान में भी शका होने लगती है।

इन्ही उच्चकोटि के कलाकारों के कुछ थोड़े से उदाहरण इस और भी देखने योग्य हैं। एक ने कही सुन लिया अंग्रेजी का एक फिकरा Psychological rest और बिना कुछ सोचे-समझे उसे हिन्दी में भी अद-तरित कर बैठे और लिख मारा 'मनोवैज्ञानिक विश्राम'। यदि कोई जरा इस प्रयोग पर विचार करे तो इस कलाकार की बुद्धि पर तरस आए बिना नहीं रहेगा।

एक दूसरे कलाकार की कलम का नमूना भी देखने लायक है। नायिका का वर्णन करते हुए आप फमति हैं “ वह ज्वलन्त युवती थी।” अग्नेजी का Fiery Youth प्रयोग कहीं इनके कानो तक पहुँच गया था वस वही ‘ज्वलन्त रूप’ में प्रकट हो गया।

एक और धुरन्धर कलाकार किसी का वर्णन करते हुए लिखते हैं—
“स्नायुओ को जवरन (?) कसा हुआ बनाने के कारण उसकी मुद्रा में एक प्रकार की प्रस्तर प्राय स्थिरता आ गयी थी।” समझने में देर न लगनी चाहिए कि इन महानुभाव की यह ‘मौलिक’ कहानी, जो इस प्रकार के वर्णनो से श्रोत-श्रोत है, हिन्दी ससार के सामने भले ही मौलिक कहकर पेश की जाय परन्तु वास्तव में है वह किसी विदेशी कहानी का अनुवाद और वह भी निहायत भद्दा और वेतुका। एक और महोदय लिखते हैं ‘ चर्या पर करारापन अकित था।’ भापा का यह प्रयोग भी कम ‘करारा’ नहीं है।

ये सारे उदाहरण स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे इन कलाकारो की प्रेरणा की, अभिव्यक्ति की तथा इनकी सारी कला की ही शक्ति का स्रोत इनके अपने भीतर नहीं है वरन् बाहर है। प्राय हर चीज के लिए ये पाश्चात्य भापा, भाव, रहन-सहन या यो कहिए पाश्चात्य जीवन के ही मुहताज हैं। जो कुछ भी ये मौलिक कहकर सामने रखने की चेष्टा करते हैं वह सड़ी हुई जूठन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वह ठीक है कि ज्ञान के क्षेत्र में कहीं से भी कुछ ले लेने का अधिकार सनातन एव नैसर्गिक है। लेकिन उपर्युक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि सामग्री ली नहीं गई है; वरन् इवर-उधर से बटोर ली गई है, उडा ली गई है।

अपने समर्थन में इन कलाकारो की दलील यह है कि वर्णनो में यदि तोला भाशा ठीक की जाँच की जायेगी तो कल्पना के लिए स्थान ही कहाँ रह जायगा ? इसी प्रकार भापा के लिए भी प्राय कहाँ जाता है कि हिन्दी तो जीवित भापा है उने कहीं से भी नवीन प्रयोगो के ले लेने का अधिकार है। किन्तु इन उपर्युक्त दलीलो में शोषेपन के अतिरिक्त और है क्या ? उपर्युक्त उदाहरण तो वस्तु-ज्ञान के अयित्य का द्योतक हैं, वहाँ कल्पना का प्रश्न कहाँ उठता है ? भापा विषयक दलील भी कुछ वैसी ही है। किनो भापा से उपर्युक्त मुहावरे या शब्द ले लेना बुरा नहीं, लेकिन कब ! जबकि ऐसे शब्द या मुहावरे जानबूझ कर अधिकार के साथ लिए जायें, और लेकर

अपनी भाषा में, अपनी शैली में ढाल लिए जायें। किन्तु विना समझे-बूझे या विना अधिकार के ही उड़ा लिये जायेंगे तो वे शैली में ढाल न सकेंगे। तब फब्रने के बदले अशुद्धता और भद्देपन की समस्या उपस्थित कर देंगे क्योंकि ढालने वाली शक्ति तो अधिकार पर निर्भर रहती है विना उसके यह सम्भव कहाँ ?

यह ठीक है कि कल्पना कलात्मक साहित्य की जान है, और भाषा उसका सौन्दर्य है। इन्हीं के सहारे कलाकार आत्माभिव्यक्ति में समर्थ होता है, और इन्हीं के द्वारा वह जीवन में नये आदर्शों तथा नये रूपों की सृष्टि करता है। यदि कल्पना का बल न होता तो कलाकार नवीनता की सृष्टि न कर पाता, और यदि शब्दों का बल उसे प्राप्त न होता तो उसकी कला गूँगी रह जाती। लेकिन कल्पना तथा शब्द दोनों ही के प्रयोग 'यथार्थ' अथवा 'अयथार्थ' हो सकते हैं। यथार्थ कल्पना या शब्द कलाकार की सफलता के साधन हैं, किन्तु इसी के विपरीत इनकी अयथार्थता उसकी बहुत बड़ी असफलता है।

[इस लेख का प्रयोजन व्यक्तिगत आक्षेप करना नहीं, इसीलिए उदाहरण दे दिये गये हैं, किन्तु कलाकारों के नाम नहीं दिये गये हैं —लेखक]

‘तुझ से बढ़कर खूबियाँ पाएंगी ये तस्वीर क्या?’

यह बीसवीं सदी अपनी विविधोन्मुखी जीवन की प्रगतियों के लिए प्रसिद्ध है। पैरो पर चलनेवाले मनुष्य ने जब जानवरों को अपना वाहन बनाया था, उस समय उसके भीतर प्रगति की ही चेतना रही होगी। जानवर के साथ किसी प्रकार की गाड़ी का जुड़ जाना बढ़ती हुई प्रगति का चिह्न कहा जा सकता है। आधुनिक युग में गाड़ी ही नहीं, मोटर भी नहीं, बरन् आज तो हवाई जहाज प्रगतिशील मनुष्य की सवारी हैं। ससार का हर क्षेत्र परिवर्तन-क्रम में पड़ा हुआ रूप बदला करता है। कहना कठिन है कि मनुष्य ने जब पहले पहल पत्थरों पर चित्र खोदे थे और विविध प्रकार के रूप अंकित किये थे, तो उस समय उसके भीतर कला की भावना प्रबल थी या कौतुक की या प्रदर्शन की या किसी विशेष रूप को अपनी स्मृति में सचित्र रखने की। लेकिन यह जरूर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अभिनय-कला का जन्म मनुष्य की किसी घटना या व्यक्ति विशेष की नकल करनेवाली सहज प्रवृत्ति का ही फल था। कुछ काल के बाद उस प्रदर्शन की प्रवृत्ति के द्वारा अन्य उपयोगी और मनोरंजक कार्य भी सघने लगे थे, क्योंकि भाषा होते हुए भी उसके लिखने-पढ़ने की योग्यता का अधिकारी मनुष्य बहुत बाद बना था। इसके पहले अपने अनुभव और अपने विचार व्यापक रूप से प्रकट करने में अभिनय-कला ही उसकी सहायता करती थी, क्योंकि उसका सीधा सबब देखने और सुनने से है।

युगो तक मनुष्य के स्वभाव की अभिनय-शीलता विविध रूपों में देश-विदेशों में मनुष्यों को तरह-तरह के नये-नये पाठ पढ़ाती रही, हँसाती रही और रुलाती रही। जहाँ एक ओर कलाकार भास, कालिदास, भवभूति, राजशेखर इत्यादि अपने-अपने समयों में जीवन में नये-नये रंग भर गए थे, वही भरत मुनी और घनजय, कला के इस अंग की विविध समीक्षाओं के द्वारा सीमार्यों भी अंकित कर गये थे। अभिनय के क्षेत्र पर कभी किसी

अपनी भाषा में, अपनी शैली में ढाल लिए जायें। किन्तु विना समझे-बूझे या विना अधिकार के ही उडा लिये जायेंगे तो वे शैली में ढाल न सकेंगे। तब फवने के बदले अशुद्धता और भ्रष्टेपन की समस्या उपस्थित कर देंगे क्योंकि ढालने वाली शक्ति तो अधिकार पर निर्भर रहती है विना उसके यह सम्भव कहाँ ?

यह ठीक है कि कल्पना कलात्मक साहित्य की जान है, और भाषा उसका सौन्दर्य है। इन्हीं के सहारे कलाकार आत्माभिव्यक्ति में समर्थ होता है, और इन्हीं के द्वारा वह जीवन में नये आदर्शों तथा नये रूपों की सृष्टि करता है। यदि कल्पना का बल न होता तो कलाकार नवीनता की सृष्टि न कर पाता, और यदि शब्दों का बल उसे प्राप्त न होता तो उसकी कला गूँगी रह जाती। लेकिन कल्पना तथा शब्द दोनों ही के प्रयोग 'यथार्थ' अथवा 'अयथार्थ' हो सकते हैं। यथार्थ कल्पना या शब्द कलाकार की सफलता के साधन हैं, किन्तु इसी के विपरीत इनकी अयथार्थता उसकी बहुत बड़ी असफलता है।

[इस लेख का प्रयोजन व्यक्तिगत आक्षेप करना नहीं, इसीलिए उदाहरण दे दिये गये हैं, किन्तु कलाकारों के नाम नहीं दिये गये हैं —लेखक]

‘तुझ से बढ़कर खूबियाँ पाएगी ये तस्वीर क्या ?’

यह बीसवीं सदी अपनी विविधोन्मुखी जीवन की प्रगतियों के लिए प्रसिद्ध है। पैरो पर चलनेवाले मनुष्य ने जब जानवरों को अपना वाहन बनाया था, उस समय उसके भीतर प्रगति की ही चेतना रही होगी। जानवर के साथ किसी प्रकार की गाड़ी का जुड़ जाना बढ़ती हुई प्रगति का चिह्न कहा जा सकता है। आधुनिक युग में गाड़ी ही नहीं, मोटर भी नहीं, वरन् आज तो हवाई जहाज प्रगतिशील मनुष्य की सवारी है। ससार का हर क्षेत्र परिवर्तन-क्रम में पड़ा हुआ रूप बदला करता है। कहना कठिन है कि मनुष्य ने जब पहले पहल पत्थरों पर चित्र खोदे थे और विविध प्रकार के रूप अंकित किये थे, तो उस समय उसके भीतर कला की भावना प्रबल थी या कौतुक की या प्रदर्शन की या किसी विशेष रूप को अपनी स्मृति में सचित रखने की। लेकिन यह जरूर निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अभिनय-कला का जन्म मनुष्य की किसी घटना या व्यक्ति विशेष की नकल करनेवाली सहज प्रवृत्ति का ही फल था। कुछ काल के बाद उस प्रदर्शन की प्रवृत्ति के द्वारा अन्य उपयोगी और मनोरंजक कार्य भी सघने लगे थे, क्योंकि भाषा होते हुए भी उसके लिखने-पढ़ने की योग्यता का अधिकारी मनुष्य बहुत बाद बना था। इसके पहले अपने अनुभव और अपने विचार व्यापक रूप से प्रकट करने में अभिनय-कला ही उसकी सहायता करती थी, क्योंकि उसका सीधा सबब देखने और सुनने से है।

युगो तक मनुष्य के स्वभाव की अभिनय-शीलता विविध रूपों में देश-विदेशों में मनुष्यों को तरह-तरह के नये-नये पाठ पढाती रही, हँसाती रही और रुलाती रही। जहाँ एक ओर कलाकार भास, कालिदास, भवभूति, राजशेखर इत्यादि अपने-अपने समयों में जीवन में नये-नये रंग भर गए थे, वही भरत मुनी और घनजय, कला के इस अंग की विविध समीक्षाओं के द्वारा सीमायें भी अंकित कर गये थे। अभिनय के क्षेत्र पर कभी किसी

देश विशेष अथवा जाति विशेष का एकाधिपत्य नहीं सिद्ध किया जा सकता। चीन की नाट्य-कला अपनी प्राचीनता और उन्नति की चरम सीमा के लिए जगत प्रसिद्ध है। ग्रीस और रोम के नाटककार अपनी रचनाओं के लिए अमर हो गये हैं। इंग्लैण्ड का शेक्सपीयर इसी कला का साधक था। योरोप के साहित्य-क्षितिज पर इब्सन ने उदय होकर ऐसा इन्द्रधनुष प्रत्यक्ष कर दिया, जिसे देखकर समार विस्मित हो उठा। और एक क्षण के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा कि नाट्य-कला अपने उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँच चुकी है, और उसके बाद इस क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करना किसी कलाकार के भाग्य में न होगा। फ्रांस में मॉलियर की नाटकीय प्रतिभा ने भी कुछ ऐसा ही तहलका मचा दिया था। लेकिन इनके बाद भी बर्नाडि शा और गाल्सवर्दी का युग नाट्य जगत् में आ ही गया और इब्सन और मॉलियर की कृतियों को जिहोने सिद्धि की सीमा मान लिया था, उन्हें कुछ ऐसा समझ पडा कि उनकी वह सीमा की धारणा क्षितिज की सीमा थी, जो ज्यो-ज्यो पथिक आगे बढ़ता है—अपने आप विस्तृत होती जाती है।

परम सन्तोषदायिनी किसी कृति के अवलोकन के पश्चात् 'न भूतो न भविष्यति' की धारणा बना लेना मनुष्य की पुरानी आदत है। एक सफल कलाकार अपनी अभिव्यक्ति के लिए समय और वातावरण के अनुसार किन्ही विशेष ढाँचों पर अपने सदेश के अनुकूल विविध रूपों की सृष्टि किया करता है। ये नवनिर्मित कलात्मक रूप समय और वातावरण के अनुरूप होने के कारण अपने युग सन्देश के सफल वाहक सिद्ध हो जाते हैं और अपने युग में अपनी प्रतिष्ठा के अधिकारी हो जाते हैं। किन्तु वह युग विशेष ही उस प्रतिष्ठा का जीवन-काल हो सकता है। उस युग-परिवर्तन के बाद भी उन कृतियों में मनुष्य की रुचि कुछ रह सकती है उनकी आन्तरिक उपयोगिता के कारण। किन्तु उनकी एकछत्र सत्ता विलीन हो जाती है। क्या शेक्सपीयर के या इब्सन के ही परम प्रसिद्ध नाटक आज के जमाने में भी ठीक वही महत्व रखते हैं, जो बर्नाडि शा के ? आज भी प्राचीन एव प्रसिद्ध नाटकों के अभिनय देखे भले ही जाते हों, लेकिन उनमें आज का कोई दर्शक इस युग की भावना या विचार-धारा नहीं देख सकता, न इस युग का सन्देश विशेष ही उनमें मिल सकता है। हाँ, कुछ चोखी उक्तियाँ भले ही उनमें मिल सकती हैं, जो शायद बहुत दिनों तक मनुष्य की स्मृति में चिपकी रहेंगी।

परिवर्तन-क्रम में सभी कुछ बदल जाता है। परिस्थितियों के साथ, जीवन-पथ के साथ दृष्टिकोण भी बदल जाता है और उसी के अनुसार रुचि और अरुचि भी बदला करती है। आज के 'विज्ञान-युग' की एक सवने बड़ी करामात है मनुष्य का विजली के रहस्य का प्राप्त कर लेना। अन्य उपयोगी और आश्चर्यजनक नवीनताओं के साथ इसी विजली ने चित्रपट की कला को जन्म दे डाला। चित्रपट की मूकता विजली ने ही देखते-देखते मुखरता में परिवर्तित कर दिया। इसके सहारे कलाकार की तूलिका कल्पना की असम्भव-सी उड़ान को भी संभव-सी कर दिखाने में समर्थ हो सकी, और नाट्य कला की परम्परागत सीमायें क्षणों में छिन्न-भिन्न होकर नवीन रूप धारण करने लगी। निश्चय ही नाट्य-कला के सुचारु अभिनय देखने की अभ्यस्त आँखें पहले-पहल चित्रपट पर अकित कथाओं के प्रदर्शन को निरा निर्जीव समझकर उपेक्षणीय ही समझती रही होगी। लेकिन धीरे-धीरे आज चित्रपट का ही युग आ गया। रगमच और अभिनय दोनों का ही जीवन सकट में जान पड़ने लगा। यहाँ तक कि कालिदास के जगत् प्रसिद्ध 'अभिज्ञान शाकुन्तल' या शेक्सपीयर के 'हेमलेट' को भी आज अपने मूल रूप को छोड़कर बरबस चित्रपटी कला के सँचि में ढलना पड़ा है। इसी युग के वर्नाडि शा और गाल्सवर्दी को भी अपने नाटको के लिए सजीव अभिनय के बदले चित्रपटी कला अपनाती पड़ी। लेकिन एक कहावत प्रसिद्ध है कि ढलते दिनों में चिर सहायक भी भयकर विरोधी हो जाते हैं। जिस विद्युत ने चित्रपट की कला को जन्म दिया, पाला पोसा और इतनी प्रबलता प्रदान की, उसी ने रेडियो के आविष्कार की नींव डाली। केवल यही तक नहीं, आज तो टेलीविजन का भी आविष्कार हो चुका है, जिसके द्वारा हज़ारों मील दूर होनेवाला कोई भी व्यापार केवल ध्वनि में ही नहीं बरन् रूप में भी आँखों के सामने प्रत्यक्ष हो उठेगा। आखिर चित्रपट की कला को रगमच और प्राचीन नाटक पर विजय क्यों और कैसे मिली? केवल इसीलिए न, कि चित्रपट रगमच और नाटक की सीमाओं और मजबूरियों की सकीर्णता से बहुत अधिक मुक्त था, कल्पना जगत् की सम्भव और असंभव परिस्थितियाँ वह प्रत्यक्ष कर दिखाता था। और अब तो सवाक भी है, पैसों के हिसाब में भी उसका मनोरजन सस्ता पड़ता है। लेकिन कमज़ोरियों से खाली यह भी नहीं है। अपनी सारी रगोनियों के बावजूद भी, है यह केवल तस्वीरों

का खेल । देखते समय सुन्दर दृश्यावलि मोहक स्वरारवली में एक क्षण के लिए दर्शक मुग्ध-सा भले रह जाय, लेकिन नोत्रता तो है ही कि जो कुछ देखा वह है तस्वीर ही । हाड, माम की सजीवता का अपना एक आनंद होता है, वह उसमें कहाँ ? मन के इसी धीण अस्तंतोप पर अपने दुर्दिनो में भी रगमच और नाटक किसी प्रकार टिके हुए काल-आपन कर रहे हैं और नाटक-प्रेमियों का उत्साह और उल्नान इनी में केन्द्रित है कि नाटक के पात्र केवल चित्र नहीं वरन् मजीव प्राणी होते हैं । टेलीविजन सजीवता का केन्द्र होगा । अब पात्र और, घटनाएँ, स्टूटियों और काल्पनिक चित्रो के आधार पर निरी ऐन्द्रजालिक न होंगी । इनमें अभिनीत कला के पात्र चित्र के माध्यम में सामने न आयेंगे, वरन् प्रत्यक्ष से ही स्वय उपस्थित हो जायेंगे । वह चित्रपटी कला की निष्प्राणता यहाँ न खटकेगी, और स्वभावत इमका आनंदन बहुत अधिक होगा, लेकिन शायद यह भी अभिनय-कला की सीमा न होंगी । शीघ्र ही ऐसे यत्र भी अविष्कृत होने वाले हैं जो व्यक्ति को महानाग्न के प्रमिद्ध सजय की दिव्य दृष्टि सहज ही प्रदान कर सकेंगे, जिनका महानाग्न से मनुष्य विस्तृत विश्व में प्रतिक्षण होने वाले घटना-वैचित्र्य का अनायास ही देख सकेगा । यह तो सभी को मानना पडता है कि अपनी गार्ग कुशलता के बावजूद भी वैचित्र्य और रगीनियो में मनुष्य प्रकृति में कामा पीछे है और शायद रहेगा भी, जो आँखें एक बार अलौकिक प्रकृति वैचित्र्य का देख लेंगी फिर इन चित्र-पटो में या इन रगमचीय अभिनयो में आका अनुगग ही क्या होगा ।

शुद्धि पत्र

पृष्ठ २४ की सातवीं पंक्ति के शुरु में 'होगा कि' निकाल कर पढ़ें।

पृष्ठ २५ की सातवीं पंक्ति में 'अववि' को 'अवघी' पढ़ें।

पृष्ठ २६ की प्रथम पैरा की अन्तिम दो पंक्तियों में पृष्ठ ३१ की अन्तिम पंक्ति के पहले लगा कर पढ़ें।

पृष्ठ ३३ की अन्तिम पंक्ति में 'कयो कयो?' शब्द में एक कयो निकाल कर पढ़ें।

पृष्ठ ४६ में नीचे से आठवीं 'पंक्ति' के अन्तिम शब्द भिषग्रत्नो को भिषग्रत्नो पढ़ें।

का खेल ! देखते समय सुन्दर दृश्यावलि मोहक स्वरावली में एक क्षण के लिए दर्शक मुग्ध-सा भले रह जाय, लेकिन सोचता तो है ही कि जो कुछ देखा वह है तस्वीर ही। हाठ, मास की सजीवता का अपना एक आकर्षण होता है, वह उसमें कहाँ ? मन के इसी क्षीण असन्तोष पर अपने दुर्दिनो में भी रगमच और नाटक किसी प्रकार टिके हुए काल-यापन कर रहे हैं और नाटक-प्रेमियों का उत्साह और उल्लास इसी में केन्द्रित है कि नाटक के पात्र केवल चित्र नहीं बरन् सजीव प्राणी होते हैं। टेलीविज़न सजीवता का केन्द्र होगा। अब पात्र और, घटनाएँ, स्टूडियो और काल्पनिक चित्रों के आधार पर निरी ऐन्द्रजालिक न होगी। इसमें अभिनीत कला के पात्र चित्र के माध्यम से सामने न आयेंगे, बरन् प्रत्यक्ष से ही स्वयं उपस्थित हो जायेंगे। वह चित्रपटी कला की निष्प्राणता यहाँ न खटकेगी, और स्वभावतः इसका आकर्षण बहुत अधिक होगा, लेकिन शायद यह भी अभिनय-कला की सीमा न होगी। शीघ्र ही ऐसे यत्र भी अविष्कृत होने वाले हैं जो व्यक्ति को महाभारत के प्रसिद्ध सजय की दिव्य दृष्टि सहज ही प्रदान कर सकेंगे, जिनकी सहायता से मनुष्य विस्तृत विश्व में प्रतिक्षण होने वाले घटना-वैचित्र्य को अनायास ही देख सकेगा। यह तो सभी को मानना पड़ता है कि अपनी सारी कुशलता के बावजूद भी वैचित्र्य और रंगीनियों में मनुष्य प्रकृति से कोसो पीछे है और शायद रहेगा भी, जो आँखें एक बार अलौकिक प्रकृति वैचित्र्य को देख लेंगी फिर इन चित्र-पटो में या इन रगमचीय अभिनयो में उनका अनुराग ही क्या होगा !

शुद्धि पत्र

पृष्ठ २४ की सातवीं पंक्ति के शुरु में 'होगा कि' निकाल कर पढ़ें ।

पृष्ठ २५ की सातवीं पंक्ति में 'अववि' को 'अवधी' पढ़ें ।

पृष्ठ २६ की प्रथम पैरा की अन्तिम दो पंक्तियों में पृष्ठ ३१ की अन्तिम पंक्ति के पहले लगा कर पढ़ें ।

पृष्ठ ३३ की अन्तिम पंक्ति में 'क्यो बयो ?' शब्द में एक बयो निकाल कर पढ़ें ।

पृष्ठ ४६ में नीचे से आठवीं 'पवित' के अन्तिम शब्द भिषग्रत्नी को भिषग्रत्नी पढ़ें ।